वार्षिक रिपोर्ट
2008-2009

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011

वेबसाइट: dhi.nic.in / dpe.nic.in

Contents Cover

विषय सूची

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	7
2.	उपलब्धियां और पहल	10

भारी उद्योग विभाग

1.	एक रूपरेखा	17
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	24
3.	भारी विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	35
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	41
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	46
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	61
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	62
8.	सतर्कता	63
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	64
	अनुबंध (I-XII)	65-76
	संकेताक्षर	77

लोक उद्यम विभाग

1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	81
2.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	83
3.	नैगम अभिशासन	89
4.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	92
5.	मानव संसाधन विकास	98
6.	स्थायी मध्यस्थता तंत्र	105
7.	मजूरी नीति एवं जनशक्ति यौक्तिकीकरण	106
8.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	110
9.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	111
10.	परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुन:नियोजन योजना	113
11.	राजभाषा नीति	115
12.	महिलाओं का कल्याण	116
	परिशिष्ट (I-IV)	117-124

अनुबंध (I-XII)

		पृष्ठ संख्या
I.	भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन	65
II.	भारी उद्योग विभाग का संगठन	66
III.	भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना	67
IV.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. सहित नियोजन की स्थिति	68
V.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन	69
VI.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कर-पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	70
VII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय	71
VIII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आर्डर बुक की स्थिति	72
IX.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन	73
X.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दिनांक 31.03.2009 (अनन्तिम) की यथास्थिति चुकता पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	74
XI.	पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निविष्टियां	75
XII.	नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 2008-09 में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	76

परिशिष्ट (I-IV)

I.	लोक उद्यम विभाग का संगठन	117
II.	दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची-वार सूची	118
III.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची, जिनके प्रस्तावों का बीआरपीएसई द्वारा स्वीकृति दी गई है	121
IV.	प्रचालनात्मक नोडल एजेंसियों की सूची	124

back

Cover

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

1.	प्रस्तावना	7
2.	उपलब्धियां और पहल	10

अध्याय 1

प्रस्तावना

मंत्रालय

1.1 मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, केन्द्रीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के प्रभाराधीन कार्य करता है, जिनकी सहायता राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रालय देश में पूंजीगत सामग्री, ऑटो, विद्युत उपस्कर विनिर्माण और इंजीनियरी उद्योग के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करता है।

भारी उद्योग विभाग

1.2 भारी उद्योग विभाग इंजीनियरी उद्योग यथा मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों को प्रशासित करता है। विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्री के विनिर्माण, परामर्शी और संविदाकारी सेवाओं में संलग्न हैं। विभाग के अधीन आने वाले उद्यम मशीन टूल, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर, विद्युत उपस्कर और रेल कर्षण उपस्कर, प्रेशर वेसल्स, एसी लोकोमोटिव, प्राइम मूवर्स और कृषि ट्रैक्टर तथा घड़ी, कागज, टायर और नमक जैसे उपभोक्ता उत्पादों जैसे व्यापक सीमा वाले उत्पादों का उत्पादन करता है। इस विभाग द्वारा शामिल उद्योग विद्युत, रेल और परिवहन सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को सामग्रियों और सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देख रेख करता है और इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए उपस्कर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों जैसे मध्यस्थ इंजीनियरिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित को भी प्रशासित करता है:

(i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के कार्यान्वयन के मार्गनिर्देशन के लिए जुलाई, 2005 में स्थापित नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैट्रिप);

(ii) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़, जो चिन्हांकन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता पूरी करता है।

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), और

(iv) फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, महाराष्ट्र

भारी उद्योग विभाग का कार्य-आबंटन **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता है और उद्योग के विकास के लिए पहलों को प्रोत्साहित करता है। विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार के पुनर्गठन के लिए उचित हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकीय सहयोग का संवर्धन और उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से उद्योगों की विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उनकी सहायता करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता एक अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव, निदेशक/उप-सचिव, आर्थिक सलाहकार, तकनीकी स्कंध और एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा की जाती है। इस विभाग में क्रमशः एक संयुक्त सचिव और निदेशक संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं ताकि शिकायतों का समय पर निवारण हो सके। निदेशक के एक रैंक के एक नोडल अधिकारी को पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए विभाग में

नामोदिष्ट किया गया है, निदेशक के रैंक के एक नोडल अधिकारी को विभाग में लोक अदालत में विवादों के निपटारे के लिए विभाग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में नामोदिष्ट किया गया है। उप-सचिव के रैंक के एक अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए मुख्य जन सूचना अधिकारी के रूप मे नामोदिष्ट किया गया है। लैंगिक समानता के अधिकार के संरक्षण और प्रभावीकरण तथा कामकाजी महिला कर्मचारियों को न्याय देने के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबद्ध शिकायतों के निवारण के लिए इस विभाग में एक शिकायत समिति गठित की गई है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-II** में दिया गया है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1.5 तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का निरंतर मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के अधीन वर्ष 1965 में सरकारी उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (लोउवि) के रूप में जाना जाता है। इस समय यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.6 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग है तथा अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है और साथ ही उनके कार्यनिष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित अन्य क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देश भी निर्धारित करता है। यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच अन्तरापृष्ठ भी प्रदान करता है।

1.7 राष्ट्रीय न्यूनतम साझाकार्यक्रम (एनसीएमपी) में सुदृढ़ और प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की परिकल्पना है। इसमें रुग्ण और हानि उठा रहे उद्यमों पर काफी बल दिया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ रूग्ण/घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करने और उससे संबद्ध उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रभाराधीन सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना दिसम्बर, 2004 में की गई।

1.8 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए है:

- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर-वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वयन।
- सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली और कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

1.9 लोक उद्यम विभाग तदनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबद्ध नीतियां बनाने और उनसे संबंधित मामलों पर विभिन्न दिशानिर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी भूमिका पूरी करने में विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:-

- सरकारी उद्यमों से संबंधित गैर-वित्तीय प्रकृति की सामान्य नीति के मामलों का समन्वय।
- सरकारी उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने से संबंधित मुद्दे।
- निदेशक मंडल की संरचना, कार्मिक प्रबन्ध, कार्यनिष्पादन सुधार वित्तीय प्रबन्ध, मजदूरी निपटारा और सतर्कता प्रबंध आदि जैसे क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियां बनाना।
- नवरत्न/मिनीरत्न स्तर का केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधि ष्ठापन और समीक्षा
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल की संरचना, शीर्ष पदों के श्रेणीकरण; केंद्रीय सरकारी उद्यमों के अनुसूचीकरण से संबंधित नीतिगत मुद्दे।
- आवधिक अंतरालों पर निदेशक मंडल के कार्यपालकों तथा साथ ही निदेशक मंडल के स्तर से नीचे के कार्मिकों और यूनियन से जुड़े कामगारों के वेतनमान और उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की अधिसूचना।

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीति।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में ज्ञात केंद्रीय सरकारी उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबद्ध नीति।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना (सीआरआर) से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) से संबंधित मुद्दे।
- नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सरकारी उद्यमों में पदों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे।
- कर संबंधी मुद्दों से संबंधित विवादों को छोड़कर सरकारी उद्यमों और सरकारी उद्यमों तथा सरकारी विभागों के बीच स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान।
- अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन से संबंधित मुद्दे।
- निदेशक मंडल को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मुद्दे।

1.10 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है, जिनकी सहायता 130 अधिकारियों/कार्मिकों की समग्र स्वीकृत संख्या सहित एक स्थापना द्वारा की जाती है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट-I** में है।

अध्याय 2

उपलब्धियां और पहल

2.1 वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियां

- ''भेल'' ने वर्ष 2008-09 के दौरान 28033 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया, जो वर्ष 2007-08 में 21401 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 31% की वृद्धि है। ''भेल'' ने वर्ष 2009-10 और उसके बाद निष्पादन के लिए 1,17,000 करोड़ रुपए मूल्य का संचयी ऑर्डर प्राप्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने ऑर्डर बुक में पर्याप्त वृद्धि की है।

बीएचईएल, हैदराबाद में फ्रेम 9 एफए गैस टरबाइन हेतु टेस्ट बेड

- ''भेल'' और एनटीपीसी लिमिटेड ने विद्युत संयंत्रों तथा अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) संविदाएं निष्पादित करने तथा साथ ही भारत और विदेश में उपस्करों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए ''एनटीपीसी-भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड'' कही जाने वाली एक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की है। संयुक्त उपक्रम कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र ''भेल'' और एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) तथा माननीय विद्युतमंत्री को दिनांक 29.04.2008 को प्रस्तुत किया गया।
- ''भेल'' ने एपीजेनको के साथ विजयवाड़ा में 125 मेगावाट वाले देश के सबसे बड़े एकीकृत कोयला गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए दिनांक 10.05.2008 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- ''भेल'' ने माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम), माननीय वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, विद्युत राज्य मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में औपचारिक रूप से भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स (बीएचपीवी) को मई, 2008 में अधिग्रहित किया।
- ''भेल'' और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने परस्पर लाभकारी शर्तों पर देश और विदेश दोनों में न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के लिए इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) कार्यकलाप करने के लिए एक संयुक्त उपक्रम के गठन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम), माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में ''भेल'' ने परस्पर लाभकारी शर्तों पर दोनों कंपनियों की कास्टिंग और फोर्जिंग की आवश्यकता पूरी करने के लिए 50:50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर संयुक्त उपक्रम कंपनी

बीएचईएल, त्रिचुरापल्ली में हैवी ड्यूटी सीएनसी लेथ

के गठन हेतु दिनांक 6.09.2008 को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) और माननीय विद्युत राज्य मंत्री की उपस्थिति में माननीय अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा दिनांक 26.10.2008 को पश्चिम बंगाल के बोलपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) की आधारशिला रखी गई। इसे ''भेल'' दामोदर घाटी निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है।
- ''भेल'' ने घरेलू तथा साथ ही निर्यात बाजार में कई मुख्य ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रत्येक 500 मेगावाट की 3 कोयला-आधारित यूनिटों, कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना में 500 मेगावाट की एक यूनिट और स्थापित हो रही छत्तीसगढ़ में मारवा ताप विद्युत परियोजना में प्रत्येक 500 मेगावाट की दो यूनिटों को शामिल करते हुए

बीएचईएल, झांसी प्लांट में लोको का फेब्रिकेशन एवं असेम्बली

छत्तीसगढ़ में दो विद्युत परियोजनाओं में मुख्य संयंत्र पैकेज की आपूर्ति और संस्थापना के लिए 3,368 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर/ये परियोजनाएं चालू होने पर ग्रिड में प्रत्येक दिन 36 मिलियन यूनिट की वृद्धि करेंगी।

(ii) पंजाब के भटिंडा में स्थापित हो रही गुरू गोविंद सिंह रिफाइनरी में एक ऊर्जा-सक्षम और पर्यावरण अनुकूल कैप्टिव विद्युत संयंत्र (153 मेगावाट) की स्थापना करने के लिए एचपीसीएल और एल.एन. मित्तल के मित्तल एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम एचएमईएल से 1150 करोड़ रुपए मूल्य की टर्नकी संविदा।

(iii) चार उन्नत श्रेणी फ्रेम 9 एफए गैस टर्बाइन की आपूर्ति और कमीशनिंग शामिल करते हुए टर्नकी आधार पर दिल्ली में एक और संयुक्त एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रगति

बीएचईएल द्वारा टर्नकी आधार पर लीबिया में स्थापित 600 मेगावाट गैस टरबाइन आधारित वेस्टर्न माउंटेन पावर प्रोजेक्ट

पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) 3,588 करोड़ रुपए मूल्य की संविदा।

(iv) ''भेल'' ने छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ में 2400 मेगावाट (4x600 मेगावाट) के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए जिंदल पावर लिमिटेड से 5040 करोड़ रुपए मूल्य की संविदा प्राप्त की।

(v) ''भेल'' और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने राज्य में विद्युत की उपलब्धता सुदृढ़ करने के लिए तमिलनाडु में पहली 2x800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए लगभग 8,700 करोड़ रुपए के कुल पूंजी परिव्यय से एक संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित की है।

(vi) ''भेल'' ने बिहार में बाढ़ ताप विद्युत परियोजना के लिए एनटीपीसी से 1474 करोड़ रु. मूल्य के सुपरक्रिटिकल पैरामीटर वाली 2x660 मेगावाट की स्टीम टबाईन जेनरेटर यूनिटों के लिए अपना पहला वाणिज्यिक ऑर्डर प्राप्त किया।

(vii) ''भेल'' ने प्रत्येक 42 मेगावाट की 2 गैस टर्बाइन जेनरेटिंग यूनिटों की आपूर्ति के लिए इंटरनेशनल एनर्जी रिर्सोसेज (आईईआर), संयुक्त अरब अमीरात से 160 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिष्ठित निर्यात संविदा प्राप्त की है।

(viii) ''भेल'' ने सीरिया में 400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 2080 करोड़ रुपए मूल्य की टर्नकी संविदा प्राप्त की है, जो समुद्रपारीय बाजार में अभी तक प्राप्त उच्चतम मूल्य का एकमात्र ऑर्डर है।

(ix) ''भेल'' ने रवांडा में नाइबोरोंगो जल विद्युत परियोजना (2x14 मेगावाट) की स्थापना करने के लिए 400 करोड़ रुपए मूल्य की टर्नकी संविदा प्राप्त करके पूर्वी अफ्रीका में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है।

- ''भेल'' ने कम्पनी की बौद्धिक पूंजी को 664 पेटेंट तथा दाखिल कॉपीराइट तक बढ़ाते हुए। वर्ष के दौरान 175 पेटेंट और कापीराइट दाखिल किए, जो कंपनी के व्यवसाय में उत्पादक प्रयोग में हैं।
- ''भेल'' और कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) ने कर्नाटक में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम गठित किया है। संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने के लिए अभिज्ञान परियोजनाएं कर्नाटक के रायचूड़ जिले में इदियापुर और ईरामारस में अवस्थित होने वाली हैं।
- ''भेल'' ने 800 केवी उच्च वोल्टता एकदिष्ट धारा पारेषण लाइनों के लिए 420 केएन और 320 केएन पोर्सलीन डिस्क इंसुलेटरों की सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण किया है तथा इन किस्मों के इंसुलेटरों के लिए विश्व में एकमात्र आपूर्तिकर्ता हो गया है। इन इंसुलेटरों में एचवीडीसी वोल्टता के अधीन विश्वसनीय रूप से निष्पादन करने के लिए विशेष सामग्री संरचना है तथा इसमें प्रदूषित दशाओं के अधीन अच्छी प्रकार निष्पादन करने के लिए विभिन्न रूपरेखाएं भी अपेक्षित हैं।

बीएचईएल द्वारा बनाया गया स्पेस ग्रेड सोलर पैनल

- ''भेल'' ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को यूरोप के ईएडीएस-ऑस्ट्रियम के लिए अपनी पहली उपग्रह निर्यात परियोजना हेतु स्पेसग्रेड सौ पैनलों के विनिर्माण और आपूर्ति से एक बड़ा मानदंड प्राप्त किया है।
- ''भेल'' ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए वर्धित इक्विटी पूंजी पर 90% का अंतरिम लाभांश अदा किया है। ''भेल'' ने भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी (67.72%) पर अंतरिम लाभांश के लिए दिनांक 21.03.2008 को माननीय मंत्री, भारी उद्योग और लोक उद्यम को 298 करोड़ रुपए का चेक प्रस्तुत किया।
- ''भेल'' और केरल सरकार के एक उपक्रम केरल इलेक्ट्रिकल और एलाइड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने परिवहन, उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उत्पादों के विनिर्माण हेतु एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- ''भेल'' ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित होने वाले 3250 मेगावाट की संचयी क्षमता से ताप विद्युत परियोजना के लिए मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति और संस्थापना हेतु संचयी रूप से लगभग 7,000 करोड़ रुपए मूल्य की एनटीपीसी, एनएलसी, तमिलनाडु पावर लिमिटेड और महाजेनको से चार बड़ी संविदाएं प्राप्त की हैं।
- ''भेल'' ने मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से मध्य प्रदेश में उनकी स्थापित हो रही मालवा ताप विद्युत परियोजना में प्रत्येक 600 मेगावाट के दो सेटों की संस्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 3150 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया है। इस संविदा में ट्रांसफॉर्मर, बस डक्ट आदि सहित स्टीम टर्बाइन, जेनरेटर, बॉयलर तथा संबद्ध सहायक उपकरणों की डिजाइन, इंजीनियरी, विनिर्माण, आपूर्ति, उत्थापन और कमीशनिंग शामिल है।
- अपने विनिर्माण क्षमता विस्तार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ''भेल'' 250 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में तिरूमायम में तक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रहा है। इस संयंत्र द्वारा लगभग 750 व्यक्तियों को प्रयत्न और लगभग 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान किया जाना प्रत्याशित है।
- ''भेल'' ने न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुजरात में अपनी ककरापाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए प्रदान किए गए 345 करोड़ रुपए मूल्य के 700 मेगावाट की नई रेटिंग वाले न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटर का अब तक का पहला ऑर्डर प्राप्त किया है।
- यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सख्त प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध ''भेल'' ने अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड की स्थापित हो रही 1980 मेगावाट की तिरोरा ताप विद्युत परियोजना के लिए जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण और आपूर्ति हेतु पावरजेन इन्फ्रास्ट्रक्चर से 81 करोड़ रुपए मूल्य की संविदा प्राप्त की है।
- ''भेल'' को दिनांक 13 मार्च, 2009 को आयोजित एक समारोह में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में लागत प्रबन्ध में उत्कृष्टता हेतु वर्ष 2008 के लिए अधिकतम संख्या में आईसीडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ''भेल'' को तीन दशकों से भी अधिक के लिए लाभ अर्जित करने के अपनी अतुलनीय पूर्व रिकार्ड और अबाधित रूप से

निवेशकों को लाभांश अदा करने क लिए मान्यता के रूप में वर्ष 2009 के लिए डीएसआईजे का ''सर्वाधिक निवेशक अनुकूल सरकारी क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार, 2009'' प्रदान किया गया था। अर्थव्यवस्था में वर्तमान कठिन नकदी स्थिति के बावजूद वर्धित बोनस इक्विटी-पश्चात पूंजी पर 90% का अंतरिम इक्विटी लाभांश राजकोषीय वर्ष 2008-09 के लिए अदा किया जा चुका है।

वर्ष 2008-09 में अनुमोदित पुनर्गठन प्रस्ताव

- बीआईएफआर ने दिनांक 13.05.2008 को आयोजित सुनवाई में नेशनल इन्ट्रूमेंटस लि. (एनआईएल) की परिसंपत्ति, देयताओं और मानवशक्ति की जादवपुर विश्वविद्यालय, परिचय बंगाल को अंतरित करने के लिए ओए द्वारा प्रस्तुत योजना अनुमोदित की।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 26.06.2008 को आयोजित अपनी बैठक में भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी (बीडब्ल्यूईएल) का वित्तीय पुनर्गठन और कंपनी को रेल मंत्रालय को अंतरिव करना अनुमोदित किया। वित्तीय पुनर्गठन और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को रेल मंत्रालय को अंतरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13.08.2008 को जारी की गई है।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 04.09.2008 को आयोजित अपनी बैठक में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के लिए पुनरूद्धार/पुनर्गठन पैकेज अनुमोदित किया।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 06.11.2008 को आयोजित अपनी बैठक में टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तुलनपत्र की स्वीकृति के बाद सीधी बिक्री के माध्यम से वित्तीय पुनर्गठन और पुनरुद्धार अनुमोदित किया।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 11.02.2009 को आयोजित अपनी बैठक में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का पुनरूद्धार अनुमोदित किया।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 18.03.2009 को आयोजित अपनी बैठक में भारी उद्योग विभाग के 10 घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिनांक 01.10.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए 109.30 करोड़ रुपए के मजदूरी/वेतन का भुगतान अनुमोदित किया और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को निधियां जारी की गई हैं।
- सिल्चर, असम में स्थित सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सिल्चर ग्राइडिंग यूनिट की आधारशिला असम के मुख्य मंत्री द्वारा माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) की उपस्थिति में जुलाई, 2008 में रखी गई।
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ईपीआई) ने (क) पुटुर जलापूर्ति सुधार योजना, पुटुर, आंध्र प्रदेश, (ख) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के राज्य खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 114.06 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया। ईपीआई (i) उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश) में नए प्रयोगशाला भवन काम्पलैक्स के निर्माण और विकास और (ii) बारपेटा, असम में फखरूद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भी 154.26 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया।
- एसआईएएम और एसीएमए ने दिनांक 3.09.2008 और 4.09.2008 को अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। इन सम्मेलनों का उद्घाटन माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) द्वारा किया गया था। एसआईएएम के वार्षिक सम्मेलन में सभी मुख्य वैश्विक आटोमोबाइल अग्रणियों ने भाग लिया। एसआईएएम ने दिनांक 01.01.2009 से ऑटोमोबाइल वाहन उद्योग द्वारा लागू किए जाने वाले स्वैच्छिक ईंधन क्षमता लेबलिंग कार्यक्रम की भी घोषणा की।
- भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 23.11.2009 और 24.11.2009 को नई दिल्ली में भारत द्वारा चौथे पर्यावरणीय अनुकूल वाहन (ईएफवी) सम्मेलन की मेजबानी करने से संबंधित दिनांक 12.09.2008 को जेनेवा में डब्ल्यूपी-29 (संयुक्त राष्ट्र संगठन) के 146वें सत्र में एक प्रस्तुतीकरण किया था। डब्ल्यूपी-29 ने सर्वसम्मति से भारत का अनुरोध स्वीकार किया और अगली बैठक के लिए अपनी अनौपचारिक कार्यसूची मदों में से एक के रूप में अपनाया। पहली बार, भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था ईएफवी सम्मेलन की मेजबानी करेगी। पिछले तीन सम्मेलन क्रमश: यूनाइटेड किंगडम, जापान और जर्मनी में आयोजित किए गए थे।

पूंजीगत सामग्री उद्योग में उभरते हुए और मौजूद अवसरों पर राष्ट्रीय सेमिनार

भारी उद्योग विभाग द्वारा होटल दि ललित, नई दिल्ली में सीआईआई के सहयोग से दिनांक 27.02.2009 को पूंजीगत सामग्री उद्योग में उभरते हुए और मौजूद अवसरों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार को सरकार और पूंजीगत और सामग्री उद्योग से संबंधित निजी क्षेत्र दोनों से आए कई प्रख्यात वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं

में श्री अनवरूल हुदा, सदस्य, योजना आयोग, श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव, लोक उद्यम विभाग, श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव, उर्वरक विभाग, श्री शांतनु कन्सुल, सचिव, खनन, श्रीमती रीता मेनन, सचिव, वस्त्र मंत्रालय, श्री वी.एस. वर्मा, सदस्य, के.वि.वि.आ., श्री सुदीप्त घोष, अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड, और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा उद्योग से कई अन्य वरिष्ठ व्यक्ति शामिल थे। ध्यानकेंद्रीत परिचर्चा के लिए रेलवे और सड़क, विद्युत उपस्कर, प्रक्रिया संयंत्र, मशीन टूल, निर्माण/खनन और धातुकर्म उपस्कर तथा क्षेत्र को शामिल करते हुए समानान्तर उप-क्षेत्र विशिष्ट सत्र भी आयोजित किए गए। समाधान की अपेक्षा वाले विशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखते हुए विभिन्न उप-क्षेत्रों की निविष्टियों का निष्कर्ष निकाला गया। सेमिनार से उभरे बिंदुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है। सेमिनार ने पूंजीगत सामग्री क्षेत्र के संबंध में सरकारी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं।

भारी उद्योग विभाग में मंत्रिमंडल सचिवालय के सहयोग से दिनांक 26.03.2009 को ''परिणाम संबद्ध कार्यनिष्पादन प्रबन्ध'' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

		पृष्ठ संख्या
1.	एक रूपरेखा	17
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	24
3.	भारी विद्युत, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	35
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	41
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	46
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/अल्पसंख्यकों का कल्याण	61
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	62
8.	सतर्कता	63
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	64
	अनुबंध (I-XII)	65-76
	संकेताक्षर	77

अध्याय 1

एक रूपरेखा

1.1 उद्योग का कार्यनिष्पादन

पिछले वर्ष अर्थात 2007-08 की समतुल्य अवधि में 8.5% की तुलना में उद्योग क्षेत्र ने वर्ष 2008-09 के दौरान 2.4% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2008-09 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के रूप में मापित औद्योगिक वृद्धि में धीमापन अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक वित्तीय मंदी और कई देशों में मंदी की दशा और निर्मातोन्मुखी उद्योगों के परिणामी धीमेपन सहित कई कारकों के कारण रहा है। आटोमोबाइल (सहायक उद्योगों सहित), सीमेंट, इस्पात और आवास जैसे कुछ उद्योगों में मांग की कमी ब्याज की दरों में वृद्धि और बैंक वित्त की अनुपलब्धता के कारण रही है। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले वर्ष में 9.0% की तुलना में वर्ष 2008-09 में 2.3% की वृद्धि दर्ज की। खनन और विद्युत क्षेत्र ने वर्ष 2008-09 के दौरान क्रमश: 2.3% और 2.8% की वृद्धि दरें दर्ज की।

1.2 पूंजीगत साम्रगी क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान 18.0% की वृद्धि की तुलना में चालू वर्ष 2008-09 के दौरान 7.0% की वृद्धि दर्ज की है। उपभोक्ता सामग्री, बुनियादी सामग्री और मध्यस्थ सामग्री ने वर्ष 2008-09 के दौरान क्रमश: 4.4%, 2.5% और 2.8% की वृद्धि दर्ज की। प्रयोग आधारित वर्गीकरण उपभोक्ता टिकाउ वस्तु क्षेत्र में सुधार का संकेत देता है, जिसने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में -1.0% की तुलना में वर्ष 2008-09 में 4.4% की वृद्धि दर्ज की।

औद्योगिक वृद्धि संकेतक

(प्रतिशत में वृद्धि दर)

मद	भार (%)	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
समग्र	100	11.6	8.5	2.4
खनन और खुदाई	10.5	5.4	5.1	2.3
विनिर्माण	79.4	12.5	9.0	2.3
विद्युत	10.2	7.2	6.4	2.8
प्रयोग-आधारित वर्गीकरण				
समग्र	100	11.6	8.5	2.4
बुनियादी सामग्री	35.6	10.3	7.0	2.5
पूंजीगत सामग्री	9.3	18.2	18.0	7.0
मध्यवर्ती सामग्री	26.5	12.0	9.0	-2.8
उपभोक्ता सामग्री	28.7	10.1	6.1	4.4
टिकाऊ वस्तुएं	5.4	9.2	-1.0	4.4
गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	10.4	8.6	4.4

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

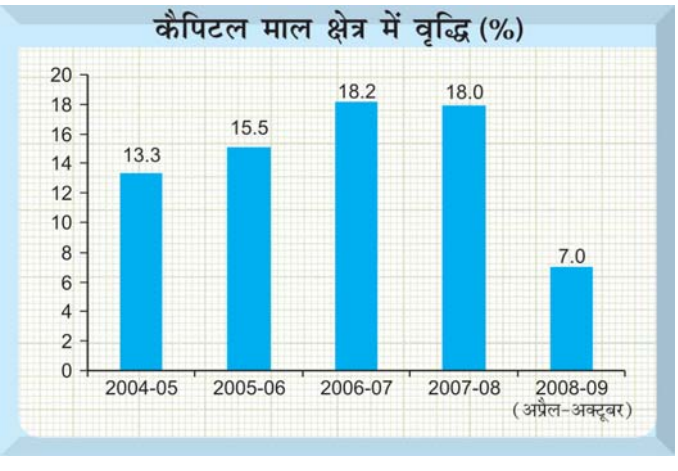

1.3 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित 19 औद्योगिक उप-क्षेत्रों से संबंधित कार्य करता है:

(i) बॉयलर
(ii) सीमेंट मशीनरी
(iii) डेयरी मशीनरी
(iv) विद्युत भट्ठी
(v) माल कन्टेनर
(vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर
(vii) धातुकर्म मशीनरी
(viii) खनन मशीनरी
(ix) मशीन टूल
(x) तेल क्षेत्र उपस्कर
(xi) मुद्रण मशीनरी
(xii) लुगदी और कागज मशीनरी
(xiii) रबड़ मशीनरी
(xiv) स्विचगियर और कंट्रोल गियर
(xv) शंटिंग लोकोमोटिव
(xvi) चीनी मशीनरी
(xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
(xviii) ट्रांसफॉर्मर
(xix) वस्त्र मशीनरी

1.4 भारत में मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में से एक आटोमोटिव क्षेत्र है। उदारीकरण के फलस्वरूप आटोमोबाइल क्षेत्र ने पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है और इसे ठीक ही भारतीय अर्थव्यवस्था का उदीयमान क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र का उत्पादन राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 5% के समतुल्य है और इसमें 11 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त है। भारतीय आटोमोबाइल उद्योग, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 10% पर वृद्धि करता रहा है, में वर्ष 2007-08 में ब्रिक्री में (-) 4% की वृद्धि देखी गई और इस समय इसमें गिरावट देखी जा रही है। अक्तूबर, 2008 और नवम्बर, 2008 में वाहनों की समग्र घरेलू ब्रिक्री पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में क्रमश: 14% और 18.% घट गई है। नवम्बर, 2008 में आटोमोबाइल उद्योग के सभी खण्डों अर्थात यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन दोपहिए और तिपहिए ने ब्रिक्री में पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में क्रमश: (-) 24%, (-) 50% और (-) 23% की बड़ी गिरावट दर्शाई है।

1.5 भारी उद्योग विभाग के अधीन कुछ उद्योगों का वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए उत्पादन और वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

उद्योग	इकाई	उत्पादन		वृद्धि
		2007-08	2008-09	दर (%)
औद्योगिक मशीनरी	लाख रु.	355892.3	515431.6	44.83
मशीन टूल	लाख रु.	269144.6	242816.7	-9.78
बॉयलर	लाख रु.	823134	1015393	23.36
टर्बाइन (स्टीम/हाइड्रो)	लाख रु.	351814.3	419300.4	19.18
विद्युत जेनरेटर	लाख रु.	147415.98	177809.5	20.62
विद्युत वितरण ट्रांसफॉर्मर	मि. केवीए	73.26	71.86	-1.91
दूरसंचार केबल	मि. मीटर	8013.2	7050.68	12.0
वाणिज्यिक वाहन	संख्या	545104	416491	-23.59
यात्री कार	संख्या	1421984	1516791	6.67

स्त्रोत : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

1.6 कार्य निष्पादन सुधारने के उपाय

मांग और औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने दो प्रोत्साहन व पैकजों की घोषणा की है। पैकेज में शामिल मुख्य उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

(i) पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर मूल्यानुसार सेनवेट दरों में 4% की कटोती,

(ii) अवसंरचना परियोजनाओं के बैंक ऋण के पुन: वित्त पोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हेतु भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को प्राधिकृत करना,

(iii) डीएफपीबी योजना का दिनांक 31.12.2009 तक विस्तार, बुने हुए वस्त्र, बाइसाइकिल, कृषि हस्त औजार तथा यार्न की निर्दिष्ट श्रेणियों सहित कतिपम मदों पर शुल्क वापसी का लाभ-बढ़ाना, निर्यात बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर भारतीय निर्मातकों को रुपए अथवा डालर में नौवहन-पूर्व और नौवहन-प्रश्चात ऋण प्रदान करना

(iv) राज्यों को अपनी शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए बसों की खरीद हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन सहायता प्रदान किया जाना (दिनांक 30.06.2009 तक एककालिक आय के रूप में)

(v) दिनांक 01.01.2009 को अथवा उसके बाद से लेकर दिनांक 31.03.2009 तक खरीदे गए वाणिज्यिक वाहनों के लिए 50% का त्वरित मूल्यहास प्रदान किया जाएगा।

1.7 भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

1.7.1 विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में संलग्न है। दिनांक 31.03.2008 की यथा स्थिति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण धीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को 48 उद्यम थे। पीटीएल की एचएमटी (एमटी) के साथ विलय योजना को बीआईएफआर द्वारा दिनांक 13.08.2008 को अनुमोदित किया गया। भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को दिनांक 12.06.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है और एनआईएल को दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के तेरह उद्यम या तो बंद कर दिए गए है अथवा प्रचालनरत नही है और इस प्रकार विभाग में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यम रह गए हैं।

1.8 अनुबंध-III में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) दिनांक 31.03.2009 की यथास्थिति 11751.28 करोड़ रुपए था। इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 92831 हैं अ. जा./अ.जा.जा/अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या **अनुबंध-IV** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्रमश: 14822, 8404 और 14898 है।

1.9 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 उद्यमों मे से वर्ष 2008-09 के दौरान 16 ने लाभ कमाया और शेष 16 घाटा उठा रहे हैं। तथापि सकल आधार पर भारी उद्योग विभाग के 32 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2008-09 में 2870.93 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का कर पूर्व निवल लाभ दर्शाया है। अप्रैल-मार्च, 2009 के दौरान इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कुल कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2008-09 (अनन्तिम)	2009-10 (लक्ष्य)
उत्पादन	33958.64	38817.74
लाभ (+)/हानि(-)	(+) 2870.93	(+) 4353.76

(उत्पादन, लाभ/हानि का केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम-वाट ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-V और VI में संलग्न है।)

हानि उठा रहे उद्यम इनपुट लागत में वृद्धि के अलावा निम्न क्रयादेश, कार्यशील पूंजी की कमी, अतिरिक्त जनशक्ति और पुराने संयंत्र और मशीनरी सहित कई कारणों से ग्रसित है।

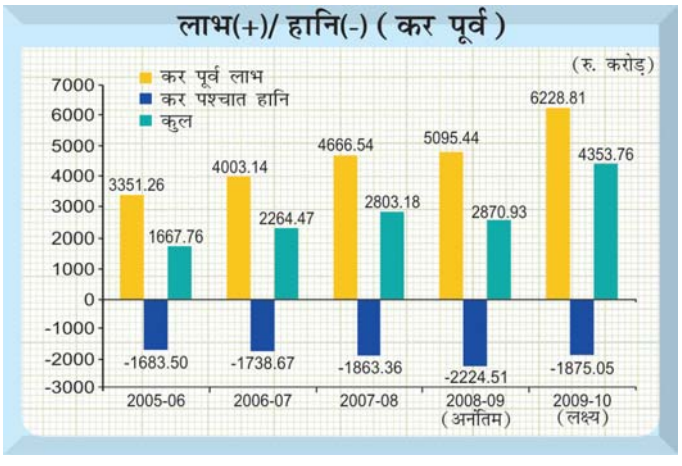

के.सा.क्षे. के अधिकांश हानि उठा रहे उपक्रमों में औद्योगिक मानदंडो के अधिक जनशक्ति और काफी उपरीव्यय की समस्याएं हैं। इस संदर्भ में, कारोबार के प्रतिशतता की रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरीव्यय अनुबंध-VII में दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान ''भेल'' ने अपने ऑर्डर बुक में काफी सुधार दर्शाया है। कंपनी ने वर्ष 2008-09 में 59687 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया राजकोषीय वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में और उसके आगे निष्पादन के लिए 1,17,000 करोड़ रुपए के संचयी ऑर्डर बुक से समाप्त हुआ। (अनुबंध-VIII)

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के मुख्य निर्यातक उद्यम "भेल, आईएल,एचपीसी और एचएमटी हैं। भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन अनुबंध-IX दिया गया है।

इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और संग्रहित हानि/लाभ अनुबंध-X पर दिए गए हैं।

1.10 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन

विभाग सरकार की सरकारी क्षेत्र की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्रणा धीन केंद्रीय सरकारी

क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। लाभ कमा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा है और घाटा उठा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर पुनरूद्धार/बंदी के लिए विचाार किया जा रहा है। तदनुसार, सलाहकारों/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ परामर्श से विभाग के अधीन उन कंपनियों, जिनका पुनर्गठन और पुनरूद्धार किया जा सकता है, का पता लगाने के लिए नए सिरे से गौर किया गया है। सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) उन्हें भेजे गए सभी 26 मामलों में अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

सरकार ने लगभग 1500 करोड़ रुपए की नई राशि शामिल करते हुए वर्ष 2004-09 के दौरान भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों की पुनरूद्धार/पुनर्गठन योजना के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों मे लगभग 30,000 व्यक्ति नियोजित हैं। ये केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम निम्नानुसार है:

(i) भारत पम्प एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

(ii) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)

(iii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)

(iv) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(v) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(vi) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)

(vii) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

(viii) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

(ix) एचएमटी (बेयरिंग) लिमिटेड (एचएमटी (बी)

(x) एचएमटी मशीन टूल्स (एचएमटी) (एमटी)

(xi) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

(xii) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)- गेल द्वारा दिनांक 07.05.2008 को अधिग्रहित

(xiii) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल)-रेल मंत्रालय को दिनांक 13.08.2008 को अंतरित

(xiv) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

(xv) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमो नामत: भारत और ऑप्थोल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) और भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) के मामलो में सरकार द्वारा बंदी को अनुमोदित किया गया है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के मामले में सरकार ने परिसंपत्तियां और देयताएं जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित कर दी हैं। 15 उद्यमों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का ब्यौरा **अनुबंध-(XI)** में दिया गया है।

1.10.1 विभाग केंद्रीय सरकारी उद्यमों को उनकी निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सरकारी बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत रूग्ण/घाटा उठा रहे केंद्रीय सरकारी उद्यमों की पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1.11 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योजना कार्यक्रम

1.11.1 भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योजना कार्यक्रम मुख्यत : नैट्रिप, यू.पी. पेपर मिल, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर मिल, पूंजीगत सामग्री स्कीम और सुविधाओं के क्षमता उपयोग में सुधार लाने, ग्राहकों की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीकरण और प्रति स्थापन के लिए है। वार्षिक योजना 2008-09 ने 350 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता प्रदान की है, जिसके विरूद्ध मार्च, 2009 तक 191.71 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था। वर्ष 2009-10 के लिए योजना आयोग बजटीय सहायता द्वारा 350 करोड़ रूपए के प्रावधान के लिए सहमत हो गया है। कार्यान्वयनाधीन कुछ मुख्य स्कीमों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)

सरकार ने ऑटोमोटिव उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए परीक्षण अवसंरचना विकसित करने हेतु 1718 करोड़ रूपए की लागत से ''नैट्रिप'' परियोजना की स्थापना अनुमोदित की है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के विभिन्न स्थलों में उच्च गति परीक्षण मार्ग, व्यापक परीक्षण वैधीकरण उभरते हुए उत्सर्जन और सुरक्षा मानदंडों आदि में निवेश द्वारा ऑटोमोटिव उद्योग में विनियामक और विकासात्मक आवश्यकताओं में कमी को पूरा करना

है। मार्नसर में भूमि अधिग्रहण भली प्रकार चल रहा है। जबकि अन्य स्थलों का सिल्चर, चैन्नई और इन्दौर में कब्जा लिया जा चुका है। पुणे मे वन और पर्यावरण प्राधिकारियों से स्वीकृति के बाद अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो चुकी है राय बरेली में भूमि आवंटन अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है केंद्रों में सुविधाओं की विस्तृत डिजाइनिंग समय - अनुसूची के अनुसार पूरी हो गई है और उपस्करों तथा सिविल निर्माण कार्य के ऑर्डर देने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सिल्चर-घोलचुड़ा काम्पलेक्स सुविधा भवन और कार्यस्थल-I धोलचुड़ा में पर्वतीय सडक मार्ग जैसे सभी सिविल निर्माण कार्य के पूरा होने से चालू करने के लिए तैयार है। पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक ''ड्राइविंग सिमुलेटर'' संस्थापित किया गया है। बीआरडीआई अहमदनगर में ईएमसी प्रयोगशाला सुविधा उद्योगो के प्रयोग के लिए दिनांक 01.01.2009 को चालू की गई है जबकि एनीएस ब्रेक परीक्षण पैड निर्माणधीन है, जो दिसम्बर, 2009 तक पूरा होगा।

(ii) एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र परियोजना (आईजीसीसी)

एकीकृत कोयला गैसीकरण, जो बहुत कम उत्सर्जन, उच्चतर क्षमता का लाभ प्रदान करता है और जिसमें विद्युत उत्पादन की निम्न लागत की क्षमता है, पर अनुसंधान और विकास परियोजना पिछले कुछ वर्षो से विचाराधीन रही है। ''भेल'' अब आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी (एपीजेनको) के साथ विजयवाड़ा में यह परियोजना प्रारंभ कर रहा है और उसने देश के सबसे बड़े 182 मेगावाट के आईजीसीसी संयंत्र की सथापना के लिए ''एपीजेनको'' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वार्षिक योजना, 2009-10 में इस प्रयोजनार्थ 1 लाख रूपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

(iii) एचपीसी की यू.पी. पेपर मिल परियोजना

सरकार ने कागज की भाड़ा और देशी आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए एक सहायक कंपनी के माध्यम से उत्तरी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर में नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए एचपीसी को अनुमोदन प्रदान किया है। नए कागज संयंत्र की क्षमता 3100 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 3 लाख टन प्रति वर्ष होगी। जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल) के एच में एक नई कंपनी दिनांक 08.05.2008 को पंजीकृत की गई है। वार्षिक योजना, 2008-09 में इस परियोजना के लिए बजटीय सहायता के रूप में 78 करोड़ रूपए का प्रावधान था। तथापि, कोई भी निधि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि भूमि अभी भी अधिग्रहित की जानी है। वर्ष 2009-10 के लिए 5 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है।

(iv) एनपीपीसी, नागालैंड का पुनरूद्धार

सरकार 552 करोड़ रूपए की लागत पर एनपीवीसी को पुनरूद्धारा अनुमोदित किया है। पुनरूद्धार योजना का कार्यान्वयन चल रहा है, जो वर्ष 2009-10 में जारी रहेगा। वर्ष 2009-10 मे 0.01 करोड़ रूपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009-10 में 28.22 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) प्रदान की गई है।

(v) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) में सुविधाओं का विस्तार

एचएनएल 718 करोड़ रूपए की लागत पर लेखन और मुद्रण कागज की 170,000 टन की क्षमता के लिए एक विस्तार-सह विविधीकरण परियोजना कार्यन्वित कर रहा है। इस परियोजना का निधिपोषण पूर्णत: आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जा रहा है।

(vi) ''भेल'' की सुविधाओं का विस्तार

''भेल'' ने अपनी विनिर्माण क्षमता तथा देश की विद्युत की मांग पूरी करने और ''वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत'' प्रदान करने तथा 11वीं योजना और उसके आगे विद्युत के पूर्वानुमान को पूरा करने के लिए पूर्णत: योगदान देने हेतु दक्षता बढ़ाने की एक योजना तैयार की है। इसके लिए ''भेल'' अपनी क्षमता और दक्षता बढ़ाता रहा है और यह वर्ष 1999-2000 में 6000 मेगावाट से दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रति वर्ष 10,000 मेगावाट तक अपना विद्युत उत्पादन उपस्कर विनिर्माण बढ़ा चुका है। इस विनिर्माण क्षमता को लगभग 4200 करोड़ रूपए के निवेश, जिसका निधिपोषण संपूर्ण रूप से आंतरिक संसाधनो के माध्यम से किया गया है, से दिसम्बर, 2009 के अंत तक प्रतिवर्ष 15,000 मेगावाट तक और बढ़ाई जा रही है। यह दिसम्बर, 2011 तक प्रतिवर्ष 20,000 मेगावाट तक बढ़ जाएगी।

(vii) पूंजीगत सामग्री उद्योग को सहायता

भारतीय पूंजीगत सामग्री उद्योग ने वर्ष 2002-03 से 2007-08 के दौरान उत्कृष्ट वृद्धि देखी हैं। इस क्षेत्र में किए गए पूंजीगत निवेश 1997 से 2007 की अवधि के दौरान लगभग 10% का सीएजीआर दर्ज किया है। तथापि, वृद्धि दर में गिरावट हुई है। इस क्षेत्र में 2007-08 में

18.0% के मुकाबले 2008-09 में 7.0% की वृद्धि हुई है। उद्योग को अब अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए अपने भविष्य को कार्यनीतिक बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग ने सीआईआई द्वारा एक अध्ययन कराने का अधिदेश दिया था और इसकी कई सिफारिशों पर आधुनिकीकरण स्कीम के माध्यम से कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। इस स्कीम का अभिप्राय इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए कुछ नीतिगत पहलें करना हैं। प्रारंभिक रूप से, इस प्रयास में पांच मुख्य पूंजीगत सामग्री क्षेत्रों यथा भारी विद्युत उपस्कर, प्रक्रिया संयंत्र मशीनरी, खनन और निर्माण उपस्कर, वस्त्र मशीनरी और मशीन टूल उद्योगों, जो एक साथ मिलाकर देश में पूंजीगत सामग्री के कुल उत्पादन का 65% हैं, को शामिल किया जाएगा। यह स्कीम अनुमोदन के लिए प्रतीक्षारत है।

1.12 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न और मिनीरत्न को स्वायत्तता

1.12.1 'भेल' नवरत्न उद्यमों में से एक है। कंपनी के बोर्ड को योग्य बाहरी व्यावसायिकविदों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक सहयोग के गठन और मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियां बनाने आदि के संबंध में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।

1.12.2 'भेल', जो एक नवरत्न है, के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के चार उद्यम नामत: आरईआईएल, एचएनएल, ईपीआई और एचएमटी (आई) को मिनीरत्न के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वर्धित प्रत्यायोजन के साथ अधिकार भी दिया गया है।

1.13 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

1.13.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने और अपने उदेद्श्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें जिम्मेवार बनाने की दृष्टि से विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों ने वर्ष 2009-2010 के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

1.14 पूर्वोत्तर क्षेत्र

1.14.1 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाईयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं:-

(i) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) नौगांव और कछार पेपर मिल्स) असम

(ii) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) नागालैंड

(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम

(iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम

1.14.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में संलग्न हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। पूर्व में प्रारंभ की गई कुछ मुख्य योजनओं में हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन के लिए डीजी सेट और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की बोकाजन इकाई के लिए ओवरहेड क्रेन की संस्थापना और असम में एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय की खेती का पुनरूद्धार शामिल है। 570 करोड़ रुपए की कुल लागत से एनपीपीसी की पुनर्गठन/पुनरूद्धार योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और इस पर आगे कार्रवाई चल रही है। एनपीपीसी अब बीआईएफआर के सीमा क्षेत्र से दिनांक 27.06.2007 को एनपीपीसी के पुनरूद्धार का पैकेज अनुमोदित करने के बाद बाहर हो गया है। सरकार ने इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश के लिए 10वीं योजनावधि के दौरान 55.83 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है। 11वीं योजना अवधि के लिए आनुमानिक बजटीय सहायता 314.33 करोड़ रुपए है।

1.15 नागरिक चार्टर

भारी उद्योग विभाग प्रभावी और प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए है:

(i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में, इस विभाग में क्रमश: एक संयुक्त सचिव और निदेशक संयुक्त (लोक शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का समय पर निपटारा हो जाए।

(ii) विभाग के सभी कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए किए गए प्रयास में एक संयुक्त सचिव को सूचना

प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो आवधिक रूप से विभाग की वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(iii) विभाग में निदेशक के स्तर के एक नोडल अधिकारी को पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए नामोदिष्ट किया गया है।

(iv) लोक अदालत में विवादों के निपटारे के प्रयोजनार्थ, निदेशक रैंक के एक नोडल अधिकारी को विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में विभाग में नामोदिष्ट किया गया है।

(v) विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानवाधिकारों से संबंधित पर्याप्त जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने लिंग समानता और कामकाजी महिला कर्मचारियों को न्याय के अधिकारों के संरक्षण तथा उन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महिलाओं के यौन शोषण से संबंद्ध शिकायतों के निपटारे के लिए इस विभाग में एक शिकायत समिति गठित की है।

(vi) इसके अतिरिक्त, यह विभाग सक्रियतापूर्वक महिला कर्मचारियों को बैठकों, सेमिनारों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यपालकों में मुक्त रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

(vii) पहलों और नई नीतियों सहित विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(viii) उप-सचिव रैंक के एक अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना करने के लिए मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(ix) विभाग में निदेशक रैंक के एक अधिकारी को विभाग और इसके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित मामलों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(x) सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन कार्य करते हैं।

(xi) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के संवर्धन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने का प्रयास किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, जहां भी संभव हो, अधिमान्य रिहायशी आवास, और उन्हें अपना कर्त्तव्य निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कार्यकाल में उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त साधन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

1.16 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षानुसार, भारी उद्योग विभाग के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां **अनुबंध-XII** में दी गई हैं।

अध्याय 2

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2.0 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यम हैं, जिनमें से केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यम बंद हो गए हैं। प्रचालन में नहीं हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यम नामत: भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) और नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (ईआईएल) को क्रमश: दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय और दिनांक 07.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय को अंतरित कर दिया गया है। प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीआई) की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी(एमटी) के साथ विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। इस प्रकार विभाग में 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम रह गए हैं। इन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी औद्योगिक पंखे, चाय कारखानों की मशीनरी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर सहित विद्युत उपकरणों आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री और अनुरक्षण के कार्य में लगी हुई है। वर्ष 1986 में पश्चिम बंगाल और असम में 12 चाय बागानों के जरिए चाय की खेती, विनिर्माण और प्रसंस्करण करने वाली 6 चाय कंपनियां एवाईसीएल का हिस्सा हो गई। ट्रांसफामर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड, मद्रास और ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में शामिल किया गया था। एंड्रयू यूल समूह में एक सहायक कंपनी मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड और दो बड़ी सहायक कंपनियां अर्थात दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (अब डीपीएससी लिमिटेड के रूप में पुन: नामित) और टाइड वाटर ऑयल कंपनी भी शामिल है। कंपनी के बेल्टिंग प्रभाग को फरवरी 1999 में एक सयुक्त उद्यम कंपनी में बदल दिया गया है और नई कंपनी की 74% इक्विटी मैसर्स फीनिक्स एजी जर्मनी और नई कंपनी में 26% इक्विटी एवाईसीएल के पास है। कंपनी रूग्ण हो गई है और उसे बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई है; कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशों पर विचार किया गया है और सरकार द्वारा दिनांक 22.02.2007 को पुनरूद्धार / पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। कंपनी द्वारा वर्ष 2008-09 में 181.01 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का उत्पादन किया गया है।

2.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

कंपनी की स्थापना एंड्रयू यूल समूह के अधीन कंपनियों की मुदण और लेखन-सामग्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1922 में की गई थी। यह एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में लाभ अर्जित करने वाली सहायक कंपनी है। वर्ष 2008-2009 में कंपनी का कुल कारोबार 6.58 करोड़ रुपए अनन्तिम रहा है।

2.3 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना विशेष रूप से देश के विद्युत उत्पादन और पारेषण उपस्करों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। 'भेल' आज भारत में अपने किस्म का सबसे बड़ा इंजीनियरी और विनिर्माण उद्यम है और यह विद्युत उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना

कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त इसके 14 विनिर्माण संयंत्र, 8 सेवा केंद्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्र हैं। वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी का कार्यनिष्पादन मूल्यांकनाधीन है।

कम्पनी ने क्रमश: थर्मल संयंत्रों की सर्विसिंग/नवीकरण और गैस टर्बाइन की सर्विसिंग के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम, एक जर्मनी के मैसर्स सीमेन्स के साथ और दूसरा मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक, सं.रा.अ. के साथ गठित किया है।

कंपनी ने वर्ष 2012 तक 45,000 करोड़ रूपए के कुल कारोबार के स्तर तक पहुंचने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों में सतत लाभदायी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक "कार्यनीतिक योजना, 2012" तैयार की है। इसमें वर्ष 2012 तक 15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष तक पहुंचने के लिए वर्तमान 6000 मेगावाट प्रतिवर्ष से विद्युत उत्पादन उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार शामिल है। थर्मल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर के क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के अतिरिक्त निवेश के अन्य मुख्य क्षेत्रों में 700/1000 मेगावाट तक के न्यूक्लियर टर्बाइन, उन्नत श्रेणी गैस टर्बाइन, 765 केवी ट्रांसफार्मरों के लिए सुविधाएं और 20500 एमवीए से 38500 एमवीए तक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि शामिल हैं।

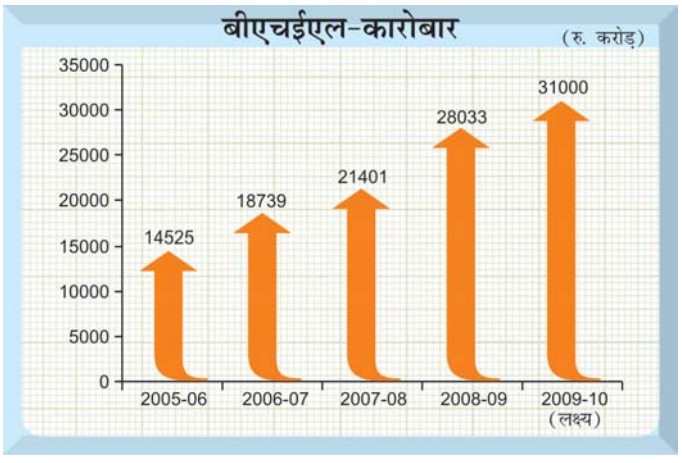

वर्ष के दौरान "भेल" ने अपनी ऑर्डर बुकिंग में काफी सुधार प्रदर्शित किया है। कंपनी ने वर्ष 2008-09 में लगभग 59,687 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया। राजकोषीय वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 और उसके बाद निष्पादन के लिए 1,17,000 करोड़ रुपए की संचयी ऑर्डर बुकिंग पर समाप्त हुआ है।

- नॉर्थ चेन्नई और बाढ़ में 600-660 मेगावाट के सेटों का ऑर्डर;
- कोडरमा, झज्जर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एन्नोर, डीएसपी, उकई मैथन आनपाड़ा 'डी' कोरबा वेस्ट आदि में 500 मेगावाट सेटों के लिए ऑर्डर;

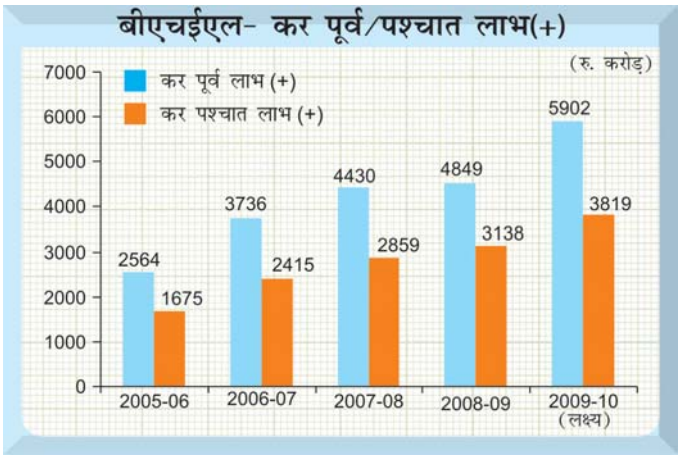

- सिक्का, नबीनगर, बोंगाईगांव, सतपुड़ा आदि के लिए 250 मेगावाट सेटों के लिए ऑर्डर;
- तीस्ता लो डैम, श्रीनगर, छूतक, महेश्वर, निम्मू बाजगो, तपोवन विष्णुगढ़ आदि के लिए विभिन्न क्षमताओं के हाइड्रो सेटों के लिए ऑर्डर
- नागोथाने, हजीरा, पियावव; बारामुरा आदि गैस संयंत्रों के लिए ऑर्डर
- कलपक्कम में 1 X 500 मेगावाट न्यूक्लियर विद्युत सेट के लिए ऑर्डर

कंपनी ने वर्ष 2008-09 में 28033 करोड़ रुपये (अनन्तिम) के कारोबार से समाप्त किया।

2.4 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को वर्ष 1986 में निगमित किया गया था ;

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

सहायक कंपनियां :

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड (बीबीवीएल) (अब बंद हो गई है)

(ख) आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) (अब बंद हो गई है)

(ii) भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), रेल मंत्रालय को अंतरित

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)

(iv) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (अब बंद हो गई है)

सहायक कंपनी :

(i) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) (अब बंद हो गई है)

(ii) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(iii) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 में अधि कांश हिस्सा विनिवेश किया गया)

धारक कंपनी की सभी प्रचालनरत सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन वर्ष 2008-09 में 426.78 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रहा है।

2.5 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लिमिटेड और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को वर्ष 1976 में निगमित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफैक्ट्री और सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयां हैं। बीएससीएल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे मुख्य उत्पादों में बैगन, स्ट्रक्चरल्स, प्वाइंट्स और क्रासिंग, बोगियां, राख प्रहस्तन संयंत्र, कोयला प्रहस्तन संयंत्र आदि शामिल हैं। कंपनी रुग्ण है और यह बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। कंपनी की घाटा उठा रही 7 रिफ्रैक्टरी इकाइयां और जेलिंघम यार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद बंद कर दिया गया है। भारत सरकार की समग्र सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी के भविष्य की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2008-2009 के दौरान कंपनी का उत्पादन 233.20 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रहा है।

2.6 ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, सरकार ने वर्ष 1976 मे ब्रेथवेट एंड कंपनी (बीसीएल) का अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयां अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स और (iii) एंगस वर्क्स हैं, जो प्राथमिक तौर पर रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स, और सामान्य तथा विशेष कार्यो के लिए क्रेन, जिसमें कन्टेनर प्रहस्तन क्रेन, रेल-माउंटेड डीजल लोको ब्रेकडाउन क्रेन, जूट उद्योग के लिए जूट कार्डिंग मशीन और रोल फीडर्स आदि शमिल हैं, के विनिर्माण में लगी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पूनरुद्धार/पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। तत्पपश्चात, बीआईएफआर ने दिनांक 29.06.2006 के आदेश द्वारा बीसीएल को बीआईएफआर के सीमाक्षेत्र से निर्मुक्त कर दिया और बीसीएल रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रह गई है। वर्ष 2008-2009 के दौरान कंपनी का उत्पादन 126.01 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रहा है।

2.7 ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप द्वारा वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में एक

सरकारी क्षेत्र का उद्यम हो गया जब यह भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी आदि के निर्माण का कार्य करती है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलापों में विविधीकरण किया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

ब्रेथवेट बर्न एवं जोसेफ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. द्वारा निर्माण किया गया महानदी (उड़ीसा) के ऊपर पुल

(एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2008-2009 में कंपनी का कुल कारोबार 67.57 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रहा है।

2.8 भारत यंत्र निगम लिमिटेड

भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में वर्ष 1986 में निगमित किया गया था।

1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
2. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद
3. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकात्ता
4. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद

सरकार ने धारक कंपनी बीवाईएनएल को बंद/समाप्त करने का अनुमोदन किया है।

2.9 भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड

भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) की स्थापना वर्ष 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र, पेट्रोरसायन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपकरणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई थी। कंपनी के तीन उत्पाद प्रभाग नामत: प्रोसेस प्लांट डिवीजन, क्रायोजेनिक्स और बॉयलर डिवीजन हैं। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठाती रही है और इसकी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में समीक्षा की गई थी। सरकार ने कतिपय शर्तों के अधीन "भेल" द्वारा "बीएचपीवी" के अधिग्रहण को "सिद्धांतत:" अनुमोदित किया है। तदनुसार बीएचपीवी को ''भेल'' द्वारा अधिग्रहित किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी का उत्पादन 70.82 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रहा है।

2.10 भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड

भारत पप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। कंपनी तेल, उर्वरक, रसायन आदि जैसे क्षेत्रो की विभिन्न किस्म के

बीपीसीएल के आईओसीएल हेतु एसकेएम पम्प का दृश्य

पंपों और कंप्रेसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे बीआईएफआर को भेजा गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और

बीपीसीएल के ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए एचएम कम्प्रेशर का दृश्य

कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2008-2009 में कंपनी का उत्पादन 237.43 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रहा है।

2.11 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) प्रारंभ में बामेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में 1.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के निवेश के माध्यम से बीएंडआर एक सरकारी कंपनी बन गई। इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण जून, 1986 में पेट्रोलियम

बीएंडआर द्वारा डीवीसी के 1X210 मेगावाट मेजिया टीपीएस (यूनिट-4) में बॉयलर मेन (130 एमटी, 56 एम ऐलिवेशन) का इरेक्शन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग

मंत्रालय से इस विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। कंपनी के प्रचालन में मझोले और बड़े ढांचों का निर्माण, भवनों, कंक्रीट पुलों, सिविल निर्माण परियोजनाओं, प्रशीतन टावरों के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, तेल शोधनशालाओं, उर्वरक, रसायन, इस्पात, एल्युमीनियम आदि के लिए संपूर्ण संयंत्रों का यांत्रिक निर्माण करना है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा 25.08.2005 को एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 935.07 करोड़ रुपए (अनन्तिम) रहा है।

2.12 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहित किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कपनी वर्ष 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और यह बीआईएफआर के संदर्भधीन है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने आरएण्डसी को बंद करने का आदेश पारित किया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा गई थी वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 209.94 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.13 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में निगमित किया गया था। कंपनी के पास इस्पात के भारी ढांचों जैसे विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और मास्ट, हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि के विनिर्माण की सुविधा है। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 4.65 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.14 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी) अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बनी। कंपनी के पास हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढ़ांचे,

पारेषण लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों आदि की डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना की सुविधा है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 1.44 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.15 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हैं। कंपनी के पास व्यापक मात्रा में दूरसंचार केबल और तारों के विनिर्माण की सुविधा है और यह रेलवे, रक्षा संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही है। एचसीएल रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। बीआरवीएसई की सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

2.16 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को लोहा और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के लिए उपकरणों और मशीनरी की डिजाइन तथा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उदेश्य से दिसम्बर, 1958 मे निगमित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइंया है, यथा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) और फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिप्स्लर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स आदि संहित हैवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पुनरूद्धार/पुनर्गठन योजना दिसम्बर 2005 में अनुमोदित की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 412.63 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

एचईसी ने मध्यम और भारी आकार के पीएसएलवी और मध्यम आकार के जीएसएलवी लांच करने के लिए देश के दूसरे लांच पैड प्रोजेक्ट में इसरो 200/30 टन इओटी क्रेन और फोल्डिंग और वर्टिकली रिपोजिशनेबल प्लेटफॉर्म (एफसीवीआरपी) का निर्माण और आपूर्ति किया। एचईसी ने 10 टन के टावर क्रेन का भी आपूर्ति किया जिसे अम्बिकल टावर के उपर 80 मीटर के उपर की ऊंचाई पर स्थापित पर किया गया और इसका सेटेलाइट को लांच करने के दौरान उपयोग किया जाता है। इन सुविधाओं का उपयोग चन्द्रायण प्रोजेक्ट में किया जाता है। एचईसी के पास जीएसएलवी मार्क-III प्रोजेक्ट के लिए 400/60 टन ईओटी क्रेन, एफसीवीआरपी, हॉरिजांटल स्लाईडिंग डोर और मोबाईल

चन्द्रयान-1 के लिए एचईसी द्वारा आपूर्ति टॉवर क्रेन

लांचिंग पैड की आपूर्ति की क्षमता है। इसके साथ भारत के पास बड़े आकार के जीएसएलवी मार्क-III लांच करने की सुविधा हो जाएगी।

2.17 एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन सहित धारक कंपनी)

एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर की स्थापना मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी के विनिर्माण की सुविधाओं के साथ वर्ष 1953 में की गई थी। सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन की योजना में व्यवसाय समूहों को चार नई अलग-अलग सहायक कंपनियों

एचएमटी ट्रैक्टर बिजनैस ग्रुप द्वारा चंडीगढ़ में नवम्बर 28 से दिसम्बर 01 तक आयोजित भारत के द्विवर्षीय कृषि तकनीक मेले में भागीदारी

में बदलकर संगठनात्मक पुनर्गठन की संकल्पना की गई है। कंपनी को ट्रैक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड और एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड हैं। एचएमटी के ट्रैक्टर प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में ट्रैक्टर के विनिर्माण से अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। बीआरपीएसई ने कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं। एचएमटी धारक कंपनी (ट्रैक्टर प्रभाग) का उत्पादन वर्ष 2008-09 के दौरान 134.34 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.18 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एमएमटी लिमिटेड ने ''एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड'' नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 1999 में निगमित किया है। इसकी विभिन्न स्थानों पर विनिर्माण इकाइयां हैं। एचएमटी (एमटी) लिमिटेड की सभी विनिर्माण इकांइयां आईएसओ- 9001 प्रमाणित हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई है और सरकार ने कंपनी के पुनर्गठन/पुनरूद्धार के

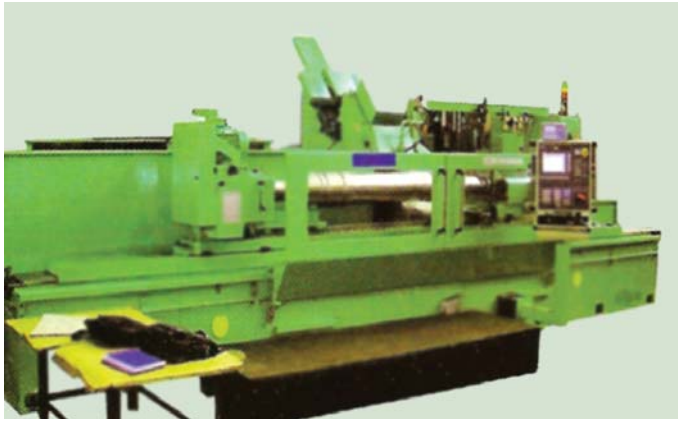

एचएमटी सीएनसी सिलिंड्रकल ग्राइडिंग मशीन

लिए 01.02.2007 को अपना अनुमोदन दिया है। वर्ष 2008-2009 में कंपनी का उत्पादन 188.12 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.19 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

एचएमटी वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल और क्वार्ट्ज घड़ियों का विनिर्माण करती है। कंपनी की बंगलौर, तुमकुर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं। इसकी सभी विनिर्माण

एचएमटी वॉच लिमिटेड द्वारा निर्मित घड़ियां

इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त है। एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के विभिन्न वर्गों की मांग पूरी करती है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के

अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी है । कंपनी के पुनर्गठन/पुनरूद्धार के बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 15.35 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.20 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल घड़िया बनाती है। कंपनी की श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में एकत्रण (असेम्बली) इकाई है। कंपनी का पंजीकृत कार्यलय जम्मू में स्थित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2008-09 में कंपनी का उत्पादन 0.40 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.21 एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड

एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो-निपॉन प्रेसिजन बियरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड के लिए एक पुनरुद्धार/पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 7.01 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का रहा है।

2.22 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में मूल कंपनी, एचएमटी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उदेश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मशीन टूल, घड़िया और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 16.25 करोड रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.23 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएल) की स्थापना 1964 में गयी थी। इसकी उत्पादन इकाइयां हैं, जो कोटा (राजस्थान)

आईएल की विनिर्माण सुविधाएं

और पलक्कड़ (केरल) में स्थित हैं। जयपुर में इसकी एक सहायक कंपनी मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड भी कार्य कर रही है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधरित डिजीटल वितरित-नियंत्रण प्रणाली, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटरों, दोष सहय नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेंत प्रणालियों और दूरसंचार उपस्करों आदि के विनिर्माण कार्य में लगी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएस की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा 2009 में कंपनी पुर्नगठन/पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित किया गया। वर्ष 2008-09 में आईएल का उत्पादन 255.80 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.24 राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के सयुक्त उद्यम के रूप में इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टर

आरईआईएल द्वारा विनिर्मित बुस्टिंग ग्रिड टेल-इंड के लिए एसपीवी ग्रिड इंटरएक्टिव पावर प्लांट (50 केडब्ल्यूपी)

(ई.एम.टी) का विभिन्न दुग्ध संयंत्रों/डेरियों, दुग्ध शीतलन संयंत्रों और गांवों की सहकारी समितियों के लिए निर्माण

और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/ प्रणाली, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपने उत्पाद रेंज का विविधीकरण किया है। कंपनी आईएल की एक सहायक कंपनी हैं, जो इसकी इक्विटी का 51% धारित करती है। इक्विटी का शेष 49% रिको, राजस्थान सरकार द्वारा धारित किया जा रहा है। अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम ने ''मिनीरत्न'' का स्तर प्राप्त किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 72.10 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.25 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड (एसआईएल) को 1972 में निगमित किया गया था। वर्तमान में, लखनऊ स्थित इसके कारखाने में तिपहिये वाहनों का विनिर्माण होता है। कंपनी रूग्ण हो गई और वह बीआईएफआर को भेजी गई थी। कंपनी ने अपने निष्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और वर्ष 2005-06 तक कंपनी ने लगातार लाभ दर्शाया है। कंपनी अप्रैल, 2006 से बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ गई है। यह मानते हुए कि कंपनी का कार्यनिष्पादन ऑटो क्षेत्र में विकास की प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं हैं, सरकार ने एसआईएल में 18.63 करोड़ रुपए की कुल लागत पर उत्पादन सुधार, मानवशक्ति प्रशिक्षण और परीक्षण तथा मूल्यांकन सुविधाओं के उन्नयन की एक परियोजना स्वीकृत की है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने 117.48 करोड़ रुपए का उत्पादन प्राप्त किया है।

2.26 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) का गठन सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और क्षेत्रीय असंतुलन हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के मुख्य उदेश्य से, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां हैं, जो छतीसगढ़ में मांढर, अकलतरा, मध्य प्रदेश में नयागांव; कर्नाटका में कुरकुंटा; असम में बोकाजन; हिमाचल प्रदेश में राजबन; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तांदुर; तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है तथा दिल्ली में

सीसीआई के तन्दुर सीमेंट फैक्टरी का दृश्य

इसकी पिसाई इकाई कार्य कर रही है। इसकी 10 में से 7 इकाइयां विभिन्न करणों से प्रचालन में नही हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2008-2009 के लिए चालू इकाइयों में उत्पादन 365.17 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.27 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

1970 में निगमित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) कागज़, गत्ता, क्राफ्ट पेपर और अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है। एचपीसी एक धारक कंपनी है और इसके नियंत्रणाधीन नीचे दिए अनुसार 2 सहायक कंपनियां और 2 बड़ी एकीकृत कागज व लुगदी मिलें हैं। एचपीसी को अनुसूची ''क'' और एचएनएल को अनुसूची ''ख'' सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया है।

एचपीसी की सहायक कंपनियां

क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

ख) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एचपीसी की इकाईयां

i) नौगांव पेपर मिल्स (एनपीएम)

ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

एचपीसी के मिलों (सीपीएम और एनपीएम एक साथ) का क्षमता उपयोग वर्ष 2006-07 के दौरान 104% था और वर्ष 2007-08 में यह और सुधरकर 105% होना प्रत्याशित है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी (एनपीएम और सीपीएम)

का उत्पादन 657.37 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है। कंपनी ने वर्ष 2007-08 के लिए सरकार को 13.10 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है और वर्ष 2008-09 में 2 करोड़ रुपए के शोध्य तरजीही शेयरों का शोधन भी किया है। सरकार ने 3100 करोड़ रुपए की पूर्णता लागत पर जगदीशपुर में 3 लाख टन प्रति वर्ष की यूपी पेपर मिल परियोजना स्थापित करने के लिए एचपीसी का प्रस्ताव नवम्बर, 2007 में अनुमोदित किया है।

2.28 नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार शेष 5.22 प्रतिशत शेयर धारित करती है। संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा 552.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित एक पुनर्गठन/पुनरूद्धार योजना अब कार्यान्वयनाधीन है।

2.29 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलत: एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। एचएनएल ने 718.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 170,000 टन कागज की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए अखबारी कागज में अंतरित होने की नमनीयता के साथ लेखन और मुद्रण कागज के उत्पादन की अपनी विस्तार-सह-विविधीकरण योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2008-09 के दौरान मिल का उत्पादन 344.77 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.30 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

वर्ष 1960 में स्थापित यह कंपनी फोटोसुग्राही फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म्स साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म्स आदि के विनिर्माण में लगी है। कंपनी को वर्ष 1995 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने 30 जनवरी, 2003 को इसे बंद करने की सिफारिश की । एएआईएफआर के समक्ष विभिन्न एजेंसियों द्वारा बीआईएफआर के बंद करने के आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल की गई थी। एएआईएफआर ने इन अपीलो को खारिज कर दिया। तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियनों द्वारा दाखिल अपील के आधार पर एएआईएफआर और बीआईएफआर की कार्यवाहियों पर अंतरिम स्थगन प्रदान किया है। मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को उद्योग पर विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की व्यवहार्यता पर आगे अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह विचाराधीन है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 23.74 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.31 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

वर्ष 1959 में स्थापित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) अपनी इकाइयों खारागोडा, गुजरात और मंडी, हिमाचल प्रदेश में साधारण नमक और नमक से बनने वाले रसायनों का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे

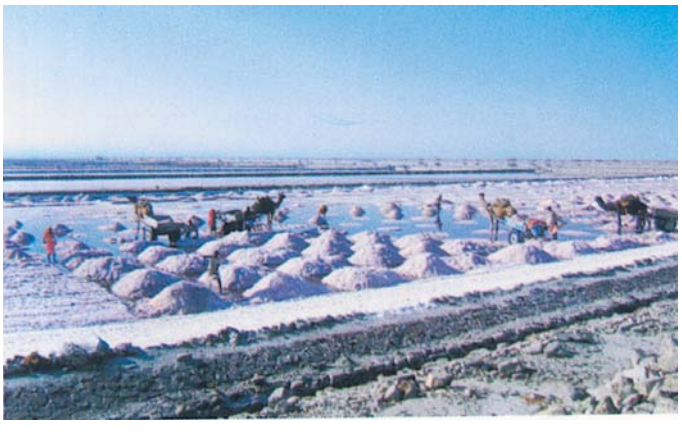

सांभर साल्ट्स एरिया में नयाकार पर साल्ट को एकत्रित करना और ढुलाई

बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एक पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा मई 2005 में अनुमोदित की गई है। कंपनी का पुनरूद्धार पैकेज कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2008-09 के दौरान इसका उत्पादन 26.67 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.32 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी चुकता पूंजी 1 करोड़ रुपए है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और शेष 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अभिदत्त है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल के नमक का उत्पादन कर रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 17.66 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.33 नेपा लिमिटेड

भूतपूर्व नेशनल न्यूजप्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात नेपा लिमिटेड (एनईपीए) प्रारंभ में 1947 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बाद में अक्तूबर, 1949 में राज्य रकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। वर्ष 1959 में केन्द्र सरकार ने इसके ऋणों को इक्विटी में बदल कर इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और यह केंन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बन गया। कंपनी कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। कंपनी की समीक्षा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में की जा रही है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का उत्पादन 106.30 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.34 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में समामेलित किया गया था। कंपनी की काकीनाड़ा मे ही एक इकाई है और यह आटोमोबाईल के टायरों का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण हो गई है और यह बीआईएफआर के विचाराधीन है। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति के बाद कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएसपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। विनिवेश के माध्यम से कंपनी के पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई की सिफारिशें सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। संसद ने टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेट (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 पारित कर दिया है। वर्ष 2008-09 के दौरान उत्पादन 128.37 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.35 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड परियोजनाओं के ठेके पूरे करके देने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसे 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी का प्रचालन क्षेत्र व्यापक है और इसके दायरे में सिविल और संरचनात्मक इंजीनियरी, सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्म, पेट्रोरसायन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। वर्ष 2001

ईपीआई द्वारा यूसीआईएल के लिए बनाया गया ओर प्रोसेसिंग प्लांट, झारखण्ड

में कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के बाद कंपनी मे आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसने लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने 26 वर्ष के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2003-04 से लाभांश अदा करना प्रारंभ किया। कंपनी ने वर्ष 2007-08 के लिए 20% का लाभांश घोषित किया। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 961.42 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का रहा है।

2.36 सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यम नामत: माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएमएसी), भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई), वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल), साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), टेनरी एंड फुट-वियर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को), भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी), नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी), रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (आरआईसी), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बीबीवीएल), रेरॉल बर्न लिमिटेड (आरबीएल), भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल), नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल) और एक धारक कंपनी भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) बंद हो गए है।

अध्याय 3

भारी विद्युतीय, भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग

3.1 भारी विद्युतीय उद्योग एक महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र है और ऊर्जा क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करता है। बॉयलर, टर्बो जेनरेटर, टर्बाइन, ट्रांसफॉर्मर, कंडेन्सर, स्विच गियर और रिले जैसे मुख्य उपस्कर तथा संबद्ध सहायक उपकरणों का विनिर्माण भारी विद्युतीय उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। इस उद्योग का कार्यनिष्पादन देश के विद्युत कार्यक्रम से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। भारत सरकार का ''वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत'' और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में 78,577 मेगावाट की योजनाबद्ध विद्युत क्षमता वृद्धि का महत्वाकांक्षी मिशन है। चक्रण (व्हील) विद्युत तक पहुंचने के लिए विद्युत के पारेषण हेतु क्षेत्रीय पारेषण नेटवर्क और अन्त: क्षेत्रीय क्षमता का विस्तार अनिवार्य होगा। इससे भारी विद्युतीय उपस्करों की मांग को काफी बढ़ावा मिलेगा।

देश में भारी विद्युतीय उपस्करों के विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार है। भारी विद्युतीय उपस्कर के विनिर्माताओं ने थर्मल सेटों के लिए 660/800 मेगावाट की यूनिट क्षमता तक विश्व में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी को आत्मसात किया है। विभिन्न देशों के साथ परमाणु करार पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर और संबद्ध संघटकों के विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन जाना प्रत्याशित है। न्यूक्लियर विद्युत के उत्पादन के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी भारतीय विनिर्माताओं को अभिगम्य होगी और इस क्षेत्र में ''भेल'' और लार्सन एण्ड टूब्रो जैसे बड़े संगठन अत्यधिक लाभान्वित होंगे। राज्य के स्वामित्व वाला न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निकट भविष्य में पर्याप्त क्षमता वृद्धि के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह विकास और समग्र आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए भारी विद्युतीय उपस्करों के विनिर्माण करने की क्षमता इस क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्योग को उच्चतर क्षमता की थर्मल यूनिटें और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंचने के अपने प्रयास को पुन: उन्मुख करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ उन्हें आंतरिक अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना होगा और देश में बड़े आकार की कास्टिंग और फोर्जिंग, सीआरजीओ इस्पात और एमॉरफस इस्पात, जो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियां हैं, की अनुपल बधता जैसे बाधा को दूर करना होगा।

3.1.1 बॉयलर

बॉयलर एक दाबकृत प्रणाली है, जिससे जल को वाष्प में वाष्पीकृत किया जाता है, जो प्राय: ज्वलनशील ईंधनों से दहन के उत्पादों के उच्चतर तापक्रम के स्रोत से स्थानान्तरित उष्मा द्वारा प्राप्त वांछित अंत उत्पाद होता है। इस प्रकार उत्पादित वाष्प का प्रयोग प्रत्यक्षत: उष्मन माध्यम के रूप में अथवा तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए मुख्य चालक में कार्यशील द्रव के रूप में किया जा सकता है, जिसे इसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके पास संगठनों के लिए कोयला, लिग्नाइट तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के संयोजन का प्रयोग करने वाले 30 से 500 मेगावाट क्षमता के स्टीम जेनरेटरों के विनिर्माण की क्षमता है। वे 660/800 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपर क्रिटिकल पैरामीटर वाले उच्चतर क्षमता के बॉयलरों का भी विनिर्माण कर रहे हैं। उच्चतर आकार के सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के विनिर्माण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पिछले दो वर्षों के उत्पादन, आयात और निर्यात

के आंकड़े निम्नानुसार हैं: "भेल" बाजार के हिस्से में लगभग दो-तिहाई हिस्सा रखने वाला देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता है।

क्रम सं.	उत्पादन (गैर-ल.उ.) (करोड़ रु.)#	निर्यात (करोड़ रु.)*	आयात (करोड़ रु.)*
2007-08	8,231	556	845
2008-09	10,154	572@	873@

स्त्रोत: एसआईए *स्त्रोत: डीजीसीआईएस
@ आंकडे दिसम्बर, 2008 तक के हैं।

3.1.2 टर्बाइन और जेनरेटर सेट

औद्योगिक टर्बाइनों सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइन जैसे विभिन्न किस्म के टर्बाइनों के विनिर्माण के लिए स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 10,000 मेगावाट से अधिक है। "भेल" जिसकी सर्वाधिक संस्थापित क्षमता है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में अन्य इकाइयां हैं, जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रयोग के लिए टर्बाइनों का विनिर्माण कर रही हैं। "भेल" की विनिर्माण सीमा में संगठनों और संयुक्त चक्र अनुप्रयोग के लिए 500 मेगावाट तक के स्टीम टर्बाइन, बॉयलर, जेनरेटर शामिल हैं और यह सुपर क्रिटिकल स्टीम साइकिल पैरामीटरों के साथ स्टीम टर्बाइन और 660/800 मेगावाट तक के आकार वाले समतुल्य जेनरेटरों का विनिर्माण करने में दक्ष है। "भेल" के पास 260 मेगावाट तक के गैस टर्बाइनों के विनिर्माण की क्षमता है।

भारत में ए.सी. जेनरेटर उद्योग बड़े और छोटे उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरेलू क्षेत्र की वैकल्पिक विद्युत आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इस क्षेत्र के लिए भारत में विनिर्माता निर्दिष्ट वोल्टता रेटिंग के साथ 0.5 केवीए से लेकर 25,000 केवीए तक के एसी जेनरेटर का विनिर्माण करने में सक्षम हैं।

पिछले दो वर्षों के लिए उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	उत्पादन (गैर-ल.उ.) (करोड़ रु.)#		निर्यात (करोड़ रु.)*		आयात (करोड़ रु.)*	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1. टबाईन	3,518	4,193	622	833@	2,423	2,134@
2. जेनरेटर	1,474	1,778	2,168	2,928@	1,656	834@

स्त्रोत: एसआईए *स्त्रोत: डीजीसीआईएस
@ आंकडे दिसम्बर, 2008 तक के हैं।

3.1.3 ट्रांसफॉर्मर

ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत उपकरण है, जो वोल्टता स्तर परिवर्तित करता है और सर्वाधिक सक्षम और मितव्ययी तरीके से विद्युत का पारेषण, वितरण और उपभोग सुविधाजनक बनाता है। ट्रांसफॉर्मर उद्योग की सुदृढ़ता मुख्त: विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली कार्यक्रम पर निर्भर करती है। इस उत्पाद के मुख्य प्रयोक्ता राज्य विद्युत बोर्ड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग हैं। कुछ विशेष किस्म के ट्रांसफॉर्मरों का भी विनिर्माण किया जाता है, जिनका प्रयोग वेल्डिंग, कर्षण और विद्युत भट्टियों आदि के लिए किया जाता है। भारत में ट्रांसफॉर्मर उद्योग पिछले 50 वर्षों में विकसित हुआ है और इसके पास सुपरिपक्त प्रौद्योगिकी आधार है। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न हानियों और निम्न ध्वनि स्तर वाले ऊर्जा सक्षम ट्रांसफार्मर भी विकसित किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के लिए उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	उत्पादन (गैर-ल.उ.) (मि. केवीए)#	निर्यात (करोड़ रु.)*	आयात (करोड़ रु.)*
2007- 08	73	3,212	3,499
2008-09	72	3,381@	3,760@

स्त्रोत: एसआईए *स्त्रोत: डीजीसीआईएस
@ आंकडे दिसम्बर, 2008 तक के हैं।

3.1.4 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

स्विचगियर का संदर्भ विद्युतीय कनेक्शन समाप्त करने, फ्यूज और / अथवा विद्युतीय उपस्कर को पृथक करने के लिए प्रयुक्त सर्किट ब्रोकरों के रूप में दिया जाता है। स्विचगियर का प्रयोग कार्य करने योर्न और अद्योप्रवाह में त्रुटियां दूर करने के लिए उपस्कर को ऊर्जा रहित करने दोनों के लिए किया जाता हैं। स्विचगियर और कंट्रोलगियर न केवल विद्युत के पारेषण और वितरण परन्तु कहीं भी जहां विद्युत तक अभिगम्यता और नियंत्रण की आवश्यकता है, के लिए भी अनिवार्य है। भारतीय स्विचगियर उद्योग बतक ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वेक्यूम से लेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड तक संपूर्ण रेंज के सर्किट

ब्रोकरों का मानक विनिर्दिष्टयों के अनुसार विनिर्माण कर रहा है। भारत में स्विचगियर और कंट्रोल गियर उद्योग पूर्णत: विकसित और परिपक्व उद्योग हैं जो औद्योगिक तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा आवश्यक स्विचगियर और कंट्रोलगियर की व्यापक मदों का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। वास्तव में यह उद्योग क्षेत्र 240 वोल्ट से 800 केवी तक से संपूर्ण वोल्टता रेंज का विनिर्माण करता है।

त्रुटि (फॉल्ट) संरक्षण की विभिन्न किस्मों के लिए प्रयुक्त रिले जैसे द्वितीयक उपस्कर, जो कंट्रोल गियर के रूप में भी ज्ञात हैं, ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े विकास के कारण काफी उन्नति की है। प्रौद्योगिकीय उन्नति, सुगठित आकार और इसकी विश्वसनीयता के कारण डिजीटल रिले पारम्परिक रिले का तेजी से स्थान के रहे हैं। विद्युत के संरक्षण और नियंत्रण के अतिरिक्त हाल की प्रवृत्ति के अनुसार मानीटरिंग और सिगनलिंग स्विचगियर के अभिन्न भाग बन रहे हैं। मानीटरिंग से त्रुटि (फॉल्ट) की दशाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है जबकि सिगनलिंग विभिन्न स्थानों में स्विचगियरों की स्थिति जानने में सहायता करता है।

पिछले 2 वर्षों के लिए उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	उत्पादन (गैर-ल.उ.) (सं. लाख में)#	निर्यात (करोड़ रु.)*	आयात (करोड़ रु.)*
2007- 08	189	1,613	2,629
2008-09	178	1,373@	2,678@

स्त्रोत: एसआईए *स्त्रोत: डीजीसीआईएस

@ आंकडे दिसम्बर, 2008 तक के हैं।

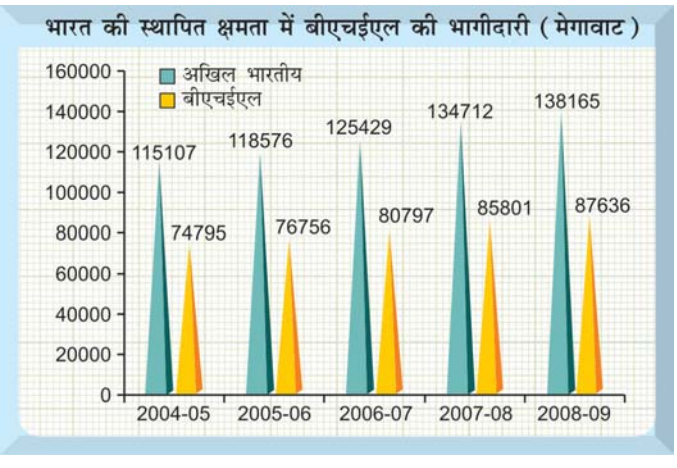

3.2 भारी इंजीनियरी उद्योग

3.2.1 टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

टेक्सटाइल मशीनरी, उनके संघटकों, सहायक उपकरणों और अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्माण में 700 से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं और इनमें से लगभग 250 इकाइयां सम्पूर्ण टेक्सटाइल मशीनरी का विनिर्माण कर रही हैं। इनकी रेंज में छंटाई, रस्सी निर्माण, धागों / फैब्रिक्स का प्रसंस्करण और बुनाई शामिल है। यह उद्योग बदु-फाइबर करार (एमएफए) पश्चात वस्त्र विनिर्माताओं के निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मशीनों की आपूर्ति करने के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। प्रति वर्ष कुल 1500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश और

टेक्सटाइल मशीन

3800 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से उनका वर्तमान उत्पादन तथा साथ ही निर्यात और आयात निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	आयात
2005-2006	2212	476	6768
2006-2007	2799	500	9434
2007-2008	2997	562	7276

स्रोत: टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चर्स एसोशिएशन

3.2.2 सीमेंट मशीनरी उद्योग

देश में 7500 टीपीडी क्षमता तक ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि-कैलसिनेशन प्रौद्योगिकी के आधार पर सीमेंट संयंत्रों का विनिर्माण किया जा रहा है। आधुनिक सीमेंट संयंत्रों को यह ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय नहीं लगे, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ बेहतर उत्पादन हो। इस समय

संपूर्ण सीमेंट संयंत्र मशीनरी के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की संस्थापित क्षमता से उद्योग घरेलू मांग पूरा करने में पूर्णत: सक्षम है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, उद्योग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आयात अथवा निर्यात नहीं किया है।

3.2.3 चीनी मशीनरी उद्योग

घरेलू विनिर्माता वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख स्थान रखते हैं और वे 10,000 टीसीडी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक की क्षमता के लिए अद्यतन डिजाइन के संकल्पना से चालू करने के चरण तक चीनी के संयंत्रों का विनिर्माण करने की दक्षता रखते हैं। इस समय प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से संपूर्ण चीनी संयंत्रों और संघटकों के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 27 इकाइयां हैं।

(लाख रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
आयात	905	2511	2050
निर्यात	3767	1252	2211

स्रोत: डीजीसीआईएस

3.2.4 रबड़ मशीनरी उद्योग

मुख्यत: टायर/ट्यूब उद्योग के लिए अपेक्षित रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत 19 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में विनिर्माण उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्योरिंग प्रेसेज, ट्यूब स्पिलिसर्स ब्लेडर क्योरिंग प्रेसेज, टायर, माउल्डस, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नेट सर्विसर, बायस कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल हैं। तथापि, विशेषकर मिट्टी हटाने के भारी उपस्कर आदि के लिए उच्च गति कैलेंडरिंग लाइन के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में कमी है। उद्योग के लिए आयात/निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
आयात	12.02	34.79	25.38
निर्यात	50.32	98.16	82.09

स्रोत: डीजीसीआईएस

3.2.5 सामग्री प्रहस्तन उपस्कर उद्योग

विनिर्मित उपस्करों की रेंज में क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र, कोयला/अयस्क/राख प्रहस्तन संयंत्र और स्टेकर्स, रिक्लेमर्स, शिप लोडर्स/अनलोडर्स, वैगन टिप्लर्स, फीडर्स आदि जैसे संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, जो कोयला, सीमेंट, विद्युत, पत्तन, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों जैसे मुख्य उद्योगों की बढ़ती हुई और तीव्र परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र में प्रचालनरत कई इकाइयां हैं। यह उद्योग घरेलू मांग की पूर्ति करने में आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूरी करने में भी सक्षम है। तथापि, जैसा नीचे सारणी में दिया गया है, आयात का स्तर निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक है:

(करोड़ रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
आयात	545.54	1552.97	1152.86
निर्यात	77.91	124.27	197.57

स्रोत: डीजीसीआईएस

3.2.6 ऑयल फील्ड उपस्कर

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन हो रहा है। उदारीकरण की चालू प्रक्रिया से उद्योग को तेल की खोज, उत्पादन, तेलशोधन और विपणन के सभी मुख्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप ऑयल फील्ड और संबद्ध उपस्करों की मांग में वृद्धि हुई है।

घरेलू उत्पादन मुख्यत: तटीय ड्रिलिंग उपस्कर शामिल करते हैं। अपतटीय ड्रिलिंग के अधीन केवल अपतटीय प्लेटफॉर्म और कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संरचनाओं का भी स्थानीय रूप से उत्पादन किया जा रहा है। इन उपस्करों के मुख्य उत्पादन ''भेल'', हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव गोदी और लार्सन एण्ड टूब्रो हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात/निर्यात का स्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
आयात	352.84	411.73	4141.76
निर्यात	71.87	72.51	185.11

स्रोत: डीजीसीआईएस

3.2.7 धातुकर्म मशीनरी

धातुकर्म मशीनरी में मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग, साइज रिडक्शन, इस्पात संयंत्र उपस्कर, फाउन्ड्री उपस्कर और भट्ठियां शामिल हैं।

वर्तमान में विभिन्न किस्मों की धातुकर्म मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र में 39 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में उन उपस्करों की मांग पूरी करने के लिए देश में उत्पादन क्षमता पर्याप्त हैं।

देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए अधिकांश उपस्कर अर्थात ब्लास्ट फर्नेस, सिन्टर संयंत्र, कोक ओवन, स्टील मेल्टिंग शॉप उपस्कर, निरंतर कास्टिंग उपस्कर, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। तथापि, लौह और अलौह क्षेत्र में अपेक्षित संयंत्रों और उपस्करों के लिए बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकीय कमी हैं, जिसके लिए घरेलू विनिर्माता आयातित जानकारी पर निर्भर हैं। चूंकि लौह और अलौह धातु निर्माण की प्रक्रिया उपस्कर की डिजाइन से संबद्ध है इसलिए प्रक्रिया जानकारी, डिजाइनकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के बीच घनिष्ठ संपर्क की आवश्यकता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयातों/निर्यातों का स्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
आयात	1200.65	1843.27	1976.13
निर्यात	535.04	643.68	592.47

स्रोत: डीजीसीआईएस

3.2.8 खनन मशीनरी

प्रमुख खनन उपस्करों में लांगवाल खनन उपस्कर, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल), होलेज वाइंडर, वेंटिलेशन फैन, लोड हौल डम्पर (एलएचडी), कोल कटर, कन्वेयर्स, बैटरी लोको, पंप्स, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं।

वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में 32 विनिर्माता हैं, जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन उपस्करों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपस्कर का विनिर्माण करती हैं। खनन उद्योग की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात/निर्यात का स्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
आयात	41.99	76.71	110.61
निर्यात	5.90	48.47	6.59

स्रोत: डीजीसीआईएस

3.2.9 डेयरी मशीनरी उद्योग

वर्तमान में इवेपेरेटर, मिल्क रेफ्रिजेरेटर और भंडारण टंकी, मिल्क एण्ड क्रीम डिओडोराइजर्स, सेंट्रिफ्यूजेज, क्लेरिफायर्स, एजिटेटर्स, होमोजेनाइजर्स, स्प्रे डायर्स और हीट एक्सचेंजर जैसे डेयरी मशीनरी उपस्करों का विनिर्माण कर रही संगठित क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की 20 इकाइयां हैं। लघु उद्योग इकाइयां भी देशी उत्पादन में योगदान दे रही हैं। मिल्क पाउडर संयंत्रों के लिए स्प्रे-ड्रायर्स, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अपर्याप्त पॉलिश के परिणामस्वरूप किसी भी माइक्रो क्रेविसेज के बचे रहने से जीवाणु को सांस लेने और प्रजनन का आधार मिल सकता है।

सेल्फ क्लिनिंग क्रीम, सेपरेटर, एसेप्टिक प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे प्रहस्तन उपस्करों और दही तथा परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए अपेक्षित उपस्कर के लिए प्रौद्योगिकी की कमी मौजूद है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात/निर्यात का स्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
आयात	52.36	68.97	76.19
निर्यात	5.95	10.27	24.25

स्रोत: डीजीसीआईएस

3.2.10 मशीन टूल उद्योग

मशीन टूल उद्योग यहां तक कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को भी सामान्य प्रयोजन और मानक मशीन टूल का निर्यात करने की स्थिति में हैं। पिछले चार दशकों से भारत में मशीन टूल उद्योग ने एक सुदृढ़ आधार स्थापित किया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 200 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही लघु क्षेत्र में भी लगभग 400 इकाइयां हैं। भारतीय उद्योगों में अच्छी डिजाइन दक्षता है और सीएनसी मशीनों का उत्पादन बढ़कर प्रतिवर्ष लगभग 4000 हो गया है। तथापि, इस उद्योग में बहुत उच्च

सूक्ष्मता वाली सीएनसी मशीनों का विनिर्माण करने की डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय मशीन टूल गुणवत्ता/प्रिसीजन और विश्वसनीयता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक विनिर्मित किए जाते हैं। आधुनिक मशीन टूल के इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी लाने के लिए कई सहयोग भी अनुमोदित किए गए हैं और उद्योग अब परम्परागत तथा साथ ही एनसी/सीएनसी उच्च-प्रौद्योगिकी मशीन टूल का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान अधिक उपयुक्त डिजाइनयुक्त मशीन टूल के लिए अनुसंधान कर रहा है। तथापि, निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार, देश में आ रही पुरानी मशीन टूलों के कारण पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात में वृद्धि हो रही है:-

(करोड़ रुपए)

	2005-06	2006-07	2007-08
उत्पादन	1342.00	1719.00	1902.00
आयात	2899.00	4656.00	5992.00
निर्यात	50.00	73.00	147.00

अध्याय 4

ऑटोमोटिव उद्योग

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग की रूपरेखा

4.1.1 ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से सबसे बड़े उद्योगों में से एक और अर्थव्यवस्था का एक चालक है। अर्थव्यवस्था के कई मुख्य खण्डों के साथ इसके गहरे अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के कारण ऑटोमोटिव उद्योग का अर्थव्यवस्था पर सुदृढ़ गुणक प्रभाव है। देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुविकसित भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग व्यापक किस्म के वाहनों जैसे यात्री कार, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, बहुउपयोगी वाहनों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, मोपेड, तिपहिए आदि का उत्पादन करते हुए इस उत्प्रेरक भूमिका को समर्थतापूर्वक पूरा करता है।

4.1.2 नई औद्योगिक नीति की घोषणा से ऑटोमोबाइल उद्योग में जुलाई, 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त हो गया। तथापि, यात्री कार को वर्ष 1993 में लाइसेंसमुक्त किया गया। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर ऑटोमोबाइल के विनिर्माण के लिए कोई इकाई स्थापित करने हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यात्री कारों सहित वाहनों के विनिर्माण के लिए पिछले वर्षों से प्रौद्योगिकी के आयात और विदेशी निवेश के मानदंडों को भी प्रगामी रूप से उदारीकृत बनाया गया है। इस समय यात्री कार खण्ड सहित इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन किसी अवधि की सीमा के बिना 5% के रॉयल्टी और 2 मिलियन अमरीकी डॉलर के एकमुश्त भुगतान पर प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी उन्नयन का आयात भी अनुमत्य है। वर्ष 1991 से ऑटोमोबाइल क्षेत्र का धीरे-धीरे उदारीकरण किए जाने से भारत में विनिर्माण सुविधाओं की संख्या प्रगामी रूप से बढ़ी है। इस समय यात्री कार और बहुउपयोगी वाहनों के 16 विनिर्माता, वाणिज्यिक वाहनों के 13 विनिर्माता, दोपहिए / तिपहिए के 16 और इंजन के 5 विनिर्माताओं सहित ट्रैक्टर के 12 विनिर्माता हैं।

4.1.3 ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक क्षेत्र वाले ऑटोमोटिव उद्योग ने वर्ष 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त होने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्र को मुक्त कर देने से तीव्र प्रगति की है। ऑटोमोटिव उद्योग 2,02,000 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त का चुका है। वह उद्योग 1.31 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। यह उद्योग सरकार के अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी 17% का योगदान कर रहा है।

4.1.4 आज भारत विश्व में दोपहिए का दूसरा सबसे बड़ा और वाणिज्यिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता है; विश्व में सबसे अधिक संख्या में ट्रैक्टर का विनिर्माण करता है और एशिया में यात्री कारों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। विश्व में दोपहिए का सबसे बड़ा विनिर्माता भारत में है। दो दशक पूर्व वाहनों के कुछेक मॉडलों वाले आपूर्तिकर्ता चालित बाजार के पास ग्राहकों के विकल्पों के अनुरूप अब 150 से अधिक मॉडल हैं। देश में समग्र औद्योगिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए उद्योग स्वयं को पुनर्गठित करने, नवीन

प्रौद्योगिकियां आत्मसात करने, और वैश्विक विकास के अनुरूप स्वयं को ढालने में समर्थ हुआ है।

4.1.5 तथापि, वर्ष 2006-07 से उद्योग घरेलू बाजार और निर्माताओं दोनों में बिक्री की गिरावट देख रहा है। वित्त की घटी हुई उपलब्धता, उच्च ब्याज दर, मूल्यह्रास होते हुए डॉलर, पण्य वस्तुओं के बढ़ते मूल्य आदि जैसे सभी कारक इस प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं परंतु वित्त की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।

4.2 उत्पादन

4.2.1 जबकि भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक ऑटोमोटिव उद्योग पिछले दो दशकों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखता रहा है, वहीं वर्ष 2006-07 से कार्यनिष्पादन प्रोत्साहजनक नहीं है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने वर्ष 2006-07 में 13.56% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2007-08 के दौरान उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में 2.29% की ऋणात्मक (-) वृद्धि दर्ज की। तथापि, वर्ष 2008-09 के दौरान उद्योग ने 2.96% की संयंत्र वृद्धि दर्ज की है। पिछले छः वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(हजार में)

श्रेणी	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
यात्री कार	842	951	1046	1238	1426.5	1516.8
उपयोगी वाहन	146	249	263	222	246	218
कुल सीवी	275	350	391	520	549	417
दोपहिए	5625	6527	7609	8466	8027	8419
तिपहिए	341	374	434	556	500.6	501
कुल जोड़*	7229	8461	9734	11088	10853.9	11175.5

* इसमें एमपीवी क्षेत्र का उत्पादन शामिल है।

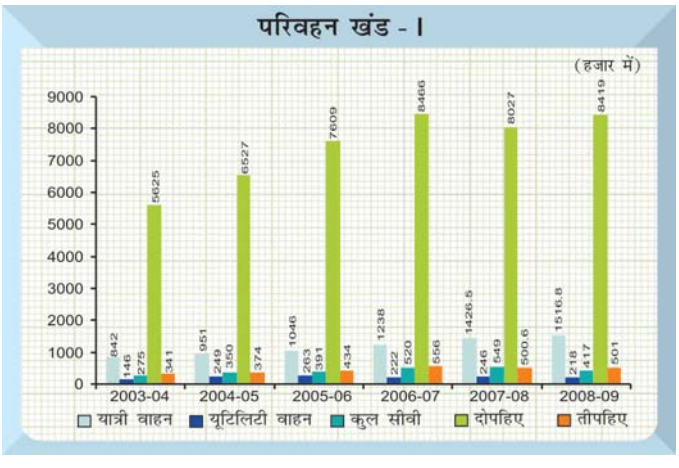

4.2.2 निर्यात

निर्यात ऑटोमोबाईल उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्योग को बड़ी मात्रा में उत्पादन करने तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। भारत के ऑटोमोटिव उद्योग को अब संपूर्ण विश्व में वृद्धिकारी मान्यता मिल रही है और साथ ही वाहनों तक संघटकों के निर्यात से शुरूआत की गई है। पिछले छः वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(हजार में)

श्रेणी	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
यात्री कार	126	161	170	194	218	336
उपयोगी वाहन	3	6	5	4	6	5
कुल सीवी	17	30	41	50	53	37
तिपहिए	265	367	513	619	141	148
दोपहिए	68	67	77	144	819	1004
जोड़	479	631	806	1011	1238	1530
प्रतिशत वृद्धि	55.98	31.73	27.73	25.43	22.45	23.61

स्रोत: एसआईएएम

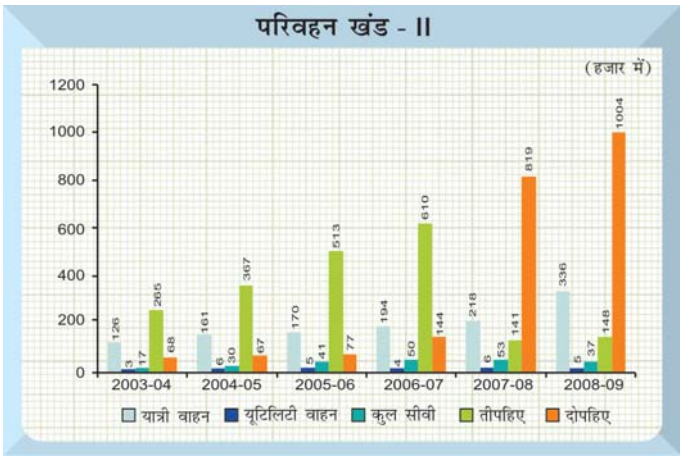

4.2.3 वाहन प्रदूषण नियंत्रण सरकार द्वारा किए गए उपाय

सरकार ने वर्ष 1992 से उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1996 में संशोधित किया गया था, को अधिसूचित करके प्रदूषण और सुरक्षा जांच प्रारंभ की। भारत चरण-1 (यूरो-I के समतुल्य) उत्सर्जन मानदंड देश भर में लागू किया जा चुका है। यूरो-II के समतुल्य भारत चरण-II मानदंड दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के 4 महानगरों में वर्ष 2001 से लागू है। ये मानदंड संपूर्ण देश में दिनांक 1.4.2005 से विस्तारित किए

गए हैं। भारत यूरोपीय विनियमन के साथ चार पहियों के वाहन के लिए अपने उत्सर्जन मानदंड सुसंगत बना रहा है और अप्रैल, 2005 से 11 महानगरों में यूरो-III के समतुल्य मानदंड अपनाए गए है। उत्सर्जन मानकों का अगला उच्चतर स्तर अप्रैल, 2010 से लागू होगा।

4.3 ऑटो संघटक उद्योग

4.3.1 रूपरेखा

ऑटो संघटक उद्योग का भविष्य वाहन उद्योग के भविष्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। वाहन उद्योग में धीमेपन के दृष्टिगत संघटक उद्योग में भी विकास पिछले वर्षों की तुलना में संयंत्र रहा है। संघटक उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में कुल कारोबार में 6% की संयत वृद्धि दर्ज की है। इस उद्योग ने 76,320 करोड़ रुपए की बिक्री का कुल कारोबार प्राप्त किया है। इसने पिछले 5 वर्षों में 24% के सीएजीआर पर विकास किया है। ऑटो संघटक उद्योग में संगठित क्षेत्र में 500 से अधिक और असंगठित क्षेत्र में लगभग 10,000 फर्में हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में ऑटो संघटक उद्योग ने आयातों तथा साथ ही निर्माताओं दोनों में बहुत उच्च वृद्धि दरें दर्शाना जारी रखा है। उद्योग के समग्र निर्यात में वर्ष 2003-07 की 5 वर्ष की अवधि के दौरान 25% के सीएजीआर द्वारा वृद्धि हुई है और यह अब 14,132 करोड़ रुपए के अंक तक पहुंच गया हैं। तथापि, इसके साथ ही ऑटो संघटकों का आयात वर्ष 2007-08 में 21,000 करोड़ रुपए के स्तर को छूते हुए 34% के बहुत अधिक सीएजीआर द्वारा बढ़ा है। वर्ष 2007-08 के दौरान ऑटो-संघटकों के आयात में 30% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2007-08 में निर्यात की वृद्धि दर के चार गुना से अधिक है। तथापि, आयात निमाताओं की तुलना में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और इस समय, भारत ऑटो संघटकों का निवल निर्यातक बन गया है।

4.3.2 उद्योग ने ऑटोमोटिव मिशन योजना (एएमपी) (2006-16) में यथा कल्पित क्षेत्र के दीर्घातधिक विकास में सुदृढ़ विश्वास बनाए रखा है। इसके फलस्वरूप उद्योग क्षमता सृजन में अपना निवेश कर रहा है और इसके लिए वार्षिक रूप से लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यय कर रहा है। यह अतिरिक्त क्षमता मौजूदा कंपनियों में वृद्धिकारी विस्तार तथा साथ ही विशेषकर उत्तरी राज्यों, जहां वाहन उद्योग भी पर्याप्त निवेश कर रहा है, में ग्रीनफील्ड यूनिटें स्थापित करते हुए स्थापित की जा रही है।

4.3.3 गुणवत्ता भारतीय ऑटो-संघटक उद्योग के लिए सदैव लाभ रहा है और कंपनियां इस मोर्चे पर कोई समझौता नहीं कर रही हैं। यद्यपि, 9.5% से अधिक कंपनियां आईएसओ-9000 प्रमाणित हैं फिर भी अधिक से अधिक कंपनियां भी स्वयं को आईएसओ/टीएम और आईएसओ-18000 प्रमाणित के रूप में पंजीकृत करा रही हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल कारोबार, निर्यात और निवेश के रूप में ऑटो संघटक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ में)

इंडीकेटर	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कारोबार	38,500	53,400	64,500	72,000	76,320
	25.6%	38.7%	21%	12%	6%
निर्यात	7,937	11,198	13,184	14,132	15,000
	37%	41%	18%	7%	6%
आयात	9,504	12,115	15,974	20,998	27,500
	45%	27%	32%	30%	31%
निवेश	15,8000	19,5000	24,000	28,8000	32,000
	16%	18%	23%	20%	11%

4.4 कृषि मशीनरी

कृषि मशीनरी में मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कम्बाइन हारवेस्ट और अन्य कृषि

मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर का प्रभुत्व है।

4.4.1 निर्यात

भारत से ट्रैक्टर के निर्यात में वर्ष 2007-08 में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें संयुक्त राज्य का बड़ा हिस्सा है। दक्षिण एशियाई देशों, मलेशिया और टर्की जैसे अन्य देशों के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। भारतीय संगठनों ने सरकारी निविदा आवश्यकताओं की बोली देकर अफ्रीकी देशों को तेजी से निर्यात करना प्रारंभ किया है। इसलिए भारतीय ट्रैक्टरों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकृति प्राप्ति हो रही है।

4.4.2 खण्ड-वार विश्लेषण

1. भारतीय ट्रैक्टर बाजार पारम्परिक रूप से अधिकांशत: 31-40 अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टरों को शामिल करते हुए मध्यम अश्वशक्ति वाला बाजार है, जिसका हिस्सा वर्ष 2007-08 में कुल बाजार में लगभग 46 प्रतिशत है।

2. अन्य आकार की श्रेणियों में 41-50 अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टरों का कुल बाजार में 27% हिस्सा है। 21-30 अश्वशक्ति की श्रेणी वाले ट्रैक्टरों का बाजार में 15% हिस्सा था जबकि 51 अश्वशक्ति से अधिक वाली श्रेणी का बाजार में लगभग 12% हिस्सा था।

3. ट्रैक्टर की मांग को कई कारक प्रभावित करते हैं। प्राथमिक मांग कृषि विकास और द्वितीय मांग ट्रैक्टरों के दोहरे प्रयोग से उत्पन्न होती है।

4.5 मिट्टी हटाने वाली तथा भवन निर्माण मशीनरी

4.5.1 मिट्टी हटाने और निर्माण उपस्कर (ईसीई) उद्योग भवन सामग्री विनिर्माण उद्योग के साथ निर्माण का मुख्य पृष्ठभूमि संदर्भ होता है। निर्माण सामग्री निर्माण लागत के औसत का लगभग दो-तिहाई होती है। निर्माण उपस्कर में हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर, व्हील लोडर, बेरवो लोडर, बुलडोजर, डम्प ट्रक ट्रिपर, ग्रेडर, पेवर, एस्फाल्ट ड्रम/वेट मिक्स संयंत्र, ब्रेकर, बाइब्रेटरी कम्पैक्टर, क्रेन, फोर्क लिफ्ट डोजर, ऑफ-हाईवे डम्पर (20 टन से 170 टन), ड्रिल स्क्रैपर, मोटर ग्रेड, रोप शोवेल आदि जैसी कई किस्म की मशीनरी शामिल होती है। वे जमीन तैयार करने, खुदाई, सामग्री रखने के लिए कर्षण/निर्दिष्ट तरीके से बिछाने; सामग्री प्रहस्तन, सड़क निर्माण आदि जैसे विभिन्न किस्म के कार्य करते हैं। भारतीय मिट्टी हटाने और निर्माण उपस्कर उद्योग पिछले कुछ वर्षों से मूक क्रांति के दौर से गुजरा है और वर्ष 2006-07 में 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (वर्ष 2003-04 में लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर) तक पहुंचते हुए 40 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक दर पर मात्रा का विस्तार किया है। भारतीय बाजार पिछले तीन वर्षों में लगभग 14,000 यूनिट से 38,000 यूनिट तक लगभग तिगुना हो गया है। इसमें वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचकर लगभग 30% की वृद्धि हुई।

4.5.2 भारत में संगठित निर्माण क्षेत्र (यथा सड़क, शहरी अवसंरचना) उद्योग, खनन, सिंचाई का लगभग 55% हिस्सा है और अन्य अवसंरचना खण्ड (यथा विद्युत, रेलवे) का शेष हिस्सा है। उन प्रत्येक अंत-प्रयोग मांग खण्डों द्वारा अतिरिक्त निवेश का विशाल प्रवाह देखना संभावित है, जो भारत में ईसीई उद्योग के सुदृढ़ और सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

4.5.3 सड़क और राजमार्ग, पुल और शहरी निर्माण जैसी मुख्य अवसंरचना परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, रेलवे, हवाईपत्तन आधुनिकीकरण, स्थातर संपदा विकास, खनन क्षेत्र ने हाल के वर्षों में विशाल निवेश आकर्षिक किया है। ये इसके बदले उपस्कर विनिर्माताओं को मुख्य व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हैं।

4.5.4 इन चालक कारकों से भारत के ईसीई उद्योग में कई-गुना विस्तार करने की क्षमता है, जो आज 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के राजस्व से वर्ष 2015 तक 13 बिलियन अमरीकी डॉलर हो सकती है। यह प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत का समग्र रेखीय सीएजीआर अन्तर्निहित करता है।

4.6 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें

भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाईल और ऑटो-संघटक उद्योग के लिए नोडल विभाग होने के कारण इसके विकास के लिए विभिन्न मंचों पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मामले उठाता है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग ने निम्नानुसार कई महत्वपूर्ण पहले की हैं:

4.6.1 ऑटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई)

यह मंच चिंता के मुख्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है, जिसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयुक्त नीति अनुकूलन और

अन्य अभिज्ञात क्षेत्रों में कार्रवाई की जा सकती है। नव-गठित डीसीएएआई की पहली बैठक सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में दिनांक 1.12.2008 को आयोजित की गई थी। भारतीय ऑटोमोटिव और ऑटो-संघटक उद्योगों पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव और स्थिति को दूर करने के उपाय और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

4.6.2 अन्तः मंत्रालयी समूह (आईएमजी) गठन

एएमपी, 2006-16 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रूपरेखा के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु कराधान और निर्यात, निवेश और नीति, सुरक्षा और पर्यावरण, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास, अवसंरचनात्मक और संख्यात्मक सहायता जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर पांच आईएमजी गठित किए गए हैं।

4.6.3 ऑटोमोटिव क्षेत्र पर भारत-जर्मन संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक

ऑटोमोटिव क्षेत्र पर भारत-जर्मन संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) को औद्योगिक और आर्थिक सहयोग पर भारत-जर्मन संयुक्त आयोग के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। यह पांचवां जेडब्ल्यूजी है; अन्य चार समूह कृषि, कोयला, अवसंरचना और पर्यटन के क्षेत्रों में हैं। जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक नई दिल्ली में दिनांक 06.02.2009 को आयोजित की गई थी। जेडब्ल्यूजी के ऑटोमोटिव क्षेत्र पर विचारार्थ विषयों के आशय की घोषणा पर दिनांक 6 फरवरी, 2009 को भारत और जर्मनी के बीच माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) और माननीय मंत्री, परिवहन, भवन और शहरी कार्य, जर्मनी संघीय गणराज्य की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। भारत जर्मन जेडब्ल्यूजी की पहल से अनुसंधान और विकास, सतत् वैकल्पिक ईंधनों और ड्राइव्स तथा ऑटोमोटिव सक्षम इंजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना और सहयोग का अधिक आदान-प्रदान होगा। यह परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में कमी की आवश्यकता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान देने में सहायता करेंगे। जेडब्ल्यूजी दोनों देशों में ऑटो उद्योग के विकास के लिए संख्यात्मक सहयोग भी सुविधाजनक बनाएंगे।

4.6.4 ईएफवी सम्मेलन, 2009

डब्ल्यूपी-29 पहल के एक भाग के रूप में पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाहनों (ईएफवी) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की श्रृंखलाएं आयोजित की जाती हैं। डब्ल्यूपी-29 (संयुक्त राष्ट्र) का 146वां सत्र जेनेवा में नवम्बर, 2008 में आयोजित किया गया था। इस सत्र के दौरान भारत के चौथे ईएफवी सम्मेलन की मेजबानी करने का आशय व्यक्त किया गया था, जिसे डब्ल्यूपी-29 के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गई थी। इसके अनुसार, चौथा ईएफवी सम्मेलन दिनांक 23 से 24 नवम्बर, 2009 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पहली बार ऐसा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किसी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में हो रहा है। ईएफवी की पिछली बैठक वर्ष 2007 में ड्रेस्डेन, जर्मनी में आयोजित की गई थी। वर्ष 2009 में नई दिल्ली में चौथे पर्यावरणीय अनुकूल वाहन सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहयोग और सहायता हेतु दिसम्बर, 2008 में भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच आशय के संयुक्त घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया है।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

5.1 भारत ने भारी विद्युत, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योग, प्रक्रिया उपस्कर, ऑटोमोबाइल, जहाज, विमान, खनन, रसायन, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए व्यापक किस्म के बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है। तथापि, भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम है। विकास की काफी संभावनाएं हैं, जिसे वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने पर आधारित होना होगा। अभिनव परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना प्रतिस्पर्धात्मकता में मुख्य कारक हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था से मुक्त होने और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रवेश ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों और सेवाओं के उत्पादना की आवश्यकता काफी बढ़ा दी है। भारतीय उद्योग ने तेजी से परिवर्तनशील वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाए किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी सहयोग और आंतरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां अपनाने और लागू करने की अपनी योजनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.1.1 ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसरंचना परियोजना (नेट्रिप) को सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2005 को अनुमोदित और भारी उद्योग

सिल्चर में हील रोड ट्रैक का दृश्य – नेट्रिप

विकास द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2005 को अधिसूचित की गई थी। ''नेट्रिप'' प्रत्येक तीन वर्षों के दो चरणों में 1,718 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत में विश्व-स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करता है। प्रमुख सुविधाएं देश के तीन ऑटोमोटिव केंद्रों; दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना का लक्ष्य (i) वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्यनिष्पादन मानक स्थापित करने में सरकार को समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना सृजित करना, (ii) भारत में विनिर्माण गहन करना, रोज़गार की संभावना की महत्वपूर्ण वृद्धि करते और ऑटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स में अभिसरण सुविधाजनक बनाते हुए अधिक मूल्यवर्धन का संवर्धन करना; (iii) निर्यातों में बाधाएं हटाकर इस क्षेत्र में भारत की अधिक निम्न वैश्विक पहुंच बढ़ाना और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बुनियादी उत्पाद परीक्षण, वैधीकरण और विकास अवसरंचना के अभाव को हटाना है।

यह परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करती है:-

(i) हरियाणा राज्य के मनेसर में ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(ii) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप किसी स्थान में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और अनुसमर्थन केंद्र।

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाओं का उन्नयन।

(iv) ग्रीष्म और शीतकालीन पैड सहित लगभग 4,000 एकड़ भूमि पर विश्व-स्तरीय सिद्धकरण स्थल अथवा परीक्षण ट्रैक, जिनके स्थान का निर्णय वैश्विक निविदा देने की प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले विख्यात वैश्विक परामर्शदाता की तकनीकी सहायता से लिया जाएगा।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य में राय बरेली में देश के उत्तरी भाग में दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण और विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण की राष्ट्रीय सुविधा के साथ ट्रैक्टरों और सड़क से अलग रहने वाले वाहनों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र।

(vi) असम राज्य में धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तथा क्षेत्रीय प्रयोगरत वाहन प्रबंध केंद्र।

अनुमोदित निधिकरण पैटर्न

व्यय वित्त समिति की सिफारिशों और सरकार के अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित तरीकों से सरकार और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से 1718 करोड़ रुपए का निवेश निधियन किया जाना प्रस्तावित हैं।

अ. सरकार द्वारा योजना सहायता

अनुदान द्वारा	:	817 करोड़ रुपए
उपकर निधियों द्वारा	:	510 करोड़ रुपए
ऋण द्वारा	:	273 करोड़ रुपए

ब. प्रयोक्ता प्रभार ऑटो : 118 करोड़ रुपए
उद्योग द्वारा अदा किया जाना है।

कुल परियोजना लागत (अ+ब) : 1718 करोड़ रुपए

अभीतक पूरे किए गए कुछ मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार है:

- **शासी परिषद गठित :** भारत सरकार से तीन सदस्य, परीक्षण एजेंसियों से एक सदस्य, उद्योग से तीन सदस्य और सदस्य-सचिव के रूप में मु.का.अ. और निदेशक (नेट्रिप) सहित सोसायटी के ज्ञापन में आठ-सदस्यीय शासी परिषद नामांकित किया गया था। शासी परिषद की पहली बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2005 को आयोजित की गई थी, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। तबसे शासी परिषद ने परियोजना कार्यान्वयन के दिशानिर्देशन के लिए 28 बैठकें आयोजित की हैं।

- **कॉरपोरेट और कार्यस्थल कार्यालय:** ''नेट्रिप'' के कारपोरेट कार्यालय ने 5वां तल, कोर-3, स्कोप कॉम्पलैक्स, लोधी रोड से दिनांक 30 सितम्बर, 2005 से आगे कार्य करना प्रारंभ किया। सभी स्थानों में लघु कार्यस्थल कार्यालय भी प्रचालनात्मक हो गए हैं।

- **वैश्विक परामर्श:** स्पेन के ''इंडियाडा'' के नेतृत्वाधीन परिसंघ को दिनांक 5 नवम्बर, 2005 की ''नेट्रिप'' के लिए वैश्विक परामर्शदाता के रूप में चयन किया गया और ''नैट्रिप'' तथा ''इडियाडा'' के नेतृत्वाधीन परिसंघ के बीच दिनांक 27 जनवरी, 2006 को परियोजना परामर्श करार पर हस्ताक्षर किया गया।

- **परियोजना कार्यस्थल का स्थलाकृति सर्वेक्षण:** वैश्विक परामर्शदाताओं की सहायता से अंतिम रूप दिए गए सर्वेक्षण के लिए विस्तृत तकनीकी विनिर्दिष्टयों के आधार पर बीआरडीई को छोड़कर सभी परियोजना कार्यस्थलों का स्थलाकृति सर्वेक्षण पूरा किया गया है। स्थलाकृति सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े डीपीआईआर तैयार करने के लिए वैश्विक परामर्शदाताओं को निविष्ट के रूप में प्रदान किए गए हैं।

- **विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट (डीपीआईआर):** को नोटिस की शासी परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया और दिनांक 25 जुलाई, 2006 को अनुमोदित किया गया। डीपीआईआर परीक्षण कार्यस्थलों के विश्लेषण, बाजार सर्वेक्षण के परिणाम और विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्यान्वयन समय-अनुसूची पर ध्यान केंद्रित करते हुए परियोजना के तकनीकी ढांचे का वर्णन करती हैं।

- **आंतरिक प्रक्रियाएं और कार्यविधियां तैयार करना:** अधिकार प्राप्त समिति और शासी परिषद के निर्देशों के

आधार पर कार्यकरण को युक्तिसंगत बनाने और परियोजना निष्पादन की क्षमता को इष्टतम बनाने के लिए, बजट और लेखा, कार्यालय कार्यविधियों और अधिप्राप्ति की सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया था। इन कार्यविधिक नियमपुस्तिकाओं को अब अंतिम रूप दिया गया और ''नेट्रिप'' की शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- वर्ष 2007-08 के लिए ''नेटिस'' का वार्षिक लेखा: ''नेटिस'' के ज्ञापन और नियमों के खण्ड 89 के अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की फर्म द्वारा लेखे की सांविधिक लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, वार्षिक लेखे ''नेटिस'' की शासी परिषद द्वारा उसकी 23वीं बैठक में अनुमोदित किए गए और दिनांक 31 जुलाई, 2008 को आयोजित तीसरी वार्षिक आय बैठक में अपनाए गए।

- यूनाइटेड किंगडम सरकार के वाहन प्रमाणिकरण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना: ''नेट्रिप'' ने नैट्रिप के स्थापित हो रहे केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसमर्थन सेवाओं के लिए ऑटोमोटिव निर्यातों हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैध प्रमाणीकरण प्रदान करेन के लिए वीसीए और 'नेट्रिप'' के बीच समझौता ज्ञापन की व्यवस्था करके एक ठोस पहल की है। इस समझौता ज्ञापन पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 को हस्ताक्षर किया गया और यह ऑटो निर्यात को बढ़ावा देगा तथा भारत से बाहर की एजेंसियों से अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैध प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए उद्योग को आने वाली लागत की बचत भी करेगा। समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए ऑटो उद्योग के साथ गुप्त बैठकों की श्रृंखलाएं आयोजित की जा रही है।

5.1.2 पूंजी सामग्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन/अनुसंधान एवं विकास की व्यापक स्कीम

एक कार्यनीतिक क्षेत्र होने के कारण पूंजी सामग्री ने वर्ष 1951 से ही भारत की योजना निर्माण प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। वर्षों से देश रक्षा, तेल और गैस, तेलशोधक संयंत्र, न्यूक्लियर, रसायन और पेट्रो-रसायन, उर्वरक, ऑटोमोबाइल आदि जैसे व्यापक उद्योग खण्डों की सेवा करने के लिए मशीनरी के संपूर्ण रेंज का विनिर्माण करने में सक्षम एक सुदृढ़ इंजीनियरी और पूंजी सामग्री आधार विकसित करने में समर्थ रहा है।

भारतीय पूंजी सामग्री उद्योग ने मंदी की दीर्घकालीन अवधि के बाद आमूल-चूल परिवर्तन देखा है। पूंजी सामग्री के विनिर्माता शीर्ष और निचले स्तर दोनों में उत्कृष्ट वृद्धि का अनुभव करते रहे हैं। उनकी ऑर्डर बुकिंग बहुत सुदृढ़ स्थिति में है।

बढ़ते हुए वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में उद्योग की स्थिर वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए पूंजी सामग्री उद्योग को अब अपने भविष्य को कार्यनीतिक बनाना आवश्यक है। इस संबंध में, भारी उद्योग विभाग ने सीआईआई द्वारा एक अध्ययन कराना अधिदेशित किया था और इसकी कई सिफारिशों पर एक आधुनिकीकरण स्कीम के माध्यम से कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। इस स्कीम का अभिप्राय इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मुख्य नीतिगत पहल करना है। प्रारंभ में यह प्रयास मुख्य पूंजी सामग्री क्षेत्र, यथा भारी विद्युत उपस्कर, प्रक्रिया संयंत्र मशीनरी, खनन और निर्माण उपस्कर वस्त्र, मशीनरी और मशीन टूल उद्योग, जो एक साथ मिलकर पूंजी सामग्री क्षेत्र में कुल उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत होते हैं, को शामिल करेगा।

5.2.1 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे

एआरएआई एक सहकारी अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना भारतीय वाहन और ऑटोमोटिव सहायक विनिर्माताओं और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। एआरएआई भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबद्ध है और इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह एक आईएसओ- 9001- 2000, आईएसओ-14001-2004 और ओएचएसएएस-18001-1999 संगठन है और इसे राष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यताकरण बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा भी इसकी मुख्य प्रमाणीकरण सुविधाओं के लिए मान्यता दी गई है। इसके शासी परिषद में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से सदस्य तथा भारत सरकार से प्रतिनिधिगण शामिल हैं।

एआरएआई वैकल्पिक ईंधनों के इंजनों, एनवीएच-ध्वनि, कम्पन और सख्ती, कम्प्यूटर सहायता प्राप्त इंजीनियरी, संरचनात्मक गतिकी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्रियों के विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। एआरएआई में

अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण सुविधाओं का वृद्धिकारी उपयोग प्रायोजित और आंतरिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा साथ ही अनुसमर्थन कार्यकलापों के लिए किया जाता है।

एआरएआई पूर्ण वाहन इंजनों, प्रणालियों और संघटकों के परीक्षण, प्रमाणीकरण और अनुसमर्थन में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है। अनुसंधान और विकास कार्य से योगदान बढ़ाने और दक्षता सुदृढ़ करने के लिए एआरआई की कल्पना दृष्टि के अनुरूप, प्रौद्योगिकी की कमियों का पता लगाया गया था। उनकी संगतता और वर्तमान आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित आठ अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं :

(i) उच्च निष्पादन वाले 3 सिलिंडर वाला सीआरडीआई यूरो 4 डीजल इंजन की डिजाइन तैयार और विकसित करना।

(ii) यूरो-IV और यूरो-V मानदंड पूरा करने के लिए एचसीसीआई दहन संकल्पना का प्रयोग करते हुए डीज़ल इंजन का विकास।

(iii) यूरो-V मानदंडों के अनुपालनीय 6 सिलिंडर एचसीएनजी (एच2+सीएनजी) इंजन का विकास।

(iv) 4-स्ट्रोक, एक सिलिंडर वाले गैसोलीन इंजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईंधन क्षेपण (इंजेक्शन) प्रणाली विकसित करना।

(v) ऑटोमोबाइल के नैनो विविक्त पदार्थ उत्सर्जन का मापन।

(vi) उत्सर्जन और टिकाउपन के लिए बायो-डीजल का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

(vii) स्थिर-दशा और अल्प स्थायी दशाओं के अधीन इंजन के बाहरी उत्सर्जन का अध्ययन

(viii) भारतीय चालन जनसंख्या के लिए मानवमापीय आंकड़ा मापन।

यूरो-3 और यूरो-4 उत्सर्जन मानदंड पूरा करने के लिए डीजल इंजन की डिजाइन तैयार और विकसित करना ''और'' भारतीय सड़कों पर सड़क की रूपरेखा का मापन और वाहन के टिकाउपन और उसकी सवारी पर उसके प्रभाव का अध्ययन'' नामक दो अनुसंधान और विकास पयिोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं।

भारी उद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित चार अनुसंधान और विकास परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

(क) एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का विकास

(ख) ऑटोमोटिव ग्रेड उच्च दृढ़ता इस्पात (एचएसएस) और अल्युमीनियम मिश्रधातु के रासायनिक, यांत्रिक, भौतिक और गतिय गुणों पर डाटा बैंक सृजित करना;

(ग) बीएस-IV मानदंड की पूर्ति के लिए दोहरे ईंधन डीजल-सीएनजी इंजन का विकास

(घ) बेहतर सवारी के आराम और चालक के कम थकान के लिए लूप सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भारतीय सड़क की दशाओं के लिए वाहन सस्पेंशन का अध्ययन और विकास।

5.2.2 फोर्जिंग उद्योग अनुसंधान संस्थान (एआरएआई फोर्जिंग उद्योग प्रभाग)

फोर्जिंग उद्योग द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को दूर करने और नवीन लागत-सक्षम प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु अभिनव परिवर्तन करने की दृष्टि से एआरएआई-फोर्जिंग उद्योग प्रभाग (एआरएआई-एफआईडी) का सृजन भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, एआईएफआई और भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई) के बीच दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन द्वारा किया गया था।

इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत अर्थात सहायता-अनुदान 22 करोड़ रुपए है और इसे मार्च, 2009 में जारी किए जा रहे अंतिम किस्त सहित किस्तों में जारी किया गया था। विद्युत और जलापूर्ति; भूदृश्य निर्माण, डीजी सेट, यूपीएस आदि जैसी बुनियादी अवसंरचना सहित भवन निर्माण कार्यकलाप पूरा हो गया है।

एआरएआई-एफआईडी में स्थापित परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण सुविधाएं सभी स्तरों पर निरंतर अनुसंधान और विकास की प्रणाली प्रदान करने के लिए हैं। थकान प्रयोगशाला में पावर पैक और एक्चुएटर, इलेक्ट्रो-डायनेमिक शेकर, डायनेमिक टेस्टिंग मशीन जैसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। परीक्षण करने और कास्ट आयरन ईओटी क्रेन, प्रशीतन टावर, परीक्षण जुड़तार, लोड फ्रेम, तर्कशॉप आदि जैसे संघटकों के मूल्यांकन और विश्लेषण में सेवाएं प्रदान करने के लिए

आवश्यक अवसंरचना भी संस्थापित की गई है। प्रयोगशाला ने कनेक्टिंग रॉड, नक्कल ज्वाइंट, एक्सल और बीम, सीट आदि जैसे ऑटो संघटकों का परीक्षण और मूल्यांकन प्रारंभ कर दिया है।

धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है और यह रासायनिक, यांत्रिक, धातुग्राफीय, और गैर-विनाशक परीक्षण में सेवाएं प्रदान करती है। आवश्यक उपस्कर प्राप्त कर लिए गए हैं और उद्योग की सेवाएं दिसम्बर, 2008 में प्रारंभ की गई। धातु विज्ञान प्रयोगशाला में बुनियादी उपस्करों को अतिरिक्त मुख्य सुविधाओं में ऑप्टिकल उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर, इमेज एनेलाइजर, उच्चतापक्रम सुक्ष्मदर्शन, माइक्रो हार्डनेस टेस्टर और अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर शामिल हैं। संघटकों में अवशिष्ट दबाव और इस्पात में प्रतिधारित ऑस्टेनाइट को मापने के लिए एक उपकरण रिसीड्यूअल स्ट्रेस एनेलाइजर का ऑर्डर दिया गया है।

अनुसंधान और विकास केंद्र में बल्क मेटल फॉर्मिंग सिमुलेशन के लिए 16 सीपीयू क्लस्टर के साथ अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर फोर्ज-2008, जो देश में अद्वितीय और बड़ी तथा लघु क्षेत्र की यूनिटों के लिए उपयोगी है, शामिल है। यह सॉफ्टवेयर फोर्जिंग प्रक्रिया के चयन और इष्टतमीकरण, डाईक अवधिकाल सुधारने, धातु प्रवाह का पूर्वानुमान करने, अंतिम निर्मित पुर्जे की यथार्थ ज्यामिती का विश्लेषण करने और त्रुटियों का पूर्वानुमान करने जैसे उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, प्रो-इंजीनियर, यूनीग्राफिक्स, हाइपर वर्क्स-50 एचडब्ल्यूयू और संघटकों की डिजाइन के लिए ऑटो डेस्क इन्वेंटर जैसे सीएई सॉफ्टवेयर अब अनुसंधान और विकास केंद्र में उपलब्ध हैं।

सुसज्जित आधुनिक कक्षाओं, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, सम्मेलन हॉल और बैठक कक्ष सहित प्रशिक्षण केंद्र एआरएआई- एफआईडी में स्थापित किया गया है। संस्थान तकनीकी, प्रबंधकीय, पर्यवेक्षीय और प्रचालनात्मक कुशलताओं में उद्योग के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर चुका है। प्रशिक्षण केंद्र में एक वेबेक्स प्रणाली भी है, जिसके माध्यम से विश्व भर में उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में विशेषज्ञों के साथ परस्पर क्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

यह परियोजना शीघ्र ही फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफआईआरआई) के रूप में इस नाम के अधीन नई सोसायटी के पंजीकृत होने के बाद पुन: नामित की जानी है।

5.3 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास की पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के कुछ कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

5.3.1 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

वर्ष के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास निम्नानुसार हैं:

- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्वलित करते हुए ''भेल'' ने 500 मेगावाट स्टीम टबाईन का एक नया परिवर्ती विकसित किया है। यह डिजाइन क्षमता सुधारती है और कोयले की खपत में प्रतिवर्ष लगभग 8200 टन की बचत करती है। इस डिजाइन को संपूर्ण देश में आपूर्ति और चालू किए जा रहे है 500 मेगावाट के 11 सेटों में वाणिज्यिीकृत किया जा रहा है।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं के उपयुक्त सतत रूप से सुनिर्मित डिजाइन प्रदान करते हुए, ''भेल'' ने कागज उद्योग में अनुप्रयोग के लिए 30-45 मेगावाट की रेटिंग सीमा के लिए स्टीम टर्बाइन का नया मॉडल विकसित किया है। यह टर्बाइन कागज मिल के लिए बड़ी मात्रा में नियंत्रित निष्कर्षण वाष्प (स्टीम) प्रदान करता है।
- अधिक सक्षम उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का विकास करते हुए अपने ग्राहकों के लाभ के लिए ''भेल'' श्रंखला में पांचवा बौद्धिक मशीनों और रोबोटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र

बौद्धिक मशीनों के लिए बीएचईएल का सेन्टर फॉर इंटलिजेंट मशीन्स

(सीआई-आईएमएआर) स्थापित कर रहा है। यह केंद्र कम्प्यूटर एकीकृत विनिर्माण, सामग्री की पहचान और पता

लगाने तथा कागज विहीन विनिर्माण के लिए उन्नत रेडियों आवृत्ति पहचान प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त डिजाइन के एकीकरण, विनिर्माण, अंकीय नियंत्रण तथा निरीक्षण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं। वैश्विक स्थानीकरण प्रणाली (जीपीएस) और जीएसएम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए परेषण और वाहन ट्रैकिंग का भी कार्य प्रारंभ किया गया है।

- भविष्य के क्षेत्रों में अपने विकासात्मक कार्य के अनुरूप, ''भेल'' ने नेनो-प्रौद्योगिकी की अत्यधिक क्षमता को माना है और इस क्षेत्र में विकास तेज करने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश में पहली बार ''भेल'' ने 05-1 कि.ग्रा./घंटा की उत्पादन क्षमता से सुनिर्मित नेनो सामग्रियों के प्रायोगिक-स्तर संश्लेषण के लिए गैस-प्रज्जवलित स्प्रे पाइरोलाइसिस प्रणाली चालू की है। यह प्रणाली विशेष रूप से विभिन्न धातु ऑक्साइड नेनों सामग्रियों के लिए डिजाइन की गई है। अनुप्रयोग के क्षेत्रों में नेनो-संरचित विलेपन, धातुओं में टूट-फूट रोधन सुधारने के लिए सदिटिव, नेनो मिश्रणों, नेनो छिद्रयुक्त जाली विलेपन आदि का विकास शामिल है।
- सशस्त्र सेनाओं को अपने योगदान के रूप में ''भेल'' ने भारतीय सेना के लिए बीईएल की रणनीतिक परियोजनाओं में से एक में प्रयोग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब के लिए 15 प्रशीतन प्रणालियों की डिजाइन तैयार की, विनिर्माण और आपूर्ति की है। ये चल प्रशीतन प्रणालियां सुगठित आत्मनिर्भर हैं और परिवर्तित तापक्रम की व्यापक सीमा में सख्त दशाओं के अधीन और प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं में प्रचालन के लिए उन्मुखीकरण से प्रचालन करती हैं।
- अपने ग्राहक-केंद्रिक उत्पादन उन्नयन प्रक्रिया के भाग के रूप में, ''भेल'' ने एचपीसीएल, विभाग के लिए भारत की सबसे बड़ी रेटिंग (7161 किलोवाट) के प्रेशराइज्य स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर की डिजाइन तैयार की है और उसका विनिर्माण किया है। इस मोटर में वर्धित सुरक्षा की विशेषताएं हैं और उसकी डिजाइन बहुत उच्च जड़ता से ब्लोअर चालन और 450% की सख्त प्रारंभिक धारा सीमाबद्धता पूरी करने के लिए बनाई गई हैं।
- सौर पीवी प्रणालियों की मितव्ययिता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए ''भेल'' ने अपने सबसे बड़े आकार वाले 220 वाट का पीवी मॉड्यूल विकसित किया है। यह विशेषकर ग्रिड से जुड़े अनुप्रयोगों में वृहत्तर वाटक्षमता के मॉड्यूलों के लिए ग्राहकों की मांग पूरी करेगा क्योंकि यह प्रति प्रणाली अपेक्षित मॉड्यूलों की संख्या कम करेगा, जिससे विश्वसनीयता सुधरेगी।
- ''भेल'' ने ट्रांसफॉर्मर विसंवाहन की दशा का आकलन करने के लिए एक नई गैर-विद्युतीय यूएचएफ-पीडी (अल्ट्रा वाई फ्रिक्वेंसी-पार्शियल डिस्चार्ज) मापन तकनीक विकसित की है। यह विधि उच्च वोल्टता (800-1200 केवी) पारेषण प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है।
- संपूर्ण समाधान प्रदायक के रूप में अपनी स्थिति पुनर्वलित करते हुए ''भेल'' ने वेस्टर्न माउन्टेन पावर प्रोजेक्ट; लीबिया में एक अनुरक्षण नियंत्रक (एकीकृत परिसंपत्ति प्रबन्धन और निर्णय समर्थन प्रणाली) विकसित की है। और उसे सफलतापूर्वक चालू किया है। ''भेल'' और टीसीएस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सॉफ्टवेयर पावर पैक-जी के आधार पर यह संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र अनुप्रयोग के लिए पूर्ण विद्युत संयंत्र अनुरक्षण हेतु एक प्रणाली हैं और किसी विद्युत स्टेशन की सभी अनुरक्षण आवश्यकताओं की देखरेख करती है।
- आधुनिक और अधिक सक्षम ढुलाई समाधान प्रदान करने के ''भेल'' के प्रयास के भाग के रूप में, ''भेल'' ने पहली बार सफलतापूर्वक अंगोलियाई रेलवे के लिए आपूर्ति किए जाने वाले 20 की संख्या में निर्यात ऑर्डर के विरूद्ध 350 अश्वशक्ति वाले डीजल विद्युत बाहु यूनिट (डीईएमयू) के लिए कर्षण मोटर का विकास, विनिर्माण और परीक्षण किया।
- तेल क्षेत्र में ग्राहकों के लिए महत्व बढ़ाने के लक्ष्य से ''भेल'' ने पहली बार ओएनजीसी से एक ऑर्डर के विरूद्ध ऑयल रिंग के अनुप्रयोग के लिए उच्चतर रेटिंग वाले 1430 केवीए ब्रुशरहित एल्टरनेटर की डिजाइन तैयार की है। एल्टरनेटर दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित रिगों में स्वत: प्रारंभ होने की सुविधा प्रदान करेगा, जो मॉजूदा 1215 केवीए एल्टरनेटरों में संभव नहीं था।
- ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए डिस्क इन्सुलेटर की अपनी सीमा बढ़ाने के लिए ''भेल'' ने देश में पहली बार 320 केएन/420 केएन रेटिंग का एचवीडीसी डिस्क इन्सुलेटर विकसित किया है। ±800 केवी एचवीडीसी पारेषण प्रणालियों में अनुप्रयोग के लिए ''भेल'' विश्व में इन इन्सुलेटरों का विकास और परीक्षण करने वाला विनिर्माता होगा।

एचपीसी का सीएमपी वाशिंग प्लांट

5.3.2 हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. (एचपीसी)

- एचपीसी में किए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है :
- ब्लैक लिकर के डिसिलिकेशन पर प्रयोगशाला स्तर अध्ययन
- कप्पा संख्या, उत्पादन और रासायनिक मांग पर प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न सक्रिय क्षारीय आवेश पर बांस की विभिन्न प्रजातियों को पकाने पर प्रयोगशाला स्तर अध्ययन
- परीक्षण के रूप में रसायनों से सोडारिकवरी बॉयलर की सफाई।

5.3.3 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप निम्नलिखित क्षेत्रों में किए जाते हैं:

- रसायन-यांत्रिकी लुगदी की पेरोक्साइड ब्लीचिंग में उच्चतर गाढ़ापन बनाए रखने पर लुगदी का चमकीलापन बढ़ाना।
- रसायन-यांत्रिकी पल्प कार्य में उत्पादन और पेरोक्साइड की खपत पर प्रजातियों, अवधि और पकाने का प्रभाव।
- सरकण्डों और बांस की रासायनिक लुगदी की ईसीई (अवयवी क्लोरिन मुक्त) ब्लीचिंग।
- अधिक उपज देने, शीघ्र उगने और रोग-रोधक प्रोपेगुल विकसित करने के लिए अत्याधुनिक टिशू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित करना।
- रसायन-यांत्रिकी लुगदी की ब्लीचिंग में डीटीपीए का प्रभाव।
- पॉलिमर का प्रयोग करते हुए आरएसटी फिल्टर में निस्सारी गाद की निर्स्यंदिता सुधारना।
- लौह क्लोराइड से निस्सारियों का रंग हटाना।

5.3.4 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

- उत्पाद विकास
- ऑटोरिक्शा (3-सीट वाले) और भारत वाहक अनुप्रयोग के लिए सीएनजी/एलपीजी मोड में ग्रीव्स जीएल-400 एजी गैसोलिन इंजन से तिपहिए का विकास
- सीएमवीआर-2010 के अनुसार नए उत्सर्जन मानदंडों और अन्य नियमों को पूरा करने के लिए मौजूदा उत्पादों का उन्नयन।
- ''जागृति परियोजना के अधीन कोई समस्या नहीं वाहन'' का विकास प्रणाली/उप-प्रणाली में उपयुक्त डिजाइन और प्रक्रिया परिवर्तनों के माध्यम से उत्पाद कार्यनिष्पादन में सुधार। परिवर्तन/सुधार के लिए विक्रेताओं के साथ सहयोगात्मक कार्य से हाथ में लिए गए संघटकों में वेल्डेड फ्रेम, व्हील रिम, फोर्क, निकास प्रणाली, क्लच आदि शमिल हैं।

5.3.5 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)

कृषि-डेयरी खण्ड के लिए निम्नलिखित नए उत्पादों का विकास प्रारंभ किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

- ऑप्टिकल मिल्क एनेलाइजर मिनी की डिजाइन और विकास नमूना मात्रा पर पृष्ठभूमि जानकारी से प्रारंभ किया गया था। मिल्क चैम्बर और ज्ञापन उपकरण की तदनुसार डिजाइन पुन: तैयार की गई थी। उत्पाद अब क्षेत्र में यथा उपलब्ध 50 एमएल की नमूना मात्रा स्वीकार करता है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए निर्गमन के पूर्व उत्पाद का क्षेत्र परीक्षण किया गया था।

- अल्ट्रासोनिक मिल्क एनेलाइजर की डिजाइन और विकास-बाजार की महत्वपूर्ण आवश्यकता और मैसर्स 'एलिको' में यूएमए के विकास में विलम्ब को देखते हुए डिजाइन की समीक्षा की गई थी और परीक्षण परिणामों और प्राप्त जानकारियों के आधार पर उसे संशोधित किया गया था। संशोधित रूप का सफलतापूर्वक क्षेत्र परीक्षण किया गया है। यह डिजाइन ट्रांसफॉर्मर आधारित है और पूर्णत: देशी है। 100 यूनिटों में परीक्षण उत्पादन के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
- स्कूलों अथवा किसी संस्थान में प्रयोग के लिए आरई प्रभाग की आवश्यकता पर सौर ई-बेल विकसित किया गया। सौर ऊर्जा के माध्यम से बैटरियों को आवेशित करने के अतिरिक्त, कंट्रोलर एक टाइमर के रूप में कार्य करता है और पूर्व-चयनित अंतरालों पर घंटी बजाता है। कंट्रोलर के माध्यम से आघातों की संख्या और समय की प्रोग्रामिंग की जा सकती है।
- उच्च रेंज वाला आरएफआईडी रीडर-क्षेत्र से जानकारी के आधार पर कार्य दशा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रीडर की डिजाइन संशोधन की गई थी। संशोधित रीडर में पूर्व में 4-6 इंचों की तुलना में अब 10-12 इंचों की पठन रेंज है। रीडर ने कार्यकलापों को सुगम बनाया है तथा पठन अवधि कम किया है।
- डेयरी उद्योग को मिश्रण-रोधी विश्वसनीय घोल प्रदान करने के लक्ष्य से एक डिजीटल ईएमटी की डिजाइन और विकास किया गया। डिजीटल ईएमटी ट्रांसफॉर्मर, चार्जर पीसीबी और संबद्ध सर्किट को हटाता है और एसएमपीएस का प्रयोग करता है। नई मशीन न केवल 3 किलोग्राम हल्की है बल्कि उत्पादन में लागत प्रभावी भी है।
- स्मार्ट ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर (स्मार्ट ऑटो ईएमटी) आंतरिक अनुसंधान और विकास द्वारा संगर्मित और विकसित एक और उत्पाद है। इस उत्पाद में दुग्ध संग्रहण आंकड़ों का प्राप्त और संसाधित करने तथा आगे संसाधित करने के लिए केंद्रीयकृत स्थान में भेजने हेतु उसे स्मार्ट कार्ड में अंतरित करने के साथ ऑटो ईएमटी के सभी लाभ हैं। स्मार्ट ऑटो ईएमटी विशेष रूप से बड़ी संख्या में सदस्यों वाले तथा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रबंधित प्रतिष्ठानों में प्रयोग के लिए विकसित किया गया है।
- पावर स्ट्रोक यूनिट की डिजाइन और विकास मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टरों के साथ प्रयोग के लिए प्रचालन को हस्तचालन से स्वचालन में बदलने के लिए किया गया। यूनिट बड़ी संख्या के नमूनों वाले स्थानों में अत्यधिक उपयोगी है।

5.3.6 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए गए थे, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- वाहक पर अधिकतम 1000 कि.मी. ब्यास और अधिकतम 12000 कि.मी. की लंबाई वाले जॉब के प्रिसीजन टर्निंग के लिए चार गाइडवे हैवी ड्यूटी सेंटर लेथ मॉडल: एलसी 125 एचडी की डिजाइन तैयार की गई है।
- धातु पिंड/स्लैग/फोर्जिंग जिनका कड़ापन 400 बीएचएन है, में 300 कि.मी. ब्यास के छिद्रण और 12 कि.मी. छिद्रण गहराई तक 110 कि.मी. के ठोस छिद्रण के लिए सीएनसी डीप होल बोरिंग मशीन की डिजाइन तैयार की गई है।
- 50 आरएमपी तक के टेबल की उच्चतर गति के लिए बड़े आकार वाले रोलर थर्स्ट बियरिंग के साथ 4000 कि.मी. टेबल ब्यास सहित 2 रेम हेड वाली 6-अक्ष सीएनसी डबल कॉलम वर्टिकल टर्निंग और बोरिंग मशीन, मॉडल बीवी 40/50 एनएम की डिजाइन की गई है।
- कंपनी के हैवी मशीन निर्माण संयंत्र के अनुसंधान और उत्पाद विकास ने सफलतापूर्वक निम्नलिखित मदों की विस्तृत डिजाइन और ड्राईंग विकसित की:-
- एनआईएनएल द्वारा प्रदान की गई बुनियादी जानकारी

और इंजीनियरी के आधार पर एनआईएनएल के लिए बुनियादी ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) शॉप के सहायक उपस्कर:

- चिपटे तल से डिश सिरे वाले चार्जिंग स्पाउट सहित शंक्वाकार 120 टन हॉट मेटल चार्जिंग लेडल।
- चिपटे तल से डिश सिरे वाले और स्लाइड गेट तथा लेडल तल के लिए गैस विलोड़न के लिए आईपीवी छिद्रित प्लग से सज्जित स्टील शंक्वाकार 110 टन का स्टील टीमिंग लेडल।
- स्क्रैप की कन्वर्टर में डालने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 20एम 3 निर्मित स्क्रैप बॉक्स।
- ग्राहकों की आवश्यकता और ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई विनिर्दिष्टियों के उपयुक्त विभिन्न क्षमता वाले क्रेन।
- बीएसएल, बोकारो के लिए 58 लदे हुए रेल वैगनों के प्रहस्तन हेतु 6000 टन वैगन पुशर मशीन। पहली बार वक्र रेल मार्ग पर चालन और वैगन पुशर की पार्किंग के लिए रेल क्लैम्पिंग उपकरण जैसी विशेषताओं के साथ 6000 टन क्षमता वाले वैगन पुशर की डिजाइन तैयार की गई।

5.3.7 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रण सहित विभिन्न उत्पादों के अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक विनिर्माण इकाई में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया है। एचएमटी के सीमा क्षेत्र में विभिन्न उत्पाद क्षेत्र में किए गए योजनाबद्ध एवं विकास कार्यकलाप की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित है :

ट्रैक्टर

(1) 25-50 अश्वशक्ति के लिए ट्रैक्टर उत्सर्जन मानदंड; भारत (टर्म-IV) चरण-III क जो दिनांक 01.04.2010 से और 50 और उससे अधिक की अश्वशक्ति के लिए दिनांक 01.04.2011 से लागू होगा, को पूरा करने हेतु इंजन प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जाना होगा।

इंजन प्रौद्योगिकी अधिग्रहित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त हो गई है और वह मूल्यांकनाधीन है।

(2) समतुल्य हाइड्रॉलिक्स के साथ ट्रैक्टर पारेषण के उन्नयन के लिए भी ईओआई प्रकाशित किया गया है।

मशीन टूल

कंपनी ने अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभिन्न उत्पादों हेतु स्वयं अपनी अनुसंधान और विकास सुविधाएं स्थापित की हैं। अनुसंधान और विकास का ध्यानाकेंद्रण उत्पादन प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त विशेषताओं के साथ मौजूदा उत्पादों के उन्नयन के प्रगामी रूप से आत्म निर्भरता प्राप्त करने पर हैं। इस दृष्टिकोण से वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित उत्पादों का विकास हुआ है:

- एक्सल विनिर्माण मशीनिंग केंद्र वीएमसी-400 एम
- स्वचलन और पोस्ट-प्रोसेसर के साथ एसबीसीएनसी-40
- सुधरे हुए भरण और संरक्षण के साथ शेल टर्न सीएनसी
- 5-एक्सल वाली सीएनसी हैवी ड्यूटी बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन मॉडल एचसीजी 56 सीएनसी
- ऑटो हाईड्रोलिक क्लैपिंग और डिक्लैपिंग क्रेंक शाफ्ट के साथ 5 एक्सल सीएमसी क्रेंक शाफ्ट पिन गाईडिंग मशीन
- केन्द्र-रहित ग्राइंडिंग मशीन मॉडल ''फेस एण्ड चैम्बर'' ग्राइंडिंग मशीन

5.3.8 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

कंपनी सीमेंट संयंत्रों में इस्पात और रोटरी क्लिन में उषमा की संख्या वृद्धि के लिए अल्युमिना मैग्नेशियम कार्बन और मैग्नेशियम अल्युमिना ईंटों के स्तरोन्नयन हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए सीजीसीआरआई के साथ करार करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, वैगन विनिर्माता यूनिट भी भारतीय रेलवे के लिए स्टेनलेस

स्टील के वैगनों का विनिर्माण करने के लिए अवसंरचना विकसित करने का प्रयास कर रही है। बीएससीएल में प्रारंभ किए गए अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है:

बर्नपुर वर्क्स

- उच्चतर वहन क्षमता सहित 25 टन एक्सेल लोड वैगन का विकास।

सेलम वर्क्स

- राऊरकेला इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मेटल जोन और नॉन-इम्पेक्ट जोन में प्रयुक्त लेडल्स के लिए निम्न लागत वाली मैग्नेशियम कार्बन ईंटों का विकास।
- सस्ती-कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी किस्म का मैग्नेशियम क्रोम/क्रोम मैग्नेशियम ईंटें विकसित।

5.3.9 ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल):

ब्रेथवेट कंपनी रेलवे के लिए स्टेनलेस स्टील के वैगनों तथा साथ ही निजी क्षेत्र और समुद्रपारीय ग्राहकों के लिए भी वैगन का विनिर्माण करने हेतु मौजूदा अवसंरचना को विकसित/ पुन: मार्जित करने का प्रयास कर रही है। बीसीएल प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि से ब्रिज गर्डर निर्माण, कॉलम संरचना विनिर्माण, सिविल संरचना, क्रेन विनिर्माण जैसे अपने गैर-मुख्य क्षेत्र के प्रचालन में भी प्रवेश कर रहा है।

5.3.10 ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

केबल स्टेड ब्रिज सहित स्टील ब्रिज के विनिर्माण क्षेत्र में सामान्य प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त कंपनी ने ब्लॉक अवधि टन चालन लाइन के दौरान पुराने पूर्व का स्टील ब्रिज को बहुत अल्पावधि में नव निर्मित गर्डरों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी निर्माण स्कीम विकसित की है। यह नव-विकसित स्कीम का अनुप्रयोग पूर्वी रेलवे की परियोजनाओं में सफलतापूर्वक किया गया है। हाल ही में बीबीजे ने 60एम/450एम ट्रस्ड ब्रिज का अग्र प्रारंभ विकसित किया है, जिसका प्रयोग सफलतापूर्वक डीएमआरसी की परियोजना में किया गया था।

5.3.11 ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएण्डआर)

कंपनी निरंतर रूप से अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ प्रौद्योगिकी को अघटन करने और गुणवत्ता मानकों के उन्नयन के लिए कार्रवाई करती रही है। यह क्रॉस कंन्ट्री पाइपलाइन राजमार्गो और एक्सप्रेसवे के यांत्रिकीकृत निर्माण दिल्ली में मेट्रो रेल, भट्ठी और उष्मक ताप विद्युत स्टेशनों में मुख्य बॉयलर कार्य, अल्युमिना के लिए भंडारण सिलो, बेली ब्रिज, रेल वैगन, जलापूति और मल-जल व्ययन प्रणाली एलएसटीके परियोजना जैसे कई विविधीकृत क्षेत्रें में सफल प्रचालन स्थापित कर चुकी हैं।

कंपनी ने गुणवत्त प्रबंध प्रणाली के उन्नयन के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कंपनी को टैंक निर्माण और बेली ब्रिज तथा वैगनों के विनिर्माण मे आईएसओ 9001-2000 प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जा चुका है।

5.3.12 एन्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी ने अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में निम्नलिखित उत्पादों विकसित किए है:

- 10 दाब पोषित व्हाइट मेटल बियरिंग वाले औद्योगिक पंखे
- ईडी पंखे के लिए इनलेट साइलेन्सर आकार 700x1200 किमी. 1500x6000 और 600x1800 किमी.
- 1600 एम्पीयर 11 केवी इन्डोर वीसीएम डिजाइन उन्नयन और परीक्षण
- 33 केवी पीसी वीसीबी का डिजाइन उन्नयन
- कैपेसिटर बैंक स्विचिंग परीक्षण के लिए यूल एचईएजी निर्मित 11 केवी. 20केए, 630ए आउटडोर वीसीबी का वैधीकरण परीक्षण
- उपयुक्त रूप से आंतरिक आर्क के लिए कम चौडाई और स्पष्ट डिब्बायुक्त इन्क्लोजर के लिए 12 केवी वीसीबी इन्डोर पैनल की पुन: इंजीनियरयुक्त डिजाइन

- एसएफ 6 गैस भरण का प्रावधान करने के लिए 36 केवी आउटडोर वीसीबी की पुन: इंजीनियरीयुक्त डिजाइन
- मूल्य इंजीनियरी और एबीबी इनटरप्टर अपनाने के लिए 36 केवी आउटडोर वीसीबी की पुन: इंजीनियरीयुक्त डिजाइन

5.3.13 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

पिछले दस या इतने ही कुछ वर्षो के दौरान कंपनी अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर बल देती रही है क्योंकि कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन में बुनियादी अनुसंधान और विकास अंत प्रयोक्ताओं, जो बड़े प्रक्रिया उद्योग हैं, द्वारा ''सिद्व प्रौद्योगिकी'' के आग्रह के कारण व्यापक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तथपि, इलेक्ट्रॉनिक बेलास्ट लाइट सेंसिंग स्विचिंग उपकरण, उच्चक्षमता के कंट्रोल वाल्व, कंपैक्ट स्प्रिंग वाहित एक्चुएटर और उनके परिवर्ती, शीघ्र परिवर्तन ट्रिम सहित दाब संतुलित कंट्रोल वाल्व (जो 500 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम सहन कर सकते हैं) जैसे विभिन्न उत्पादन, नोज फयूज, आरपीएल डोसीमीटर रीडर, फायरिंग उपकरण आदि जैसे रक्षा सेवा की भवे विकसित की गई हैं। ये सभी उत्पाद रेंज में वृद्विया हैं।

पिछले वर्ष कोटा यूनिट ने निम्नलिखित उत्पादों के लिए आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त किया है:

- न्यूक्लियर अनुप्रयोग के लिए सोलेनॉयड वाल्व
- गली हुई धातु का तापक्रम मापने के लिए थ्रोअवे थमोकिपल्स
- मिनेच्योर इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर

5.3.14 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड

- टर्नकी परियोजना निष्पादक संगठन के रूप में, ईपीआई उन्नतशील प्रौद्योगिकियों की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय दक्षता, सामग्रियां और विधियां विकसित करने के लक्ष्य से अपनी डिजाइन और इंजीनियरी कार्यकलाप संगठित करने का उद्देश्य रखता है। अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का ध्यान उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाते समय लागत की कमी प्राप्त करने जैसी उत्पादन चक्र में कार्यनिष्पादन और क्षमता सुधारने पर केंद्रित हैं। विशिष्ट बल डिजाइन की सुधरी हुई विशेषताएं तैयार करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के साथ भारतीय दशाओं में सामग्रियों के प्रयोग पर दिया जाता है। मृदा इंजीनियरी अनुप्रयोगों में प्राकृतिक देशा-आधरित सामग्रियों को सफल प्रयोग, बही मात्रा में नदी तट कंकीर में भू-वस्त्रों का प्रयोग कुछ क्षेत्र हैं, जहां देशी रूप से विकसित सामग्रियों और प्रक्रियाओं ने कंपनी को निर्माण उद्योग में अद्वितीय स्थान प्राप्त करने में समर्थ बताया है। आंतरिक डिजाइन, यूरेनियम अयस्क संसाधन संयंत्रों ने ईपीआई की दक्षता और सुदृढ़ की है।
- अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रशसित अपने संपूर्ण प्रचालन की सीमा शामिल करते हुए आईएसओ 9001-2000 गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली और आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंध प्रणाली के प्रमाणीकरण कंपनी को प्रदान किया गया है। संगठन के पास उपलब्ध अघटन प्रौद्योगिकियों में एसिड सांद्रण संयंत्र, रसायन प्रक्रिया संयंत्र रोज अर्थ के निष्कर्षण के लिए विशिष्ट अयस्क शोधन संविधाएं आदि शामिल हैं। ईपीआई पारम्परिक खुली कटाई विधि की बजाय खंदक रहित प्रौद्योगिकी (माइक्रो टनलिंग प्रौद्योगिकी) के प्रयोग द्वारा भूमिगत मल-जल और निवासी लाइन बिछाने की परियोजनाएं निष्पादित कर रहा है। यह प्रौद्योगिकी न्यूनतम खुदी सामग्री और निपरान आवश्यकता और किसी पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्थाओं (भूतल, यातायात के और, कंपन आदि) के बिना तेजी से भूमिगत पाइप बिछाने के कार्य करती हैं।
- आधुनिक औद्योगिक परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष परियोजना आधारित सहयोगों की भी व्यवस्था की जाती है। ईपीआई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अघटन विकास से अवगत रहने और औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के वैश्वीकरण के प्रभावाधीन नई प्रत्तियां अपनाने के प्रयास किए जाते हैं।

5.1.15 भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड

अनुसंधान और विकास : अनुसंधान और विकास प्रभाग द्वारा कंपैक्ट फिन किस्म के हीट एक्सचेंजर की डिजाइन तैयार विकसित और उसकी एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट

एजेंसी (एडीए), बंगलौर को आपूर्ति की गई। इस गतिविधि के आधार पर एचएएल, बंगलौर से ऐसे और हीट एक्सचेंजरों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त किए गए हैं।

अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित है:

- वर्ष 2008-09 कें दौरान 8 कंपैक्ट हीट एक्सचेंजरों का निर्माण, सफलतापूर्वक परीक्षण ओर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर सुपुर्दगी की गई। सीमा क्षेत्र में तेजास लाइठ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) के सीमित श्रृंखला उत्पादन (एलएसपी) के लिए निर्माण, परीक्षण, निरीक्षण और सुपुर्दगी शामिल है।
- एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी (एडीए), बंगलौर को तेजास एयरक्राफ्ट के लिए तीन प्रिकूलर यूनिटों की सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास, निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति की गई।
- सफलतापूर्वक डिजाइन विकास और परीक्षण पूरा करने के बाद इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम को अल्युमीनियम प्लेट-इन कंपैक्ट हीट एक्सचेंजर की आपूर्ति की गई।
- लड़ाकू विमानों के लिए विमान पर ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली (ओबीओजीएस) के लिए दो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर विकसित किए गए और उनकी एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी (एडीए), बंगलौर को आपूर्ति की गई।
- बीएचपीवी को भारतीय हल्के लडाकू विमान (एलसीए) ''तेजास'' के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास द्वारा सफलतापूर्वक विकसित 8 किस्म के कंपैक्ट हीट एक्सचेंजरों के लिए किस्म प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। यह प्रमाणपत्र बीएचपीवी में एक समारोह में दिनांक 30.03.2009 को सैन्य हवाई योग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र द्वारा प्रदान किया गया था।

5.3.16 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पलक्कड़

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) प्रवाह ज्ञापन संबद्ध सेवाओं और समाधान में प्रमुख सुविधादाता संस्थान है। एफसीआरआई में प्रवाह केंद्र प्रवाह मापन

तत्कालीन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री संतोष मोहन देव को एफसीआरआई, पाल्लाकाड में एयरफलो लैबोरेटरी के विषय में जानकारी देते हुए

के लिए पता लगाए गए योग्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कार्य करता है, जो विश्व में प्रवाह सुविधाओं का सर्वाधिक व्यापक सेट है और भारत में उद्योग के लिए एक अद्वितीय संसाधन प्रदान करता है। सभी सुविधाएं वाणिज्यिक चिन्हांकन, मूल्यांकन और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए प्रदान की जाती हैं।

संयुक्त उद्योग परियोजनाओं, नियमित सेमिनार, कार्यशालाओं के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र, जल उद्योग, विद्युत उद्योग, प्रक्रिया/विनिर्माण क्षेत्र, ऑटोमोटिव क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ सुदृढ़ संपर्क स्थापित किए गए हैं और उद्योग/शैक्षणिक संस्थानों के लिए एफसीआरआई की सहायता से प्रवाह मापन से संबद्ध विशिष्ट मुद्दों पर सम्मेलन किए जाते हैं।

संस्थान प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी करता है और अभी तक उसने स्वयं को परामर्श, परीक्षण, प्रमाणीकरण और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों के लिए प्रशिक्षण जैसी अनुमोदित प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए समर्पित विशिष्ट द्रव इंजीनियरी अनुसंधान संस्थानों में से एक बनाते हुए 125 परियोजनाएं पूरी की हैं।

यह संस्थान प्रवाह मापन प्रणालियों / इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण निकाय के रूप कार्य करता है। यह आईएसओ 9000/आईएसओ 17025 श्रृंखलाओं के मानदंड के अनुसार गुणवत्ता अनुपालन प्राप्त करना और प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का निष्पादन सुविधाजनक बनाता है।

एफसीआरआई ने 26 से 28 सितम्बर, 2007 के दौरान वैश्विक सम्मेलन-फ्लोटेक-जी, 2007 सफलतापूर्वक

संचालित किया। इस समारोह में संपूर्ण विश्व से 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उद्योग से विभिन्न प्रवाह उत्पादन विनिर्माताओं द्वारा लगाए गए 50 से अधिक स्टॉल में व्यापक भागीदारी भी देखी गई थी। निष्पादनाधीन/पूरी की गई परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ट्रांजिएट धारा-जल मिश्रण के लिए वेन्टूरी के सहयोग से गामा किरण क्षीणता तकनीकी का प्रयोग करते हुए। मल्टीफेज फ्लोमीटर के उच्च दाब, उच्चताप क्रम मॉड्यूल की डिजाइन तैयार और विकसित करना।
- पाइप की फिटिंग के प्रोटोटाइप परीक्षण के एन्ड्योरेंस टेस्ट बेंच की आपूर्ति सफलतापूर्वक पूरी की गई है।
- परियोजना की अंतिम रिपोर्ट-ट्रेसर विधि का प्रयोग करते हुए 400 मेगावाट के हाइड्रो टर्बाइन फील्ड क्षमता/स्वीकृति परीक्षण और प्रवाह मापन सफतापूर्वक पूरा किया गया था और उसके लिए अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 2008 के दौरान प्रस्तुत की गई है।
- एएसटीएमजी 134 के अनुसार जेट केविटेशन्स एरोजन रिग के लिए सुविधा का डिजाइन, विकास और कमीशनिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ढांचे को ग्राहक के परिसर में संस्थापित और चालू किया गया है।
- माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन का कार्यनिष्पादन परीक्षण। केन्द्र ने 100 मेगावाट क्षमता तक के माइक्रो टर्बाइन के विनिर्माण के लिए लक्षित प्रोटोटाइप 10 केडब्ल्यू क्रॉस फ्लो माइक्रो टर्बाइन विकसित किया है। एफसीआरआई को उपर्युक्त मॉडल का कार्यनिष्पादन परीक्षण करने और हिल डायग्राम प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
- अर्जुन युद्धक टैंक में प्रयुक्त एक्सल आर्म्स के कठोर श्रम परीक्षण की परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और सभी सुपुर्दगी योग्य सामग्रियां समय से भेज दी गई हैं।
- मैसर्स सीपीसीएल के लिए फायर वाटर हाइड्रेंट नेटवर्क विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- टीवीएस मोटर कंपनी, होसुर के लिए ओरिफाइस/एलएफई एसेम्बली की डिजाइन, विकास और आपूर्ति अप्रैल, 2009 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। परियोजना की सुपुर्दगी योग्य सामग्रियां टीवीस के अधिकारियों को सौंप दी गई हैं और एलएफई के प्रचालन से संबंधित विस्तृत विवरण एफसीआरआई के इंजीनियरों द्वारा कार्यस्थल में दिया गया।
- सेफ्टी ग्रेड डिके हीट रिमुवल सिस्टम के लिए इंटर रैपर्स फ्लो (आईडब्ल्यूएफ) का अनुरूपण।
- चार क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं में 100 कि.मी. तक के फ्लो मीटरों के परीक्षण के लिए प्रवाह मापन सुविधा की स्थापना करना।

5.3.17 सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीटीआई), बंगलौर

इस परियोजना का विकासात्मक उद्देश्य भारतीय सिरामिक उद्योग को उनकी प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में सहायता करना और उन्नत सिरामिक के नए उत्पाद विकसित करना है। सीटीआई में अनुसंधान के क्षेत्र नेनो-टेक्नोलॉजी, पृथक्करण टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग और संयंत्र संबद्ध अन्वेषणों और विशेष परियोजनाओं से संबंधित है। यह संस्थान कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, सं.रा.अ. और एनआईएफएस जापान के घनिष्ठ संपर्क में कार्य करता रहा है। सीटीआई में मुख्य गतिविधियों में कॉडिएराइट क्लिन फर्नीचर, सिरामिक आर्मर, कैटेलिक कन्वर्टर के लिए सिरामिक हनीकॉम्ब, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और सिरामिक ग्राइडिंग साधन है। चालू मुख्य अनुसंधान एवं विकास प्रयास औद्योगिक जल शोधन के लिए छिद्रदार सिरामिक्स, गैस पृथक्करण और पार्टिकुलेट फिल्टरेशन, के लिए मेम्ब्रेन नेनो एडिटिव के साथ कम्पोजिट इन्सुलेटर और नेनो सामग्री संश्लेषण आदि पर केंद्रित हैं। नेनो सामग्रियों के निरंतर संश्लेषण के लिए गैस-प्रज्जवलित स्प्रे पाइरोलाइजर देश में पहली बार स्थापित किया गया है। आरओ-डीएम अनुप्रयोग के

लिए जल के पूर्व-शोधन हेतु सिरामिक सुक्ष्म के छिद्रदार मेम्ब्रेन विकसित किए गए हैं और विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण किया गया है। सिरामिक मेम्ब्रेन के आधार पर क्षेत्र मूल्यांकन के लिए एक निस्यंदन प्रणाली स्थापित की गई है। सिरामिक हरित संघटकों के लिए स्पंदन माइक्रोवेव सुष्कन प्रक्रिया स्थापित की गई है।

5.3.18 सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन (सीईटी), भोपाल

विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 1988 में अनुमोदित किया गया था। केंद्र में विद्युत चालित वाहनों की डिज़ाइन के सभी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए क्षमता का विकास किया गया है ताकि उनके कार्यनिष्पादन, विश्वसनीयता और क्षमता में सुधार किया जा सके।

इसकी कुछ उपलब्धियों में अंगोला के लिए केप गेज डीईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, एसीईएमयू के लिए आईजीबीटी आधारित 3-फेज के ड्राइव्स हेतु कर्षण मोटर पर किस्म परीक्षण, एमजी डीईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, मध्य रेलवे के लिए 1500 वोल्ट डीसी/25 केवी दोहरे वोल्टता ईएमयू के लिए जीटीओ आधारित 3-फेज ड्राइव प्रणाली का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, आईजीबीटी आधारित 700 अश्वशक्ति के डीजल विद्युत लोकोमोटिव का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, भारतीय रेल के लिए 4000 अश्वशक्ति के डीजल विद्युत लोकोमोटिव हेतु आयात प्रतिस्थापन कर्षण एल्टरनेटर का परीक्षण शामिल है। 25 केवी एसी ईएमयू के लिए आईजीबीटी आधारित 3-फेज ड्राइव प्रणाली के संयुक्त प्रणाली परीक्षण की तैयारी चल रही है।

5.3.19 प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, (पीसीआरआई), हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना भारी उद्योग विभाग द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को मुख्य एजेंसी बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अधीन की गई थी। पीसीआरआई का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रबंध और जल, कोलाहल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हैं। इस संस्थान को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार और कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यताप्राप्त है। संस्थान को ''भेल के आंतरिक अनुसंधान और विकास यूनिट के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता दी गई है। संस्थान ने देहरादून शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्ययोजना की तैयारी; निस्सारी शोधन संयंत्रों के आकार के इष्टतमीकरण के लिए ताप विद्युत संयंत्र में विभिन्न आकार की यूनिटों से निस्सारी की विशिष्टताकरण और मात्राकरण; उत्तराखंड में ''चार धाम'' के लिए पर्यावरण प्रबन्ध योजना की तैयारी; पौधों की प्रजातियों के चयन के माध्यम से परिवात वायु से धूल के पादपप्रतिकार (फाइटोरिमिडेशन); भारत में धार्मिक स्थानों के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार करने, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ मेले के दौरान गंगा और शिप्रा नदी में सार्वजनिक स्नान के प्रभाव, गंगा कार्य योजना के अधीन चयनित क्षेत्रों में गंगा और पश्चिमी यमुना नहर के लिए नदी जल गुणवत्ता आकलन; ताप विद्युत संयंत्रों से भारी धातु उत्सर्जन का आकलन आदि जैसे औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए कई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। प्रारंभ किए गए मुख्य अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सुक्ष्म जैव वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं का विकास; ताप विद्युत संयंत्रों के आसपास प्रदूषण का सामना करने के लिए हरित पट्टी के विकास हेतु वृक्ष/पौधों की प्रजातियों का चयन; उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नदी की जल गुणवत्ता का आकलन; निकलने वाले उत्सर्जनों का आकलन और ताप विद्युत संयंत्रों में निकलने वाले उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का विकास करना शामिल है।

दक्षता निर्माण और संसाधन विकास के भाग के रूप में राज्य/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और मुख्य उद्योगों के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2008 में आयोजित ऐसे दो कार्यक्रम वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण नेटवर्क डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन तथा नगरनिगम ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान को उत्तराखंड के

गांव/जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के माध्यम से पेयजल गुणवत्ता और गुणवत्ता निगरानी की स्थापना के लिए उत्तराखंड सरकार के ''स्वजल'' द्वारा राज्य रेफरल प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है।

इस संस्थान को भारतीय गुणवत्ता परिषद् के एक घटक राष्ट्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण पंजीकरण बोर्ड (एनआरबीपीटी) द्वारा अनुमोदित ईआईए परमर्शदाता के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह संस्थान ताप विद्युत संयंत्रों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और ऑयल टर्मिनलों, न्यूक्लियर ईंधन प्रसंस्करण संयंत्र आदि जैसी बड़े आकार वाली औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक वर्ष तक चलने वाला व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान द्वारा किए जा रहे ऐसे अध्ययनों में गुजरात में सिनोर, वनकबोरी, जूनागढ़, उत्तर प्रदेश में ओबरा, पनकी, बारा, करछानन और छत्तीसगढ़ में कोरबा साउथ में प्रस्तावि ताप विद्युत संयंत्र और तारापुर में न्यूक्लियर ईंधन प्रसंस्करण संयंत्र शामिल हैं।

5.3.20 वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई), तिरुचिरापल्ली

वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) देश में अपने किस्म का एकमात्र इंस्टीट्यूट है और यह पारम्परिक आर्क वेल्डिंग के लिए सुविधाओं के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और लेजर बीम, फ्लैश बट, घर्षण और प्लाज़्मा वेल्डिंग जैसे अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाओं से सज्जित है। इसके अतिरिक्त, यहां फेटिग टेस्टिंग, रेजीड्यूअल स्ट्रेस मापन, रेजीड्यूअल लाइफ ऐस्टिमेशन आदि के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह इंस्टीट्यूट इसरो, भारतीय रेलवे, रक्षा और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सेवा प्रदान करता रहा है। इंस्टीट्यूट वेल्डिंग संबद्ध क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों की भागीदारी और उसे प्रकाशित करने के लिए पेटोन वेल्डिंग इंस्टीट्यूट (पीडब्ल्यूआई), उक्रेन, अमरीकी वेल्डिंग सोसायटी (एडब्ल्यूएस), डब्ल्यूटीआईए, आस्ट्रेलिया आदि जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघों/संगठनों, मुख्य ग्राहकों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता है। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर के साथ इस वर्ष वेल्डिंग और गुणवत्ता इंजीनियरी में एक नया एक-वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। चालू मुख्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के लिए नई सामग्रियों में निर्माण कार्यनिधि का विकास, घर्षण स्टिर वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास, वेल्डिंग धूम्र का अध्ययन, रोबोटिक टाइम ट्विन प्रौद्योगिकी का विकास, बॉयलर संघटकों के लिए एचवीओएफ और वायर स्प्रेइंग प्रौद्योगिकी का विकास ट्यूबो की चुम्बकीय प्रेरित आर्क बट वेल्डिंग, सक्रिय टीआईजी वेल्डिंग, कार्यस्थल दशाओं के लिए ऑर्बिटल वेल्डिंग का अनुप्रयोग, आकारहीनता-रोधी वेल्डिंग प्रक्रिया, फेटिग अवधि सुधार तकनीक आदि शामिल है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से वेल्डरों के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह इंस्टीट्यूट केंद्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार के अनुसार वेल्डरों के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक अनुमोदित केंद्र है। इंस्टीट्यूट कार्यरत इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए नियमित आधार पर वेल्डिंग और गैर-नाशवान परीक्षण में प्रशिक्षण/प्रमाणीकरण कार्यक्रम संचालित करता है।

अध्याय 6

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ विकलांगों/अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विषय पर सरकार के निर्देशों के आलोक में अल्पसंख्यकों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दायित्व के संबंध में यह विभाग अत्यधिक सजग है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.; विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा साधारणतया अनुपालन किया गया है।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का उचित अनुवीक्षण करने के लिए निदेशक के स्तर पर एक संपर्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष कार्यरत है। यह कक्ष केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए भी उज़रदायी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्य बल में विभिन्न अल्पसंज्यक समुदायों से बड़ी संज्या में व्यक्ति शामिल होते हैं। कार्य बल की मुज्य धारा में उनके एकीकरण पर सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बल दिया जाता है और उनकी जाति, वर्ग अथवा धार्मिक मतों के कारण उनमें कोई विभेद नहीं किया जाता है। रिहायशी आवास जैसी सुविधाओं के रूप में सभी कर्मचारियों को समान माना जाता है।

6.3 हर वर्ष ''कौमी एकता/सद्भावना दिवस'' आयोजित किया जाता है; जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुटता, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।

6.4 इस विभाग के अधीन प्रचालनरत सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ''विकलांग व्यक्ति'' (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। भारी उद्योग विभाग के अधीन अधिकांश केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम रूग्ण / घाटा उठा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में बहुत सीमित भर्तियां हुई हैं। फिर भी, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम जब भी कोई भर्ती की जाती है इन अनुदेशों को ध्यान में रख रहे हैं। इस विभाग के अधीन एक मुख्य लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम ''भेल'' ने पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 172 विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की है।

6.5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशो का पालन करने के प्रयास किए जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, भूतल रिहायशी आवास, व्यावसायिक कर के भुगतान से छूट, आने-जाने की परिवहन सुविधा, चिकित्सा उपस्करों और सामान्य चिकित्सा सहायता के प्रावधान जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दृष्टिहीन व्यक्त्यिों को ब्रेल प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं और वे टेलीफोन बूथ चलाने, बेंत की कुर्सी की मरम्मत आदि के कार्य में लगे हैं। मंद बुद्धि बच्चों और दृष्टिहीन लोगों के लिए विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये सुविधाएं उन्हें अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जा रही हैं।

अध्याय 7

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास करते है कि महिलाओं के साथ किसी भी कारण भेदभाव नहीं किया जाए। सभी कर्मचारियों को भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित लिंग समानता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति जागरूक बनाया जाता हैं।

7.2 विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और उसे लागू करने तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक शिकायत समिति गठित की है। विभाग महिला कर्मचारियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कार्य बल की मुज्य धारा में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

7.3 विज़ मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अनुदेशानुसार जेंडर बजटिंग से संबंधित मामले की देख-रेख करने के लिए विभाग में जेंडर बजटिंग कक्ष का गठन किया गया है।

अध्याय 8

सतर्कता

8.1 सतर्कता कार्यकलाप किसी संगठन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग तथा साथ ही केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए विभाग में संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता सतर्कता अनुभाग के साथ एक निदेशक और अवर सचिव द्वारा की जाती है।

8.2 केन्द्रीय सतर्कता अनुभाग के कार्य के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा साथ ही भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना;
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में एसीसी अनुमोदन की अपेक्षा वाले पीएमईबी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता संबंधी स्वीकृति जारी करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
- विजीय अनियमितता तथा कार्यविधिक अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।

8.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी बल देता है तथा यह अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। यहां तक कि उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय किए जाते हैं और जहां भी अपेक्षा हो उनपर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

8.4 सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रख-रखाव के लिए उज़रदायी है।

8.5 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इसके अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों और निदेशकों द्वारा वार्षिक संपज़ि विवरणियों की प्रस्तुति का अनुवीक्षण भी करता है।

अध्याय 9

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 विभाग में राजभाषा अनुभाग विभाग में हिन्दी के प्रयोग के संवर्धन के लिए उपाय करता है। विभाग के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन के लिए प्रयास समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रहे राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से आवधिक बैठकें की और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का सुझाव दिया।

9.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने (i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार, (ii) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ईडीएन, बंगलौर, (iii) एच.एम.टी. खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, औरंगाबाद (iv) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कार्यालयों का निरीक्षण किया और हिन्दी की प्रगति से संतोष व्यक्त किया। विभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का अनुवीषण करने के लिए वर्ष के दौरान कुछ उद्यमों का निरीक्षण किया और इस प्रकार भ्रमण किए गए इन उद्यमों के अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया गया।

9.3 सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियों, और परिपत्रों तथा संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए संसद प्रश्नोज़र, वार्षिक रिपोर्टें, निष्पादन बजट , सामान्य आदेश और कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उज़र हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 1 सितज़्बर, 2008 से 15 सितम्बर, 2008 तक **''हिंदी पखवाड़ा''** आयोजित किया गया था, जिसके दौरान टिप्पण/प्रारूपण, अंग्रेजी से हिंदी और विलोमत: अनुवाद, कज़्प्यूटर पर हिंदी टंकण हिंदी कविता पास आदि सहित कई प्रतियोगिताएं संचालित की गई। विभाग के कर्मचारियों ने इन गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी से भाग लिया । विजेता उम्मीदवारों को माननीय राज्य मंत्री (भा.उ. और लो.उ.) द्वारा नकद पुरस्कार दिए गए। हिंदी में टिप्पण/ आलेखन तथा साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग की तिमाही रिपोर्ट सही तरीके से भरने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 से भी अवगत कराया गया।

9.4 वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संवर्धन के लिए निज़्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे:

i) राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु) नियम, 1976 के नियम 10(4), जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार को उन कार्यालयों को अधिसूचित करना होता है, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीगण ने हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, के अधीन विभाग द्वारा सभी 61 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उनकी इकाईयों को अभी तक अधिसूचित किया गया है।

ii) **''आज का शज़्द''** के माध्यम से हिंदी सीखने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

9.5 इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र प्रयास जारी रखा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में **''हिन्दी पखवाड़ा''**/ **''हिन्दी सप्ताह''** बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

अनुबंध-I

भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन

भारी उद्योग विभाग उद्योग मंत्रालय के विभागों मे से एक हुआ करता था। दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 से एक पृथक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सृजित किया गया है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं। भारी उद्योग विभाग को कार्य की निम्नलिखित मदें आवंटित की गई है:-

(क) निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित कार्य

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
2. माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सहायक कंपनी

भारत हैवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड

5. एच.एम.टी. लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) एच.एम.टी. (बेयरिंग) लिमिटेड
(ख) एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लिमिटेड
(ग) एच.एम.टी. (मशीन टूल्स) लिमिटेड
(घ) एच.एम.टी. (वाचेज) लिमिटेड
(ड.) एच.एम.टी. (चिनार वाचेज) लिमिटेड
(च) प्रागा टूल्स लिमिटेड

6. स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड
7. एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
8. भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड
9. भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
10. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
13. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
14. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
15. हिदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
16. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
17. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
18. नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
19. नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
20. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
21. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
22. नेपा लिमिटेड
23. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
24. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
25. टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
26. टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
27. रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज़ कारपारेशन लिमिटेड
28. सांभर साल्ट्स लिमिटेड
29. फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीटयूट (स्वायत्त शासीनिकाय)
30. भारत भारी उद्योग-निगम लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड
(ख) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
(ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
(घ) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
(ड.) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
(च) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
(छ) रेरॉल बर्न लिमिटेड
(ज) वेबर्ड (इडिया) लिमिटेड

31. भारत यंत्र निगम लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(क) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
(ख) तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
(ग) भारत पम्पस एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
(घ) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड
(ड.) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

(ख) अन्य विषय

1. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्करों का विनिर्माण
2. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग
3. भारी विद्युत और संबद्ध उद्योग विकास परिषद
4. मशीन टूल और इस्पात संयंत्र उपस्कर विनिर्माण सहित मशीनरी उद्योग
5. टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग विकास परिषद
6. मशीन टूल विकास परिषद
7. ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने के उपस्कर सहित ऑटो उद्योग
8. ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद
9. ऑटोमोबाइल इंजन सहित सभी डीजल इंजन
10. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
11. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) और नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नेटिस)
12. फोर्जिंग इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

अनुबंध - II

भारी उद्योग विभाग का संगठनात्मक ढांचा

(25.07.2009 की यथास्थिति)

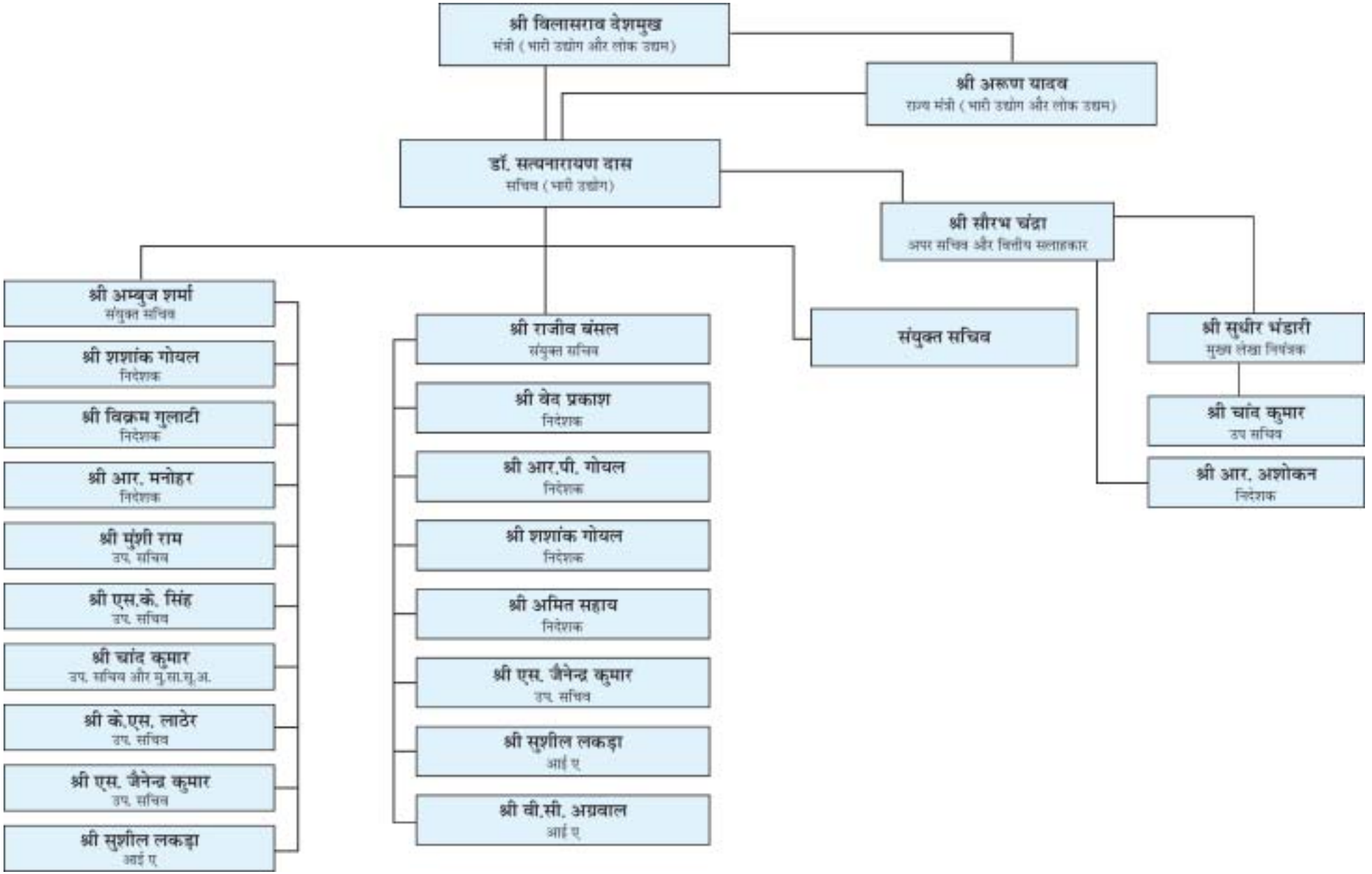

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के स्थापना का वर्ष	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (करोड़ रुपए)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल), कोलकाता	1979	124.74
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	4.75
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	1956	6382.00
4	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), कोलकाता	1976	141.65
5	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), कोलकाता	1976	54.00
6	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)	1987	9.35
7	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापत्तनम	1966	79.99
8	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद	1970	38.01
9	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (1972) (आरएण्डसी) लिमिटेड, मुम्बई	1972	30.00
10	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	19.34
11	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड(टीएसपी) होसपेट, कर्नाटक	1967	20.87
12	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया)लिमिटेड (बीएण्डआर), कोलकाता	1972	173.67
13	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	525.88
14	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	331.41
15	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), बंगलौर	1953	132.63
16	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी, बंगलौर	2000	272.35
17	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर	2000	189.75
18	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जम्मू	2000	12.02
19	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड, हैदराबाद	1981	30.11
20	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बंगलोर	1974	7.39
21	इंस्ट्रूमेंटशन लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	69.11
22	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर	1981	20.60
23	स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) लखनऊ	1972	55.70
24	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	648.18
25	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	942.11
26	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) वेल्लोर, कोट्टायम	1983	399.68
27	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	721.00
28	हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	10.50
29	सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	1964	12.90
30	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	1958	115.57
31	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	1984	160.86
32	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	15.16
		कुल	**11751.28**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 31.3.2009 की यथास्थिति अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित नियोजन की स्थिति

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				अ.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. की संख्या		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एवाईसीएल	198	140	15438	15776	1032	4349	4558
2.	हुगली प्रिंटिंग	6	7	45	58	3	0	0
3.	बीएचईएल	11038	8872	25337	45247	8815	2239	5329
4.	बीएससीएल	121	0	1334	1455	157	10	276
5.	बीसीएल	65	25	382	472	51	1	1
6.	बीबीजे	48		45	93	6	1	3
7.	बीएचपीवी	307	74	989	1370	236	105	264
8.	बीपीसीएल	190	59	813	1062	166	3	314
9.	आरएण्डसी	17	16	32	65	9	0	6
10.	टीएसएल	51	14	124	189	26	0	69
11.	टीएसपी	13	15	76	104	27	3	29
12.	बीएण्डआर	706	0	777	1483	164	5	58
13.	एचसीएल	380	451	2078	2909	747	222	193
14.	एचईसी	1359	278	1231	2868	325	572	720
15.	एचएमटी (धारक कंपनी)	275	132	1798	2205	518	99	26
16.	एचएमटी (एमटी)	866	414	2546	3826	670	185	939
17.	एचएमटी (वाचेज)	200	217	1633	2050	363	96	331
18.	एचएमटी (चिनार वाचेज)	5	27	196	228	16	3	0
19.	एचएमटी (बियरिंग)	22	38	203	263	38	0	104
20.	एचएमटी (इंटरनेशनल)	53	0	8	61	9	4	1
21.	आईएल	240	697	451	1388	227	65	209
22.	आरईआईएल	66	64	85	215	43	6	40
23.	एसआईएल	235	67	1064	1366	281	1	370
24.	सीसीआई	134	178	848	1160	149	108	135
25.	एचपीसी	557	208	1995	2760	279	215	152
26.	एचएनएल	207	94	735	1036	72	5	235
27.	एचपीएफ	101	227	484	812	134	44	362
28.	एचएसएल	9	30	75	114	12	6	16
29.	एसएसएल	9	27	75	111	25	9	34
30.	नेपा	121	0	1282	1403	122	22	78
31.	टीसीआईएल	35	18	157	210	14	0	0
32.	ईपीआईएल	358	95	19	472	86	21	46
	कुल	**17992**	**12484**	**62355**	**92831**	**14822**	**8399**	**14898**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (अनन्तिम)	2009-10 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1.	एवाईएण्डसीओ	111.27	137.36	164.58	181.01	230.79
2.	हुगली प्रिंटिंग	5.09	4.07	4.30	6.58	11.00
3.	बीएचईएल	14525.00	18739.00	21401.00	28033.00	31000.00
4.	बीएचपीवी	122.05	180.36	187.60	70.82	210.00
5.	बीएससीएल	181.63	233.08	242.58	233.20	293.71
6.	बीसीएल	81.33	106.21	104.16	126.01	198.04
7.	बीबीजे	57.89	80.17	87.72	67.57	120.00
8.	बीपीसीएल	103.00	150.00	195.00	237.43	295.00
9.	आरएण्डसी	31.00	54.00	76.78	209.94	90.00
10.	टीएसएल	1.00	4.00	4.77	4.65	6.00
11.	टीएसपी	2.00	2.00	3.38	1.44	5.62
12.	बीएण्डआर	507.00	612.67	714.79	935.07	1000.00
13.	एचसीएल	6.07	3.66	2.07	0.97	
14.	एचईसी	165.63	280.81	386.69	412.63	525.84
15.	एचएमटी (धारक कंपनी)	236.01	212.30	177.72	134.34	328.45
16.	एचएमटी (एमटी)	224.63	215.29	235.18	188.12	504.92
17.	एचएमटी (वाचेज)	29.17	39.46	18.99	15.35	90.00
18.	एचएमटी (चिनार वाचेज)	2.97	3.69	2.35	0.40	5.00
19.	एचएमटी (बी)	25.00	24.40	13.13	7.01	43.08
20.	एचएमटी (आई)	14.89	31.45	25.14	16.25	37.00
21.	आईएल	219.98	228.34	246.81	255.80	385.00
22.	आरईआईएल	50.00	72.10	81.50	72.10	92.00
23.	एसआईएल	175.15	192.32	152.77	117.48	204.48
24.	सीसीआई	230.03	325.72	342.63	365.17	352.90
25.	एचपीसी	677.59	721.60	831.66	657.37	883.07
26.	एचएनएल	303.01	315.31	298.61	344.77	443.81
27.	एचपीएफ	15.37	17.68	18.26	23.74	26.00
28.	एचएसएल	6.67	7.79	14.22	26.67	23.83
29.	एसएसएल	8.22	10.37	17.21	17.66	27.92
30.	नेपा	58.73	83.26	103.75	106.30	110.40
31.	टीसीआईएल	144.75	155.05	224.28	128.37	223.88
32.	ईपीआई	637.38	763.61	851.05	961.42	1050.00
	कुल	**18959.51**	**24007.13**	**27230.68**	**33958.64**	**38817.74**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का लाभ (+)/हानि(-) (कर-पूर्व)

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (अनन्तिम)	2009-10 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क)	**लाभ कमा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम***					
1.	एवाईसीएल	-73.35	-90.11	2.07	20.98	8.39
2.	हुगली प्रिंटिंग	0.39	0.20	0.04	0.05	0.32
3.	बीएचईएल	2564.00	3736.00	4430.39	4849.00	5902.00
4.	बीपीसीएल	1.84	19.11	31.85	37.70	42.62
5.	बीएण्डआर	3.11	7.17	11.27	24.10	18.50
6.	बीसीएल	2.21	0.56	0.61	1.42	4.60
7.	बीबीजे	0.54	1.39	1.84	1.55	3.08
8.	सीसीआई	831.84	166.61	40.89	45.42	16.02
9.	ईपीआई	13.31	17.55	20.14	24.90	25.60
10.	एचईसी	-86.89	2.86	3.46	16.12	21.55
11.	एचपीसी	87.98	120.31	136.74	50.10	92.03
12.	एचएनएल	27.36	45.08	18.10	20.20	88.16
13.	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.98	1.64	1.02	0.99	0.68
14.	एचएसएल	-1.26	-0.91	0.11	0.92	1.32
15.	आईएल	-23.96	-27.80	-33.36	0.45	10.20
16.	आरईआईएल	3.16	3.48	1.37	1.54	2.45
उप-योग (क) लाभ कमा रही कंपनियां		**3351.26**	**4003.14**	**4666.54**	**5095.44**	**6228.81**
(ख)	**हानि उठा रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम**					
17.	बीएससीएल	-442.74	-151.87	-151.26	-199.92	-233.10
18.	टीएसपी	-30.09	-37.50	-20.46	-19.41	-24.68
19.	एचएसएल	-0.57	-0.41	0.05	-0.48	0.24
20.	बीएचपीवी	-71.38	-34.70	-51.71	-133.15	-62.29
21.	आरएण्डसी	-42.59	-37.62	-59.60	-25.31	-36.00
22.	टीएसएल	-48.87	-46.86	-50.79	-48.26	-47.22
23.	एचसीएल	-295.32	-310.68	-434.98	-485.86	-445.11
24.	एचएमटी (धारक कंपनी)	13.55	40.48	-45.97	-58.94	-28.90
25.	एचएमटी (बियरिंग्स)	0.31	-6.80	-18.44	-10.90	-2.01
26.	एचएमटी (मशीन टूल्स)	-6.56	-149.25	-39.93	-45.81	13.98
27.	एचएमटी (वाचेज)	-76.13	-195.66	-146.80	-167.33	-7.29
28.	एचएमटी (चिनार वाचेज)	-30.86	-39.89	-49.02	-70.16	-34.71
29.	एचपीएफ	-560.90	-653.06	-685.48	-832.58	-909.00
30.	एसआईएल	1.90	-22.50	-22.43	-27.84	-14.15
31.	नेपा	-45.32	-44.44	-37.34	-41.75	-48.17
32.	टीसीआईएल	-47.93	-47.91	-49.20	-56.81	3.36
उप-योग (ख) हानि उठा रही कंपनियां		**-1683.50**	**-1738.67**	**-1863.36**	**-2224.51**	**-1875.05**
कुल-योग (क और ख)		**1667.76**	**2264.47**	**2803.18**	**2870.93**	**4353.76**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
		2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (अनन्तिम)	2009-10 (लक्ष्य)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (अनन्तिम)	2009-10 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	एवाई एण्ड कं.	41.98	37.33	31.82	31.71	24.61	11.29	10.95	9.77	9.2	8.60
2.	हुगली प्रिंटिंग	30.13	34.66	29.21	18.30	12.81	1.08	1.90	2.16	1.59	1.22
3.	बीएचईएल	12.94	13.08	14.70	14.67	13.68	1.89	1.86	1.86	1.62	1.66
4.	बीएससीएल	13.00	15.00	15.00	13.00	10.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5.	बीसीएल	15.00	14.00	15.00	11.00	8.00	0.80	0.80	1.00	1.20	0.80
7.	बीबीजे	7.90	7.80	9.90	9.00	9.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.60
8.	बीएचपीवी	23.45	17.38	21.66	104.08	22.58	2.89	2.17	2.69	8.07	3.30
9.	बीपीसीएल	26.31	18.70	15.18	18.93	12.97	1.02	0.96	0.79	0.85	0.51
10.	आरएण्डसी	6.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.40	0.30	0.10	0.10	0.10
11.	टीएसएल	930.00	178.00	140.00	83.00	67.00	95.00	21.00	16.00	11.00	10.00
12.	टीएसपी	67.32	87.10	44.34	124.00	32.00	29.29	48.84	19.32	59.00	15.00
13.	बीएण्डआर	6.75	5.56	6.27	6.63	5.40	1.38	1.36	1.16	0.96	1.00
14.	एचसीएल	735.32	1732.76	2090.04			62.42	119.91	139.93		
15.	एचईसी	30.40	20.60	17.50	18.50	16.30	-1.50	-0.40	-0.90	-0.50	0.80
16.	एचएमटी (धारक)	23.47	27.20	38.44	40.15	21.89	3.67	6.26	6.34	7.00	7.20
17.	एचएमटी (एमटी)	59.00	45.00	47.00	34.00	33.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
18.	एचएमटी (वाचेज)	230.00	117.00	308.00	354.00	39.00	4.00	2.00	5.00	6.00	1.00
19.	एचएमटी (चिनार)	777.00	500.00	993.00	1212.00	142.00	53.00	34.00	66.00	94.00	11.00
21.	एचएमटी (बी)	32.66	30.88	50.97	100.00	17.62	4.31	4.23	6.63	7	7.50
22.	एचएमटी (आई)	8.46	7.25	7.96	12.49	6.92	2.31	1.98	1.56	1.16	0.43
23.	आईएल	17.01	17.05	16.44	16.55	13.89	0.97	0.78	0.76	1.61	1.07
24.	आरईआईएल	8.38	7.82	10.32	12.50	13.00	1.62	1.28	1.45	1.60	1.70
25.	एसआईएल	14.27	13.85	18.60	23.84	13.65	5.54	5.14	8.98	11.18	6.40
26.	सीसीआई	21.50	8.19	8.19	7.32	7.54	10.25	3.93	3.68	2.94	3.39
27.	एचपीसी	8.29	8.71	10.28	12.47	11.15	3.41	3.40	3.63	4.52	3.88
28.	एचएनएल	8.27	8.73	9.92	8.62	8.88	5.03	4.90	4.98	5.44	4.14
29.	एचपीएफ	87.89	95.34	94.06	49.37	49.04	3.85	3.96	3.40	1.9	1.92
30.	एचएसएल	48.17	40.04	25.10	13.39	18.43	3.91	2.18	1.81	1.01	1.42
31.	एसएसएल	44.99	36.47	27.31	18.11	14.28	3.28	2.98	2.10	1.75	1.46
32.	नेपा	24.00	22.00	17.00	19.00	20.00	5.00	2.00	1.00	3.00	3.00
33.	टीसीआईएल	30.49	30.78	35.34	48.26	33.12	2.22	2.45	2.75	3.15	2.43
34.	ईपीआईएल	2.95	2.85	3.26	2.93	3.00	0.81	0.73	0.61	0.76	0.77

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ऑर्डर बुक की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम	दिनांक 1.10.2004 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2005 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2006 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2009 अनन्तिम
1	2	3	4	5	6	7
1.	एवाईसीएल	86.05	93.91	68.51	62.28	42.70
2.	हुगली प्रिंटिंग	1.50	6.50	1.27	0.90	1.50
3.	बीएचईएल	23650.00	32000.00	37500.00	55000.00	117000.00
4.	बीएससीएल	152.80	102.80	106.92	183.64	215.22
5.	बीसीएल	144.11	228.72	255.05	201.73	272.86
6.	बीबीजे	73.52	116.54	126.35	144.49	953.97
7.	बीएचपीवी	134.53	388.69	243.67	196.87	235.73
8.	बीपीसीएल	48.68	130.65	136.20	232.87	295.18
9.	आरएण्डसी	14.00	54.00	60.00	64.00	110.52
10.	टीएसएल	22.37	16.25	8.29	10.86	2.94
11.	टीएसपी	9.50	5.50	3.02	1.86	0.08
12.	बीएण्डआर	520.19	722.55	1217.47	1875.18	1701.14
13.	एचसीएल	138.25	2.57	5.80	3.25	4.18
14.	एचईसी	159.91	244.58	524.84	671.33	1899.15
15.	एचएमटी (धारक कंपनी)					
16.	एचएमटी (एमटी)	166.65	175.31	196.77	181.55	188.17
17.	एचएमटी (वाचेज)					
18.	एचएमटी (चिनार वाचेज)					
19.	एचएमटी (बियरिंग)	2.19	2.40	2.50	2.23	0.90
20.	एचएमटी (आई)	21.68	7.51	35.81	18.51	21.55
21.	आईएल	165.00	158.00	170.00	248.84	265.00
22.	आरईआईएल	17.82	22.01	20.23	44.52	24.23
23.	एसआईएल*					
24.	सीसीआई	7.13		12.50		
25.	एचपीसी	27.46	12.76	8.26	119.06	75.97
26.	एचएनएल					
27.	एचपीएफ	2.85	2.85	1.46	2.75	1.00
28.	एचएसएल	6.10	4.19	12.93	26.58	7.38
29.	एसएसएल	1.06	1.63	5.76	6.28	3.10
30.	नेपा	13.15	51.70	78.73	64.69	148.62
31.	टीसीआईएल	1.00	3.00	3.60	4.10	3.78
32.	ईपीआईएल	1459.96	1580.39	1225.54	1957.57	3148.36
	कुल	**27047.46**	**36135.01**	**42031.48**	**61325.94**	**126623.23**

* स्टॉक एवं बिक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन

अनुबंध-IX

(करोड़ रुपए मे)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र का उद्यम	2004-05(वास्तविक)			2005-06 (वास्तविक)			2006-07 (वास्तविक)			2007-08 (वास्तविक)			2008-09 (पूर्वानुमानित)		
		वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	एवाई एण्ड कं.	1.25	2.65	**3.90**	0.80	0.00	**0.80**	1.64	0.00	**1.64**	0.05	0.00	**0.05**	3.10		**3.10**
2.	बीएचईएल	829.00	1298.00	**2127.00**	745.00	3021.00	**3766.00**	1076.00	5525.00	**6601.00**	980.00	3660.00	**4640.00**	1794.00	6346.00	**8140.00**
3.	बीसीएल	0.00	0.00	**0.00**	4.98	0.00	**4.98**	0.68	0.00	**0.68**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
4.	बीएससीएल	4.71	0.00	**4.71**	2.75	0.00	**2.75**	8.48	0.00	**8.48**	7.70	0.00	**7.70**	9.97	0.00	**9.97**
5.	बीएचपीवी	1.21	0.45	**1.66**	2.92	0.45	**3.37**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
6.	बीपीसीएल	0.00	7.03	**7.03**	0.00	4.07	**4.07**	0.00	6.81	**6.81**	0.00	0.63	**0.63**	0.00	0.15	**0.15**
7.	आरएण्डसी	0.83	0.00	**0.83**	1.17	0.00	**1.17**	0.00	6.81	**6.81**	0.00	0.63	**0.63**	0.00	0.00	**0.00**
8.	बीएण्डआर	2.85	0.00	**2.85**	1.95	0.00	**1.95**	2.23	0.00	**2.23**	0.52	0.00	**0.52**	11.04	0.00	**11.04**
9.	एचएमटी(आई)	28.17	0.00	**28.17**	14.89	0.00	**14.89**	31.45	0.00	**31.45**	25.00	0.00	**25.00**	16.25	0.00	**16.25**
10.	आईएल	0.47	5.32	**5.79**	0.23	9.01	**9.24**	0.21	7.74	**7.95**	0.13	0.29	**0.42**	1.01	9.80	**10.81**
11.	आरईआईएल	13.36	0.00	**13.36**	1.09	0.00	**1.09**	4.05	1.27	**5.32**	7.73	0.00	**7.73**	0.79	1.99	**2.78**
12.	एसआईएल	1.05	0.00	**1.05**	0.63	0.00	**0.63**	0.41	0.00	**0.41**	0.87	0.00	**0.87**	0.88	0.00	**0.88**
13.	एचपीसी	0.00	48.38	**48.38**	0.00	43.37	**43.37**	0.00	40.76	**40.76**	0.00	15.94	**15.94**	0.00	34.52	**34.52**
14.	एचएसएल	0.41	0.00	**0.41**	0.39	0.00	**0.39**	0.56	0.00	**0.56**	0.64	0.00	**0.64**	0.79	0	**0.79**
15.	ईपीआई	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	25.43	0.00	**25.43**	6.00	0.00	**6.00**
	कुल	**883.31**	**1361.83**	**2245.14**	**776.80**	**3077.90**	**3854.70**	**1125.71**	**5588.39**	**6714.10**	**1022.64**	**3677.49**	**4700.13**	**1843.83**	**6392.46**	**8236.29**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-X

31.3.2009 की यथास्थिति भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की चुकता पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि(-) (अनन्तिम)

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+)/हानि (-)
		सरकार/केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	57.46	5.81	-7.38	179.10
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03		2.91	0.23
3	बीएचईएल	331.51	158.01	12939.00	12449.00
4	बीएचसीएल	133.01		-1523.68	-1656.69
5	बीसीएल	19.79		9.98	-9.82
6	बीबीजे	20.27		18.07	-2.20
7	बीएचपीवी	33.80		-229.94	-263.76
8	बीपीसीएल	53.53		98.61	23.76
9	आरएण्डसी	55.00		-263.00	-318.00
10	टीएसएल	21.27		-504.90	-526.17
11	टीएसपी	6.69	1.75	-260.15	-268.58
12	बीएण्डआर	54.63	0.36	112.94	58.00
13	एचसीएल	417.69	1.67	-2753.06	-3229.16
14	एचईसी	606.08		-249.97	-1066.87
15	एचएमटी (धारक कंपनी)	98.88	1.12	761.76	-441.59
16	एचएमटी (एमटी)	742.31		17.76	-738.00
17	एचएमटी (वाचेज)	6.49		-1127.34	-1133.83
18	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.66		-292.00	-294.09
19	एचएमटी (बियरिंग)	37.47	0.24	-27.93	-65.64
20	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.72		22.92	22.20
21	आईएल	92.31	1.01	13.50	-55.31
22	आरईआईएल	2.08	2.17	19.31	14.04
23	एसआईएल	41.01	1.99	-2.92	-56.49
24	सीसीआई	811.41		-273.62	-1068.11
25	एचपीसी	670.38		905.45	148.47
26	एचएनएल	100.00		236.20	141.21
27	एचपीएफ	184.68	19.19	-5808.85	-6035.53
28	एचएसएल	22.55		20.49	-12.44
29	एसएसएल	1.00		-1.39	-13.84
30	नेपा	108.86	0.69	-359.74	-468.60
31	टीसीआईएल	93.45		-143.93	-262.46
32	ईपीआईएल	35.42		121.18	79.84
	कुल	**4862.44**	**194.01**	**1470.28**	**-5229.53**

टिप्पणी: (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों नामत: बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएफसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को एक उद्यम (एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को अंतरित किया गया है। एनआईएल को भी दिनांक 7.01.2009 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित किया गया है।

(iii) एचएमटी (एमटी) के साथ पीटीएल के विलय की योजना दिनांक 12.06.2008 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित की गई है।

(iv) उपर्युक्त 32 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त एक गैर-विनिर्माणकर्ता धारक कंपनी अर्थात बीबीयूएनएल है।

अनुबंध-XI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/ पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निविष्टियां

दिनांक 31.03.2008 **की यथास्थिति**

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र का उद्यम	भारत सरकार की नई निधियां		माफी/ रूपांतरण	भारत सरकार की गारंटी	जोड़
		निवेश पूंजी	अन्य			
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर	4.28	शून्य	66.32	शून्य	70.60
2.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	60.00	शून्य	42.92	शून्य	102.92
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	शून्य	शून्य	54.61	शून्य	54.61
4.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश)	5.00	शून्य	177.12	32.59	214.71
5.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची	102.00	शून्य	1116.30	150.00	1368.30
6.	एचएमटी (बियरिंग) लिमिटेड, हैदराबाद	7.40	शून्य	26.57	17.40	51.37
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	4.00	शून्य	112.91	शून्य	116.91
8.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	30.67	153.62	1252.25	15.70	1452.24
9.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद	शून्य	3.37	153.15	शून्य	156.52
10.	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड	180.00	543.00	157.80	--	880.80
11.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	29.56	87.06	154.75	111.96	383.33
12.	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	--	1.81	240.05	--	241.86
13.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड*	251.26	38.19	126.98	252.99	669.42
14.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	--	--	815.59	--	815.59
15.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	--	--	504.36	45.00	549.36
	कुल	**674.17**	**823.68**	**5001.68**	**629.01**	**7128.54**

मौजूदा चुकता पूंजी को 120.00 करोड़ रुपए से 12.02 करोड़ रुपए तक कम करने के कारण पूंजी घटाव निधि को समंजित करने के लिए 108.18 करोड़ रुपए प्रति शेयर 1000 रुपए से शेयर का अंकित मूल्य घटाकर 100 रुपए प्रति शेयर करके।

अनुबंध-XII

वर्ष 2008-09 के लिए नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

● भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी ने एक अनुचित जोखिम लिया और मौखिक आश्वासन पर 95 प्रतिशत सामग्री प्रेषित कर दी, जिससे छः वर्षों से अधिक के लिए ग्राहक से 4.22 करोड़ रुपए की राशि की वसूली नहीं हुई।

(वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. 11 का पैरा सं. 11.1.1 (सीए) वाणिज्यिक)

कंपनी ने मोलीबोडिनम-ऑक्साइड की अधि प्राप्ति के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी शर्त के अनुसार खरीद ऑर्डर नहीं दिया जिससे 2.21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. 11 का पैरा सं. 11.1.2 (सीए) वाणिज्यिक)

वैधता अवधि के भीतर खरीद आर्डर देने में विफलता जिसमें 1.34 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

(वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. 11 का पैरा सं. 11.1.3 (सीए) वाणिज्यिक)

● हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी ने निर्मित हर्जाने के कारण 4.12 करोड़ रुपए का घाटा उठाया क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक रोप शोवेल्स की आपूर्ति करने में सुपुर्दगी समय अनुसूची का पालन करने में विफल रही।

(वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. 1 का पैरा सं. 11.2.1 (सीए) वाणिज्यिक)

वर्ष 2002 की सीए 2 की रिपोर्ट; संघ सरकार (सिविल) स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा।

● उपभोक्ता प्रमाणपत्र

वर्ष 1976 में लेखे के विभागीकरण के फलस्वरूप यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदानों का उचित रूप से उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए थे, सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदानों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा नियंत्रकों को अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। रिकार्ड के अनुसार भारी उद्योग विभाग के संबंध में 279.14 करोड़ रुपए के 49 उपयोगिता प्रमाणपत्र बनाया है।

(वर्ष 2008 की रिपोर्ट सं. 11 का पैरा सं. 1.3 (सीए) सिविल)

(वित्त मंत्रालय के दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 के का. सं. 1(20)/ई-कोर्डिनेशन द्वारा यथा प्राप्त अवलोकन)

हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

पेपर मिलों का उत्पादन संबंधी कार्यनिष्पादन और कागज का विपणन- (रिपोर्ट सं. वर्क 2008 का पीए9 का अध्याय IV)

विशेषताएं

200000 एमटी की संस्थापित, क्षमता की तुलना में वर्ष 2002-03 और 2006-07 के दौरान उत्पादन 98.7 प्रतिशत और 105 प्रतिशत के बीच क्षमता उपयोगिता दर्शाते हुए 1097 लाख एमटी और 2.10 लाख एमटी के बीच रहा। कम्पनी ने जब उच्चतर ग्राम पति वर्गमीटर (जीएसएम) कागज उत्पादित किया तब संस्थापित क्षमता प्राप्त की।

(पैरा 4.7.1 और 4.7.2)

अत्यधिक बंदी से 1,58,561 एमटी की उत्पादन हानि हुई। यांत्रिक अनुरक्षण कागज बंदी, स्पूल का जाम होना और लुगदी की कमी जैसे नियंत्रण योग्य कारक वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान अधिकतम बंदी के लिए उत्तरदायी थे।

(पैरा 4.7.3)

कंपनी द्वारा नियत मानदंडों से अधिक कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की अधिक खपत से भी समीक्षाधीन अवधि के दौरान योगदान में 53.30 करोड़ रुपए की हानि हुई। **(पैरा 4.7.5)**

बुनियादी निविष्टियों की अधिप्राप्ति में बाधाएं मौजूद थी। **(पैरा 4.7.6)**

कंपनी के बाजार हिस्से में वर्षों से 2004-05 में 12.7 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में 9.8 प्रतिशत की गिरावट आ गई। यद्यपि उद्योग का 2006-07 तक पांच वर्षों में 5.5 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से विस्तार हुआ, कंपनी की बिक्री 1.80 लाख एमटी और 2 लाख एमटी के बीच रही।

(पैरा 4.7.2 और 4.7.7.1)

कंपनी वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक बिक्री का समग्र लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। **(पैरा 4.7.7.2)**

विपणन संबंधी प्रयास पर्याप्त नहीं थे और उन्हें बेहतर बाजार आसूचना से नहीं बढ़ाया गया तथा बिक्री डिपो के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई कार्यतंत्र नहीं था।

(पैरा 4.7.7.3 और 4.7.7.5)

स्टॉक के असमापन का कारण आंशिक रूप से मांग का सही आकलन करने में कम्पनी की विफलता और बाजार के उपयुक्त खण्ड पर कब्जा करने में असमर्थता थी। इसके फलस्वरूप, कंपनी संग्रहित स्टॉक की बिक्री के लिए वर्ष 2005-06 और 2006-07 में 27 प्रतिशत की विशेष छूट घोषित करने के लिए बाध्य हुई थी।

(पैरा 4.7.7.5)

कंपनी पर्यावरण संरक्षण के लिए कारपोरेट उत्तरदायित्व (सीआरईपी) के दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट पयावरणीय अपेक्षाओं का पालन नहीं कर सकी।

(पैरा 4.7.8)

(बजट और लेखा द्वारा उनके आईडीसं. जी-25015(4)/2009-बीएण्डए, दिनांक 17/6/2009 के मध्यम से अग्रेषित वित्त मंत्रालय दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को का.मा.सं. 1(20)/ई-कोर्ड/2008 द्वारा वित्त मंत्रालय से यथा प्राप्त अवलोकन)

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एसीएमए	ऑटोमोटिव संघटक विनिर्माता संघ
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एवाई सीएल	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
बीसीएल	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सी डॉट	सेंटर और डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी
सीसीईए	केविनेट कमेटी ऑन इक्नोमिक एफेयरस
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
सीपीएसई	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम
सीपीआईओ	केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
सीपीएलवाई	पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी
ईएफवी	इनवायरलमेंटल फरेन्डली व्हीकल
ईओटी	इलेक्ट्रिली आपरेटेड ट्रॉली
ईपीसी	इंजीनियरी अधिप्राप्ति और निर्माण
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबुस्शन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

आईएल	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
आईसीजीसीसी	एकीकृत कोयला गैसीकरण संयुक्त चक्र
जेपीएमएल	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
जेवीसी	संयुक्त उपक्रम कंपनी
जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालनकर्ता एजेंसी
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओएचआईएंडपीई	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
एमओईएफ	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एमओपीएनजी	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओएसआरटी एंड एच	नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनआईडीसी	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
नैट्रिप	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएण्डडी अवसंरचना परियोजना
पीएसई	सरकारी क्षेत्र के उद्यम
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसआईएएम	भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसआईएटी	अंतर्राष्ट्रीय आटोमोटिव प्रौधोगिकी पर संगोष्ठि
एसएसएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
वीआरडीई	वाठन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूपी	कार्यशील पार्टी

लोक उद्यम विभाग

		पृष्ठ संख्या
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	81
2.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	83
3.	नैगम अभिशासन	89
4.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	92
5.	मानव संसाधन विकास	98
6.	स्थायी मध्यस्थता तंत्र	105
7.	मजूरी नीति एवं जनशक्ति यौक्तिकीकरण	106
8.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	110
9.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	111
10.	परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुन:नियोजन योजना	113
11.	राजभाषा नीति	115
12.	महिलाओं का कल्याण	116
	परिशिष्ट (I-IV)	117–124

अध्याय 1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) हर वर्ष देश में स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईएस) के वित्तीय एवं भौतिक कार्यनिष्पादन सम्बन्धी व्यापक रिपोर्ट जिसे लोक उद्यम सर्वेक्षण कहते हैं, संसद में प्रस्तुत करता है।

1.2 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959-60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष एक अलग (विस्तृत) रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का सम्पूर्ण मूल्यांकन हो। तदनुसार, पहली वार्षिक रिपोर्ट (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960-61 में तैयार की गई थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने तैयार किया था।

1.3 लोक उद्यम सर्वेक्षण में भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियाँ अथवा संसद की विशिष्ट संविधियों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप में स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यम शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कम्पनियां और उनकी सहायक कम्पनियाँ ही शामिल हैं, जिनकी प्रदत्त शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है। परन्तु, इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक शामिल नहीं हैं।

1.4 सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (कोपू) ने अपनी 46वीं रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) में लोक उद्यम सर्वेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, यथा विषय क्षेत्र, परिव्याप्ति, उपक्रमों का वर्गीकरण, रिपोर्ट की विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण का समय तथा लोक उद्यम सर्वेक्षण सम्बन्धी अन्य मामलों को शामिल किया था। लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करते समय कोपू की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है।

1.5 इस सर्वेक्षण के लिए आधारभूत आंकड़े प्रत्येक उद्यम द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र से संकलित किए गए हैं। इस प्रकार संकलित और विश्लेषित आंकड़े तीन अलग-अलग खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.5.1 **खण्ड-1**- में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में वृहत मूल्यांकन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यम के प्रमुख क्रियाकलापों तथा उनके द्वारा विवेच्च वर्ष के दौरान की गई प्रगति को दर्शाया जाता है। इसमें मूल्य नीति उत्पादकता, अनुसंधान एवं विकास, आन्तरिक प्रचालन, मानव संसाधन विकास तथा कल्याण के उपाय जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

1.5.2 **खण्ड-2**- में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रत्येक उद्यम के कार्यकलापों, कार्यात्मक प्रोफाइल, मुख्य वित्तीय विशेषताओं तथा रणनीति सम्बन्धी मुद्दों से सम्बन्धित निष्पादन का विश्लेषण शामिल किया जाता है।

1.5.3 **खण्ड-3**- में गत तीनो वर्षों के उद्यमवार विश्लेषणात्मक आंकड़े शामिल होते हैं। सूचना में संक्षिप्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे और महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात शामिल होते हैं।

1.6 लोक उद्यम सर्वेक्षण (2007-08) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समग्र कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित 48वीं रिपोर्ट है *जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष 25.02.2009 को प्रस्तुत किया गया था।*

1.7 वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया गया है:-

1.7.1 31.03.2008 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 242 केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सीपीएसई) थे। इन 242 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 214 प्रचालन में रहे हैं और 28 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अभी प्रचालन करना है।

1.7.2 जिन 214 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सूचना प्राप्त हुई है उनमें से वर्ष 2007-08 के दौरान 160 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने लाभ दर्शाया है और 53 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने उस वर्ष के दौरान घाटा उठाया है। एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम नामत: भारतीय खाद्धय निगम (एफसीआई) के मामले में लाभ/हानि 'शून्य' है क्योंकि खाद्यानों का प्रापण तथा निर्गम मूल्य भारत सरकारर द्वारा नियत किया जाता है और आर्थिक लागत तथा मूल्य वसूली के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में की जाती है।

1.7.3 संचयी निवेश (प्रदत्त पूंजी जमा दीर्घकालिक ऋण) जो 31.03.1951 को 5 उद्यमों में 29 करोड़ रुपए था। 31.03.2008 को 242 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में बढ़कर 4,55,409 करोड़ रुपए हो गया। जबकि सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में 2006-07 की तुलना में 2007-08 में 'निवेश' में 8.31% की वृद्धि हुई 'उसी अवधि के दौरान 'नियोजित पूंजी' में 15.61% की वृद्धि हुई (तालिका-1) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से अर्थात किसी बजटीय सहायता के बिना पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जा रहा है।

1.7.4 वर्ष 2007-08 में लाभ कमाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (160) का निवल लाभ 91083 करोड़ रुपए था। उस वर्ष के दौरान घाटा उठाने वाले उद्यमों (53) का निवल घाटा 11274 करोड़ रुपए था। इसमें बन्द यूनिटों जैसे फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (1505 करोड़ रुपए) हिन्दुस्तान फर्टिलाजर कॉरपोरेशन (1102 करोड़ रुपए) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (एयर इण्डिया लि. तथा इण्डियन एयरलाइन्स का संविलय करके) नाम से बनाई गई नई कम्पनी के कारण लेखागत हानि शामिल है।

1.7.5 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को वित्तीय उद्देश्य के अलावा वृहत आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा आर्टिफिसियल लिम्ब्स मेन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एलएफआईएमसीओ) आदि ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यम है जो गैर-वित्तीय/सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते रहे हैं। विवेच्च वर्ष में सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियाँ (ओएनजीसी) को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर घरेलू बाजार में कीमतें कम रखने के लिए गम्भीर वित्तीय अवप्राप्ति प्रदर्शित की थी।

वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

तालिका : वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2006-07	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
1.	निवेश (दीर्घकालिक ऋण + इक्विटी	455409	420476	8.31
2.	नियोजन पूँजी (निवल अचल परिसम्पतियाँ +कार्यशील पूंजी)	763127	650959	17.23
3.	कुल कारोबार	1081925	963917	12.24
4.	लाभ कमाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का लाभ	91083	89578	1.68
5.	हानि उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की हानि	11274*	8457	(33.31)
6.	निवल परिसम्पत्ति	518417	452753	14.50
7.	घोषित लाभांश	28081	26819	4.71
8.	निगम कर	40671	32328	25.81
9.	प्रदत्त ब्याज	32240	27455	17.43
10.	केन्द्रीय राजकोष में अंशदान	165994	148789	11.56
11.	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय	74283	70906	4.76
	11.1 तेल कम्पनियाँ	47203	43777	7.83
	11.2 अन्य कम्पनियाँ	27080	27129	(0.18)
12.	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यय	368196	316161	16.46
	12.1 तेल कम्पनियाँ	278992	241736	15.41
	12.2 अन्य कम्पनियाँ	89204	74425	19.86

* वर्ष 2007-08 के दौरान मुख्यत : एनएसीआईएल द्वारा उठाई गई हानि (2226 करोड़ रुपए) के कारण हानि उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की हानि में वृद्धि हुई है जबकि 2006-07 के दौरान एयर इंडिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स को (दोनों को मिलाकर) 688 करोड़ रुपए की हानि हुई थी।

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता

2.1 सरकार सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाने का प्रयास करती रही है। संस्था के अन्तर्नियमों के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में स्वायत्तता प्राप्त है। किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के अध्याधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार के नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनओं के अधीन लाभार्जनकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्यिां प्रदान की हैं।

2.1.1 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में की गई इस वचनबद्धता के मद्देनजर कि प्रतिस्पर्धी परिवेश में प्रचालरत सफल लाभार्जनकारी कम्पनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को प्रत्योजित शक्तियों की समीक्षा की है और इन शक्तियों में वृद्वि कर दी है, जिसका उल्लेख अग्रवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.2.1 इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने उन उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जो तुलनात्मक लाभ एवं विश्व स्तरीय स्वरूप धारण कर पाने में सक्षम हैं। वर्ष 2008 के दौरान 6 और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। वर्तमानत: केन्द्रीय सरकार क्षेत्र में 18 नवरत्न उद्यम हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

- भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.
- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
- कोल इण्डिया लि.
- गेल (इण्डिया) लि.
- हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
- इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.
- महानगर टेलीफोन निगम लि.
- नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि.
- एन एम डी सी लि.
- एनटीपीसी लि.
- तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
- पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि.
- पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
- रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.
- शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.

2.2.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को वर्तमानत:

निम्नलिखित शाक्तियां प्रत्यायोजित की गई है:-

(i) **पूंजीगत व्यय :** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की खरीद करने अथवा प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति प्राप्त है।

(ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम तथा रणनीतिक गठबंधन :-** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों की प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने

अथवा रणनीतिक गठबंधन करने की शक्ति प्राप्त है और साथ ही वे क्रय अथवा अन्य व्यवस्था के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) **संगठनात्मक पुनर्गठन** :- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को लाभ केन्द्रों की स्थापना करने, भारत तथा विदेशों में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्रों की स्थापना करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्गठन करने की शक्ति प्राप्त है।

(iv) **मानव संसाधन प्रबंधन** :- नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को गैर-निदेशक मण्डल स्तर तक के सभी पदों का सृजन व समापन करने तथा इस स्तर तक की सभी नियुक्तियाँ करने की शक्ति प्राप्त है। इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को आन्तरिक स्थानान्तरण करने तथा पदों का पुन: नामकरण करने की भी शाक्ति सौंपी गई है। नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मामले में मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण, तैनाती आदि) संबंधी शाक्तियाँ उद्यम के निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा उद्यम के कार्यपालकों को प्रत्यायोजित करने की शाक्ति प्राप्त हैं।

(v) **संसाधन संग्रहण** :- इन सरकारी उद्यमों को घरेलू पूंजी बाजार से ऋण प्राप्त करने तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की शाक्ति प्रदान की गई है बशर्ते कि प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से आर बी/आर्थिक कार्य विभाग, जैसा अपेक्षित हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(vi) **संयुक्त उद्यम तथा सहायक कम्पनियाँ** :- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को भारत और विदेशों में वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों की स्थापना करने की शक्ति इस शर्त पर प्रत्यायोजित की गई है कि उनमें इक्विटी निवेश निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत होगा:-

- किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए
- किसी एक परियोजना में केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% तक
- सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में पूंजीनिवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 30% तक हो।

(vii) **संविलयन तथा अधिग्रहण** : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियाँ इन शर्तो के अन्तर्गत प्रत्यायोजित की गई हैं कि (i) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना और कम्पनी के कार्यचालन के प्रमुख क्षेत्र में हों (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों की स्थापना से संबंधित शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी और (iii) विदेशों में किए जाने वाले निवेश की सूचना आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति को दी जाएगी। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इससे संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(viii) **सहायक कम्पनियों में विनिवेश/सृजन** : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को सहायक कम्पनियों की परिसंपत्तियाँ अंतरित करने, नई इक्विटी पूँजी का निवेश करने तथा शेयरधारिता का विनिवेश करने की शक्ति प्राप्त है बशर्ते कि ऐसा प्रत्यायोजन उन सहायक कम्पनियों के मामले में किया जाए जो नवरत्न उद्यमों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अधीन धारक कम्पनी द्वारा स्थापित की गई हो और साथ ही संबंधित सरकारी उद्यम (सहायक कम्पनी सहित) के सरकारी स्वरूप में सरकार के पुर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाए और नवरत्न उद्यमों को अपनी सहायक कम्पनियों से पृथक होने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(xi) **कार्यकारी निदेशकों के विदेशी दौरे** : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले व्यापारिक विदेश दौरों का (अध्ययन दौरे, संगाष्ठी इत्यादि को छोड़कर) अनुमोदन करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

2.2.3 उपरिवर्णित शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित शर्तों तथा मार्गनिर्देशों के अध्याधीन है:

- प्रस्ताव अनिवार्य तौर पर लिखित रूप में तथा पर्याप्त समय से पहले निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और साथ ही उसमें संबद्ध कारकों के विशेलषण तथा अनुमानित परिणामों व लाभों का समावेश किया जाए। यदि कोई जोखिमपूर्ण कारक

हो तो उसका आवश्यक तौर पर स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

- जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, खासकर यदि वे पूँजीनिवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूँजीगत पुनर्गठन से सम्बन्धित हों, तो सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक तथा सम्बन्धित कार्यकारी निदेशक अनिवार्य तौर पर उपस्थित हों।
- ऐसे प्रस्ताव के मामले में निर्णय अधिमानत : सर्वसम्मति से लिए जाएँ।
- यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लिया जा सके तो बहुमत से निर्णय किया जाए, परन्तु ऐसा निर्णय लेते समय उपरिलिखित निदेशकों सहित कम-से-कम दो तिहाई निदेशक अवश्य उपस्थित हों। आपत्तियों, असहमति, उन्हें निरस्त करने और निर्णय लिए जाने के कारणों को लिखित रूप से रिकार्डबद्ध किया जाए और उन्हे कार्यवृत में शामिल किया जाए।
- सरकार द्वारा किसी प्रकार की बजटीय सहायता अथवा कोई सरकारी देनदारी अन्तर्ग्रस्त न हों।
- ये केन्द्रीय सरकारी उद्यम आंतरिक निगरानी की एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करेंगे जिसमें निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति की स्थापना करना और उस समिति में गैर-सरकारी निदेशकों को सदस्यता प्रदान करना शामिल होगा।
- पूँजीगत व्यय, पूँजीनिवेश अथवा पर्याप्त वित्तीय या प्रबन्धकीय प्रतिबद्धताओं वाले अन्य मुद्दों से सम्बन्धित अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यम की संरचना एवं कार्यचालन पर दीर्घावधिक प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्ताव व्यावसायिकों या विशेषज्ञों द्वारा तथा उनकी सहायता से तैयार किए जाएँ तथा उपयुक्त मामलों में उनका मूल्यांकन वित्तीय संस्थानों अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक संगठनों द्वारा किया जाए। वित्तीय मूल्यांकन में मूल्यांकन संस्थानों को ऋण या इक्विटी सहभागिता के माध्यम से शामिल करने को वरीयता दी जानी चाहिए।
- प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा रणनीतिक गठबन्धन करने सम्बन्धी प्राधिकार की प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
- प्रत्यायोजित किए गए अधिक प्राधिकार के प्रयोग के पूर्व प्रथम चरण के तौर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों में कम-से-कम चार गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारण्टी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संसाधन उनके आंतरिक स्त्रोतों अथवा पूंजी बाजार सहित अन्य स्त्रोतों से जुटाए जाने चाहिए। बहरहाल, जिन मामलों में यह गारण्टी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसी सरकारी गारण्टी से नवरत्न का दर्जा प्रभावित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हित की प्रायोजित परियोजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली बजटीय सहायता के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी उद्यम नवरत्न का अपना दर्जा बनाए रखने से वंचित नहीं होंगे। बहरहाल, ऐसी परियोजनाओं के लिए पूंजीनिवेश करने के बारे में निर्णय सरकार द्वारा किए जाएंगे न कि सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा।

2.2.4 शीर्ष समिति ने 11.07.2008 को आयोजित अपनी बैठक में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। शीर्ष समिति ने कुछ शर्तों के अधीन कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., कोल इण्डिया लि. ऑयल इण्डिया लि. को भी नवरत्न का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। अब कोल इण्डिया लि. को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

2.2.5 शीर्ष समिति ने 11.7.2008 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान आई एम सी द्वारा की गई समीक्षाओं के आधार पर नवरत्न सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन को नोट किया था।

2.3 मिनीरत्न योजना

2.3.1 अक्टूबर, 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कम्पनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तीय शाक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणीयाँ हैं, श्रेणी-I

तथा श्रेणी-II इससे सम्बन्धित पात्रता की शर्तों इस प्रकार है:-

- **श्रेणी-I** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए और इन तीन वर्षों में कम-से-कम किसी एक वर्ष में उनका कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक होना चाहिए तथा उनकी निवल परिसम्पति घनात्मक होनी चाहिए।

  श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए तथा उनकी निवल परिसम्पति घनात्मक होनी चाहिए।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकार को देय किसी ऋण/ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की हो।
- ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकार की गारण्टी पर निर्भर नहीं करेंगे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा प्राधिकार के अधिक प्रत्यायोजन का प्रयोग कम-से-कम तीन गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके निदेशक मण्डलों को पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय को यह निर्णय करना पड़ेगा कि अधिक शाक्तियों के प्रयोग के पूर्व सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम श्रेणी-I/श्रेणी-II की अपेक्षाएँ पूरी करता है या नहीं।

2.3.2 फिलहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यमों को निर्णय करने सम्बन्धी निम्नलिखित प्राधिकार प्रायोजित किए गए हैं:-

(i) पूंजीगत व्यय

(क) **श्रेणी-I के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए:-** नई परियोजना, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रुपए, अथवा अपनी निवल परिसम्पति के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूंजीगत व्यय करना।

(ख) **श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए:-** नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रुपए, अथवा अपनी निवल परिसम्पत्ति के 50% के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूँजीगत व्यय करना।

(ii) संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनियाँ

(क) **श्रेणी-I के केन्द्रीय सरकारी उद्यम :-** भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना करना कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसम्पत्ति के 15% अथवा 500 करोड़ रुपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं हो। सभी परियोजनाओं में ऐसा पूँजीनिवेश कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसम्पत्ति के 30% से अधिक नहीं हो।

(ख) **श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी उद्यम :-** भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना करना कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसम्पत्ति के 15% अथवा 250 करोड़ रुपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं हो। सभी परियोजनाओं में ऐसा निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसम्पत्ति के 30% से अधिक नहीं हो।

(iii) संविलयन तथा अधिग्रहण : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को संविलयन तथा अधिग्रहण से सम्बन्धित शाक्तियाँ प्राप्त हैं बशर्ते कि (क) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना तथा उसके कार्यचालन से सम्बन्धित प्रमुख क्षेत्र में हो, (ख) इस सम्बन्ध में शर्ते वही लागू होंगी जो संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों की स्थापना के मामले में लागू होती हैं, और (ग) विदेशों में किए गए पूँजीनिवेश के बारे में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति को सूचित किया जाए। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से सम्बन्धित शक्तियों को प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि इससे सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(iv) मानव संसाधन विकास सम्बन्धी योजना :- कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबन्धन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना इत्यादि से सम्बन्धित स्कीमें तैयार करना और क्रियान्वित करना। इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के सम्बन्ध में मानव संसाधन प्रबन्ध (नियुक्तियाँ, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से

सम्बन्धित शक्तियाँ निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को, सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल द्वारा जैसा भी निर्णय किया जाए, को प्रत्यायोजित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(iv) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे :-** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिनों तक की अवधि वाले विदेश व्यापार दौरे (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी से भिन्न) का अनुमोदन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन :-** समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अध्याधीन प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/रणनीतिक गठबन्धन प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/रणनीतिक गठबन्धन निष्पादित करना और खरीद अथवा अन्य व्यवस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करना।

(vii) **सहायक कम्पनियों में विनिवेश सृजन :-** सहायक कम्पनियों को परिसम्पत्तियाँ, अंतरित करना, उनमें नई इक्विटी को निवेश करना तथा उनकी शेयरधारिता का अंतरण करना, बशर्ते कि प्रत्यायोजन धारक कम्पनी द्वारा मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत स्थापित सहायक कम्पनियों के मामले में किया गया हो और साथ ही सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सहायक कम्पनी सहित) के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे मिनीरत्न उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों से अलग होने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

2.3.3 उपरोक्त प्रत्यायोजन की शक्तियां नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में लागू समरूप शर्तों के अनुसार हैं।

2.3.4 अन्तर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) ने वर्ष 2008 (मार्च, 2009 तक) के दौरान 5 मिनिरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (भारत डायनेमिक लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. आवास एवं शहरी विकास निगम लि., नेवेली निग्नाइट कॉरपोरेशन लि., तथा वाप्कोस लि.) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की।

2.4 अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम

2.4.1 जिन सरकारी उद्यमों ने 3 पूर्ववर्ती लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और जिनकी निवल परिसम्पत्ति घनात्मक हो, उन्हें अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

(i) **पूँजीगत व्यय:** - केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सरकारी अनुमोदन के बिना 150 करोड़ रुपए अथवा निवल परिसम्पत्ति के 50% के बराबर इनमें से जो भी कम हो, पूँजीगत व्यय करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अध्याधीन है:

(क) अनुमोदित पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में विचाराधीन परियोजना का समावेश के लिए परिव्यय प्रदान करना,

(ख) अपेक्षित राशि की व्यवस्था कम्पनी के आंतरिक संसाधनों तथा बजटेत्तर साधनों से की जा सके और सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत बजट में शामिल स्कीम पर ही धनराशि खर्च की जाए।

(ii) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे :** - केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपातस्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले व्यवसाय सम्बन्धी विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि इत्यादि को छोड़कर) को अनुमोदन करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य कार्यपालक सहित सभी अन्य मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रहेगा।

2.5 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों का व्यवसायीकरण

2.5.1 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों की संरचना से नीतियों का प्रतिपादन करता है। सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में वर्ष 1991 से जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा है उसके अनुपालन में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में अनेक उपाय किए हैं। वर्ष

1992 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में बाहर के व्यावसायिकों को शामिल किया जाए और ऐसे निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की कुल वास्तविक संख्या की कम-से-कम एक तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूचीबद्ध उद्यमों के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या निदेशक मण्डल की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के छठे भाग से अधिक, परन्तु अधिकतम दो, नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक निदेशक मण्डल में कुछ कार्यकारी निदेशक होने चाहिएं जिनकी संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.5.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के चयन और उनकी नियुक्ति की पात्रता के सम्बन्ध में निम्नलिखित मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है:

- **आयु :** आयु 45-65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए। बहरहाल, ख्यातिप्राप्त व्यावसायिकों के मामले में 70 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है परन्तु इसके लिए कारणों का लिखित उल्लेख करना होगा।
- **शैक्षणिक योग्यता :** अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक होगी।
- **अनुभव :** उद्योग, व्यापार अथवा कृषि के क्षेत्र में प्रामाणिक योग्यता वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति। नैगम क्षेत्र/सरकारी उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध निदेशक, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रोफेसर अथवा किसी संस्थान में निदेशक स्तर के पद पर ख्यातिप्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट/कोस्ट एकाउटेंट/विभागाध्यक्ष, सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

2.5.3 गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रारम्भ किए जाते है। जहां तक केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के नवरत्न तथा मिनीरत्न उद्यमों का सम्बन्ध है, गैर-सरकार निदेशकों का चयन खोज समिति द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष (पीईएसबी), सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव, सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा कुछ अन्य गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शेष उद्यमों (नवरत्न) एवं मिनी रत्न उद्यमों को छोड़कर) के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय की खोज समिति/पीईएसबी की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है।

2.5.4 नवरत्न योजना में यह प्रावधान है कि इन कम्पनियों के निदेशक मण्डलों द्वारा बढ़ाई गई शक्तियों के प्रयोग के पूर्व निदेशक मण्डल मे कम से कम चार गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण किया जाए। इसी प्रकार मिनीरत्न योजना के अन्तर्गत मिनीरत्न उद्यमों के मामले में कम से कम तीन गैर-सरकारी निदेशकों का समावेश प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग के पूर्व शर्त है।

2.5.5 01.01.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान खोज समिति तथा लोक उद्यम चयन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 77 उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए करीब 176 व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा की है।

2.5.6 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पीईएसबी की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन नियुक्ति होती है और उनकी वरीयता सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों में निहित होती है।

अध्याय 3

नैगम अभिशासन

3.1 सम्पूर्ण विश्व में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गत कुछ वर्षों के दौरान नैगम अभिशासन की अवधारणा ने काफी वाद-विवाद को जन्म दिया है। नैगम अभिशासन में नैगम निकायों द्वारा शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं, विनियामक प्राधिकरणों तथा कुल मिलाकर समुदाय के सन्दर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य तौर पर इसका अर्थ हितधारकों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य, के संदर्भ में नैगम आचरण की एक संहिता है। नैगम अभिशासन का निहितार्थ प्रबन्धन प्रणाली की पारदर्शिता से है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण यांत्रिकी शामिल हैं। इससे ऐसी प्रणाली उपलब्ध हो जाती है जिसके जरिए नैगम निकायों को निदेशित और नियंत्रित किया जाता है और साथ ही शेयरधारकों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन के बीच रोध एवं संतुलन की एक प्रणाली तैयार करने की कोशिश की जाती है।

3.1.2 भारत में, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित सभी सूचीबद्ध कम्पनियाँ सेबी के दिशानिर्देशों के दायरे में आती हैं। भारत में नैगम अभिशासन मानकों में और सुधार करने के लिए सेबी ने वर्ष 2002 में गठित एन आर नारायण मूर्ति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर नैगम अभिशासन संहिता में संशोधन किया है। सेबी के दिशानिर्देशों के भाग 49 में सूचीबद्ध कम्पनी के लिए नैगम अभिशासन से सम्बंधित विविध प्रावधानों का अनुसरण करना अनिवार्य बना दिया गया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), जो 30 लोकतांत्रिक सरकारों का एक मंच हैं, ने भी नैगम अभिशासन सम्बन्धी मुद्दों पर ध्यान दिया और नैगम अभिशासन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव दिया। सितम्बर, 2005 में ओईसीडी ने राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों में नैगम अभिशासन के सम्बन्ध में दिशानिर्देश परिपत्रित किया। इन दिशा-निर्देशों में कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे (i) राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों में एक प्रभावी विधिक तथा विनियामक ढांचा, (ii) स्वामी के रूप में सरकार, (iii) शेयरधारकों के साथ औचित्यपूर्ण व्यवहार, (iv) हितधारकों से सम्बन्ध, (v) पारदर्शिता एवं प्रकटन और (vi) राजकीय स्वामित्व वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों के दायित्व।

3.1.3 वर्ष 1991 के बाद की अवधि में सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र की संख्या घटा दी गई थी। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से आंतरिक संसाधन एवं ऋण की तलाश करने तथा लाभ अर्जित करने के वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप परिचालन एवं दक्षता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की गई थी।

3.1.4 दिनांक 24.07.1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में लोक उद्यम विभाग द्वारा मार्च, 1992 में निदेशक मण्डलों के गठन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि किसी सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल में कम से कम एक तिहाई गैर-सरकारी निदेशक होने चाहिए। सरकार द्वारा वर्ष 1997 में तैयार की गई नवरत्न तथा मिनी रत्न योजना में यह प्रावधान किया गया था कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को लेखापरीक्षा समितियों का गठन करना चाहिए। सेबी के दिशा-निर्देशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग द्वारा नवम्बर, 2001 में कुछ और अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें यह कहा गया था कि कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम से कम निदेशकों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए।

3.1.5 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति का उल्लेख राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में किया गया है। एनसीएमपी में अन्य बातों के साथ-साथ (i) प्रतिस्पर्धी परिवेश में प्रचालन करने वाले सफल, लाभार्जनकारी कम्पनियों को पूर्ण प्रबन्धकीय तथा वाणिज्यिक स्वायत्तता देने और (ii) संसाधन जुटाने तथा खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी कम्पनियों को पूंजी बाजार में प्रवेश करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है।

3.2 नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों का प्रतिपादन

3.2.1 सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं और कुछ अन्य उद्यमों को भी नवरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी उद्यमों के लोक उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप परिप्रेक्ष्य में सरकारी ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का अनुमोदन कर दिया है। ये दिशानिर्देश लोक उद्यम विभाग द्वारा सम्बद्ध नियमों, अनुदेशों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन मार्ग निर्देशों को तैयार करते समय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों, कम्पनी कार्य मंत्रालय, वित्त (व्यय) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड ए जी), भारतीय प्रत्याभूति एवं विनियम बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीडब्ल्युएआई), नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेस (एनएफसीजी), इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजिज आदि जैसे विभिन्न हित धारकों के मंतव्यों पर भी विचार किया गया था।

3.2.2 ये दिशानिर्देश सभी सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लागू हैं और इसमें निदेशक मण्डल के गठन, लेखापरीक्षा समिति, सहायक कम्पनियों, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा अनुपालन आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

3.3 निदेशक मण्डल का गठन

3.3.1 निदेशक मण्डल के गठन के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर-सरकारी निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर-सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व परिभाषित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। सेबी के भाग 49 की भांति इन मार्ग निदेशों में सम्बन्धित भागों का समावेश किया गया है ताकि गैर-सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

3.3.2 यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाए तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को भेज दी जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार सहिंता बनानी चाहिए। इस सम्बंध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

3.4 लेखापरीक्षा समिति

3.4.1 लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम-से-कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम-से-कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

3.5 सहायक कम्पनियाँ

3.5.1 सहायक कम्पनियों के मामलें में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन-देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को दी जाए।

3.6 प्रकटन

3.6.1 प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन-देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्दर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारित तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

3.7 अनुपालन

3.7.1 दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन सम्बन्धी एक पृथक हो और उसमें अनुपालन का विस्तार ब्यौरा दिया जाए। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाए और यह कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग हो।

3.8 कार्यान्वयन तथा श्रेणीकरण

3.8.1 लोक उद्यम विभाग उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी का निर्धारण करेगा और इस श्रेणीकरण का उपयोग समझौता ज्ञापन पुरस्कारों के लिए किया जाएगा।

3.8.2 राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों के महत्व को देखते हुए सभी राज्यों को भी इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

अध्याय 4

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

4.1 समझौता ज्ञापन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन तथा भारत सरकार के बीच का एक वार्तासम्मत दस्तावेज है। इस करार के अन्तर्गत सरकारी उद्यम वर्ष के प्रारम्भ में किए गए करार में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वचन देते हैं।

4.2 उद्देश्य

4.2.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की स्वायत्तता तथा प्रबन्धन के उत्तरदायित्व में वृद्धि करके उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करना है।

4.3 भारत में समझौता ज्ञापन प्रणाली की उत्पत्ति

4.3.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सम्बन्धित नीति की समीक्षा के लिए गठित अर्जुन सेन गुप्ता समिति (1984) की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते समय मंत्रियों के समूह ने दिसम्बर, 1985 की अपनी बैठक ने यह निर्णय किया कि सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन के आधार पर किया जाना चाहिए। तदनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 4 उद्यमों ने अपने सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ वर्ष 1987-88 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

4.3.2 वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी बल दिया और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधिकाधिक उद्यमों को समझौता ज्ञापन प्रणाली में शामिल करने का निर्णय किया। उक्त नीतिगत वक्तव्य में यह कहा गया था:

''समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से कार्यनिष्पादन में सुधार पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा और इसके माध्यम से प्रबन्धन को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी और उन्हें उत्तरदायी बनाया जाएगा। समझौता ज्ञापन सम्बन्धी वार्ताओं और उसके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा तकनीकी विशेषज्ञता का उन्नयन किया जाएगा।''

4.3.3 उपर्युक्त नीतिगत वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कालक्रम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को समझौता ज्ञापन प्रणाली के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

4.4 समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में एन सी ए ई आर का अध्ययन तथा निष्पादन मूल्यांकन

4.4.1 लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2003 ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकॉनोमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) को निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्डों के चयन तथा विभिन्न प्राचलों को भारांक के आबंटन पर नए सिरे से विचार करने के लिए अध्ययन करने का कार्य सौंपा। अंतिम तौर पर एन सी ए ई आर ने निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी प्राचलों के निम्नलिखित प्रधान घटकों के बारे में अनुशंसा की:

प्राचलों के प्रधान घटक		भारांक
1.	वित्तीय (स्थैतिक) प्राचल	50%
2.	गैर-वित्तीय प्राचल	50%
	(i) गत्यात्मक प्राचल	30%
	(ii) उद्यम सापेक्ष प्राचल	10%
	(iii) क्षेत्र सापेक्ष प्राचल	10%

4.4.2 हालाँकि पूर्ववर्ती प्रणाली में 'वित्तीय' प्राचलों को 60% तथा गैर-वित्तीय प्राचलों को 40% भारांक दिया जाता था, परन्तु एन सी ए ई आर ने 'वित्तीय' तथा 'गैर-वित्तीय' दोनों प्राचलों को समान भारांक (50%) प्रदान करने की अनुशंसा की। इस मामले में यह निष्पादन मूल्यांकन सम्बंधी 'संतुलित अंक कार्ड' उपागम के सदृश्य हैं। गैर-वित्तीय प्राचलों को पुन: 'गत्यात्मक प्राचल' 'उद्यम-सापेक्ष्य प्राचल' तथा 'क्षेत्र सापेक्ष' प्राचल में उप-विभाजित किया गया है। 'स्थैतिक/वित्तीय' प्राचल सामान्य तौर पर लाभकारिता, आकार तथा उत्पादकता से संबंधित हैं जबकि 'गत्यात्मक' प्राचलों का सम्बन्ध परियोजना कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास में निवेश तथा

वैश्वीकरण की सीमा से संबंधित हैं। इसी प्रकार, क्षेत्र-सापेक्ष प्राचलों में ऐसे वृहत आर्थिक कारक शामिल हैं जो प्रबन्धन के नियंत्रण से परे हैं, यथा माँग व आपूर्ति में परिवर्तन, मूल्यों में उतार-चढ़ाव, ब्याज दर में परिवर्तन आदि से और 'उद्यम-सापेक्ष' प्राचल सुरक्षा तथा प्रदूषण आदि जैसे मुद्दो से सम्बन्धित हैं।

4.4.3 इसके साथ ही, हालाँकि उपर्युक्त अनुशंसित प्रधान संघटक सभी उद्यमों के लिए एक समान थे, तथापि निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रत्येक प्रधान संघटक के अंतर्गत मानदण्ड के रूप में सुझाई गई मदें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के लिए अलग-अलग थीं जिन्हें (क) सामाजिक क्षेत्र, (ख) वित्तीय क्षेत्र, (ग) व्यापार एवं परामर्शी क्षेत्र तथा (घ) वित्तीय व्यापार/परामर्शी तथा सामाजिक क्षेत्र से इतर क्षेत्र, के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नए उपागम में कार्यदल को विचाराधीन उद्यम के सम्बन्ध में अपनी धारणा के अनुसार गत्यात्मक, उद्यम-सापेक्ष तथा क्षेत्र-सापेक्ष के अन्तर्गत शामिल विभिन्न मानदण्डों के भारांक में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार दिया गया था। बाद में, सरकार ने एन सी ई ए आर की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा निष्पादन लक्ष्यों के निर्धारण से सम्बन्धित नई क्रियाविधि वर्ष 2004-05 से लागू हो गई।

4.5 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबन्ध

4.5.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) सचिवों की समिति है जिसे सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन में की गई प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में सरकारी उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समझौता ज्ञापन में की गई वचनबद्धताओं के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई आवश्यक सहायक का निर्धारण के लिए शीर्ष समिति के रूप में गठित किया गया था। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा की जाती है। सचिव, लोक उद्यम विभाग इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। इस संस्थागत प्रबन्ध के शीर्ष पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. मंत्रिमंडल सचिव, अध्यक्ष
2. वित्त सचिव, सदस्य
3. सचिव (व्यय), सदस्य
4. सचिव (योजना आयोग), सदस्य
5. सचिव, (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), सदस्य
6. सचिव, निष्पादन प्रबन्ध, सदस्य
7. अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), सदस्य
8. अध्यक्ष, प्रशुल्क आयोग, सदस्य
9. मुख्य आर्थिक सलाहकार, सदस्य
10. सचिव (लोक उद्यम), सदस्य सचिव

4.6 समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्य दल

4.6.1 सचिवों की समिति ने 26 दिसम्बर, 1988 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्राचलों तथा भारांकों के निर्धारण के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए। इस कार्यदल के सदस्यों में पूर्व सिविल कर्मचारी, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालक, व्यावसायिक तथा शिक्षाविद शामिल हैं। इस कार्यदल को पुनः विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है जिन्हें सिन्डिकेट कहा जाता है और प्रत्येक सिन्डिकेट को किसी खास क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्य सौपें गए हैं। वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को निम्नलिखित 14 सिन्डिकेटों में विभाजित किया गया है:-

1. पेट्रोलियम-I
2. पेट्रोलियम-II
3. ऊर्जा-I
4. ऊर्जा-II
5. औद्योगिक क्षेत्र-I
6. औद्योगिक क्षेत्र-II
7. औद्योगिक क्षेत्र-III
8. खनन एवं धातु
9. इलैक्ट्रोनिक्स/संचार
10. परिवहन
11. व्यापार एवं सेवाएं
12. उर्वरक एवं कृषि उद्योग
13. परामर्शी सेवाएं
14. वित्तीय

4.7 समझौता ज्ञापन से छूट

4.7.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित 09.08.1995 की अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि यदि केन्द्रीय क्षेत्र का कोई उद्यम किन्हीं विशिष्ट कारणों से किसी वर्ष में इस प्रणाली से बाहर रहना चाहे तो उसके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को सम्बन्धित सचिव की सहमति से तथा लोक विभाग के माध्यम से उच्चाधिकार प्राप्त समिति का

पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के मामले में समान रूप से लागू होगी चाहे वे लाभार्जनकारी, घाटा उठाने वाले अथवा रूग्ण उद्यम हों।

4.7.2 विगत वर्षों के दौरान यह पाया गया था कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने की छूट प्राप्त करना चाहते थे। अत:, उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

(i) रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सभी उद्यम प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अपने सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करता अथवा हस्ताक्षर करने में विलम्ब करता है तो उसका निष्पादन ''असंतोषनजक'' श्रेणी का माना जाएगा और इसका उल्लेख सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में किया जाएगा।

(ii) सहायक कम्पनियां अपनी धारक कम्पनियों के साथ उसी प्रकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगीं जैसे कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम भारत सरकार के साथ रहता है। कार्यदल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की सहायक कम्पनियों के मामले में भी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देगा तथा उसका मूल्यांकन करेगा। समझौता ज्ञापन से सम्बंधित प्रपत्र सहायक कम्पनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक समान होंगे।

4.8 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत निष्पादन मूल्यांकन

4.8.1 निष्पादन मूल्यांकन ''लाभ'', ''बिक्री'' आदि जैसे चुनिंदा प्राचलों के आधार पर किया जाता है।

4.8.2 किसी उद्यम के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्यदल द्वारा वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है।

4.8.3 निष्पादन मूल्यांकन ''संतुलित अंक'' उपागम पर आधारित है जिसमें वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्राचल दोनों शामिल हैं। गैर-वित्तीय प्राचलों में 'गत्यात्मक' 'क्षेत्र सापेक्ष' 'एवं उद्यम सापेक्ष' प्राचल शामिल हैं।

4.8.4 इसके साथ ही संयुक्त अंक की गणना वास्तविक उपलब्धियों तथा उस प्राचल को दिए गए भारांक के आधार पर पांच अंकीय पैमाने पर की जाती है।

4.9 लक्ष्यों में संशोधन

4.9.1 कई कारणों से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछेक उद्यम लक्ष्यों में संशोधन करना चाहते हैं। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन करते समय कार्यदल ने यह पाया कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों ने विभिन्न कारणों समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित अपने प्राचलों/लक्ष्यों में अधोमुखी संशोधन की मांग की थी। यह अच्छी प्रवृति नहीं मानी गई थी क्योंकि ऐसा करना वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी मिल जाने के बाद लक्ष्यों के पुन: निर्धारण के समान था। इसे समझौता ज्ञापन प्रणाली के मूल भाव के विपरित भी माना गया था, क्योंकि यह प्रणाली मूल तौर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धन तथा भारत सरकार के बीच एक करार है जिसके अन्तर्गत कोई उद्यम वर्ष के प्रारम्भ में विभिन्न प्राचलों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वचन देता है

4.9.2 इस अनुचित प्रवृति को हतोत्साहित करने तथा समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों के निर्धारण की प्रणाली को अधिक यथार्थपरक बनाने के लिए कार्यदल के अध्यक्ष एवं संयोजकों ने यह अनुशंसा की कि यदि किसी उद्यम के समझौता ज्ञापन सम्बन्धी निष्पादन का मूल्यांकन लक्ष्यों में अधोमुखी संशोधन पर आधारित होगा तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे उद्यम 'उत्कृष्टता प्रमाण पत्र' सहित किसी अन्य प्रकार के पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी 10.08.1989 की अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि ''समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्य और वार्षिक योजनागत लक्ष्य एक समान होने चाहिए और उन्हें वर्ष के बीच में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।'' इसलिए एक बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद लक्ष्यों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती।

4.10 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार

4.10.1 समझौता ज्ञापन इस मान्यता पर आधारित है कि कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए यह मात्र वस्तुपरक निष्पादन मूल्यांकन की प्रणाली नहीं होगी। निष्पादन प्रोत्साहन प्रणाली के माध्यम से बेहतर निष्पादन को पुरस्कृत करना भी आवश्यक है। यह प्रोत्साहन प्रणाली दो प्रकार की हो सकती है अर्थात मौद्रिक

एवं गैर मौद्रिक। मौद्रिक प्रोत्साहन के लिए समझौता ज्ञापन सम्बन्धी अंक का निहितार्थ है क्योंकि इसके लिए कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान के माध्यम से उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और मामले में समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों पर किया जाता है।

4.10.2 जगन्नाथ राव समिति (द्वितीय वेतन संशोधन समिति) ने यह अनुशंसा की है कि समझौता ज्ञापन निष्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान का एक आधारभूत मानदण्ड होगा, क्योंकि यह सीधे समझौता ज्ञापन निष्पादन से सम्बद्ध है। सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने मूल मंत्रालयों / विभागों / धारक कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया है ताकि उन्हें कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान / परिवर्तनशील वेतन का पात्र बनाया जा सके। समझौता ज्ञापन में प्रमुख परिणाम वाले सभी निर्धारित क्षेत्रों के साथ-साथ समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित श्रेणी पीआरपी का आधार भी होगा। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम ''उत्कृष्ट'' श्रेणी प्राप्त करता है तो वह 100% पीआरपी का भुगतान करने का पात्र होगा। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में ''अति उत्तम'' ''उत्तम'' तथा ''संतोषजनक'' श्रेणी प्राप्त करने वाले उद्यम क्रमशः 80%, 60% तथा 40% पीआरपी का भुगतान करने के पात्र होंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को समझौता ज्ञापन के संदर्भ में ''असंतोषजनक'' श्रेणी प्रदान की जाती है तो वह उद्यम पीआरपी के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा चाहे उसकी लाभकारिता की स्थिति कुछ भी क्यों न हो।

4.10.3 गैर मौद्रिक प्रोत्साहन समझौता ज्ञापन पुरस्कार के रूप में होते हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के अतिरिक्त इस पुरस्कार से समझौता ज्ञापन प्रणाली से सम्बन्धित उच्च स्तरीय नीति निर्माताओं की प्रतिबद्धता भी झलकती है।

4.11 पुरस्कारों की पुरानी प्रणाली (2005-06 तक)

4.11.1 इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्कृष्ट निष्पादन वाले 10 शीर्ष उद्यमों को समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता प्रमाणपत्र तथा ट्रॉफी प्रदान की जाती थी और उत्कृष्ट निष्पादन वाले अन्य उद्यमों को गुणता प्रमाण पत्र (मेरिट सर्टिफिकेट) दिया जाता था। 10 शीर्ष उद्यमों का क्रम निर्धारण समझौता ज्ञापन सम्बन्धी उनके अंक के आधार पर किया जाता था, चाहे वे किसी क्षेत्र / सिण्डिकेट के हों। भारत सरकार ने पहले बार वर्ष 1987-88 तथा 1989-90 में समझौता ज्ञापन पुरस्कार दिया था तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के चयनित उद्यमों को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 11 अगस्त, 1990 को पुरस्कार प्रदान किया गया था। (तत्पश्चात कई वर्षों तक पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। समझौता ज्ञापन सम्बन्धी सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 10 मार्च, 1995 को उत्कृष्ट निष्पादन वाले 10 शीर्ष उद्यमों को विशेष पुरस्कार देने तथा उत्कृष्टता निष्पादन वाले अन्य उद्यमों को गुणता प्रमाणपत्र देने का निर्णय किया था)। वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा 1 अप्रैल, 2000 को दिया गया था। वर्ष 2001-02 के लिए पुरस्कार दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए थे। वर्ष 2002-03 के लिए ये पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 4 सितम्बर, 2004 को प्रदान किए गए थे। वर्ष 2003-04 से सम्बन्धित समझौता ज्ञापन पुरस्कार समझौता ज्ञापन पुरस्कार समारोह का आयोजन 10 जनवरी, 2006 को किया गया था तथा पुरस्कार भारत के उप राष्ट्रपति द्वारा दिए गए थे। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए ये पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च, 2007 को प्रदान किए गए थे।

4.12 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के सिद्धांत

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 10 मार्च, 1995 की अपनी बैठक में समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दस शीर्ष उद्यमों के चयन के सम्बन्ध में जिन आधारभूत सिद्धांतों का निर्धारण किया वे इस प्रकार हैं:

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यम का लाभ गत वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए।

(ii) उद्यम घाटा उठाने वाला नहीं होना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यम का संयुक्त अंक 2.00 से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.13 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को समझौता ज्ञापन पुरस्कार की समीक्षा

4.13.1 समझौता ज्ञापन सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा के लिए 15 दिसम्बर, 2006 की अपनी बैठक में श्री एन के सिन्हा, अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 2007 में प्रस्तुत कर दी थी।

4.14 उत्कृष्टता पुरस्कार की नई प्रणाली (वर्ष 2006-07 के बाद से लागू)

4.14.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 27.07.2007 की अपनी बैठक में एन के सिन्हा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिये:

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वर्ष में एक बार किया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम लेखापरीक्षित लेखे के आधार पर स्वमूल्यांकन अंक 31 अगस्त तक लोक उद्यम विभाग को नहीं प्रस्तुत करते हैं उन्हें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(ii) समझौता ज्ञापन सम्बन्धी संयुक्त अंक तथा श्रेणीकरण के निर्धारण का कार्य कार्यदल के सम्बन्धित सिण्डिकेट समूह द्वारा तैयार एवं अंतिम कृत किया जाना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यम तथा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर एक बार हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद लक्ष्यों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) एनसीएईआर की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्राचलों को 50% का समान भारांक दिए जाने की मौजूदा प्रणाली फिलहाल जारी रखी जाए।

(v) पुरस्कारों की कुल संख्या 12 (10 सिण्डिकेटों में से प्रत्येक को 1, सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से एक, रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन वाले मामलों में से एक) होगी। उत्कृष्ट निष्पादन वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों को गुणता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(vi) उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1995 की अपनी बैठक में समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के चयन से सम्बन्धित आधारभूत सिद्धांत जारी रखे जाएं।

(vii) चूंकि उत्कृष्ट श्रेणी 1 से 1.5 अंक वालों को प्रदान की जाती है, अत: 1.5 तक संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले उद्यम समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(viii) वर्ष 2007-08 के बाद से नैगम अभिशासन के अनुपालन को भी सभी तीनों श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने हेतु विचार किए जाने के एक मानदण्ड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

4.15 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यम

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	1998-99	108
1988-89	11	1999-2000	108
1989-90	18	2000-2001	107
1990-91	23	2001-2002	104
1991-92	72	2002-2003	100
1992-93	98	2003-2004	96
1993-94	101	2004-2005	99
1994-95	100	2005-2006	102
1995-96	104	2006-2007	113
1996-97	110	2007-2008	144
1997-98	108	2008-2009	147

4.15.1 वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 207 उद्यम (147 धारक कम्पनियाँ तथा 60 सहायक कम्पनियाँ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।

4.16 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का निष्पादन

4.16.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है और उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषजनक तथा असंतोषजनक श्रेणी प्रदान की जाती है। गत छ: वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई श्रेणी और उनके निष्पादन ब्योरा निम्नवत है:-

श्रेणी	सरकारी उद्यमों की संख्या					
वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
उत्कृष्ट	46	54	45	44	45	55
अति उत्तम	21	21	31	36	31	34
उत्तम	12	10	12	14	12	15
संतोषजनक	16	11	10	08	06	08
असंतोषजनक	02	00	01	00	00	00
कुल	97	96	99	102	94	112

4.17 राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत

4.17.1 राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण तैयार करने तथा उन उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत करने

के लिए राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र के सचिवों, जो राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के प्रभारी हैं, का एक सम्मेलन दिनांक 10.12.2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया था भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री तथा राज्य मंत्री के अलावा सदस्य (उद्योग), योजना आयोग ने भी इस सम्मेलन को सम्बोधित किया। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से प्रबन्धन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके तथा उन्हें उत्तरदायी बना कर प्रबन्धन के एक साधन के रूप में समझौता ज्ञापन प्रणाली से सम्बन्धित अनुभवों पर सहभागियों के साथ चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के लिए समझौता ज्ञापन के प्रपत्र के प्रारूप पर राज्य सरकारों के सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

4.17.2 राज्य सरकारों के सचिवों के साथ हुए विचार-विमर्श तथा राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न निविष्टियों के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के लिए किया जा सकता है। मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) तथा सचिव, लोक उद्यम विभाग ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को समझौता ज्ञापन के मॉडल के साथ-साथ पृथक-पृथक अर्द्धशासकीय पत्र भेजे हैं जिसमें राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली अंगीकार करने का अनुरोध किया है।

अध्याय 5

मानव संसाधन विकास

5.1 मानव संसाधन विकास

5.1.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास विभिन्न विषयों में व्यावसायिक अर्हताप्राप्त कार्मिकों का विशाल भण्डार है और उद्यमों का सुदक्ष प्रचालन काफी हद तक श्रमशक्ति के कारगर उपयोग पर निर्भर करता है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण प्रबन्ध तकनीकों, प्रौद्योगिकी, वित्तीय पद्धतियों आदि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार मानव संसाधन विकास सरकारी उद्यमों के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इससे एक ऐसे परिवेश के सृजन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है जिसमें लोग अपनी उत्पादक क्षमता एवं रचनात्मक क्रियाकलापों की संभावनाओं को पूर्ण विकास कर सकें। श्रमशक्ति की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार के लिए और साथ ही उनके ज्ञान एवं उनकी कुशलता के उन्नयन के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्रीय उद्यम अपने कार्यपालकों को भारत तथा विदेशों में प्रमुख प्रबन्धन/प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त करते हैं।

5.2 कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.2.1 सरकारी उद्यमों के लिए नोडल विभाग के रूप में लोक उद्यम विभाग देश के प्रमुख प्रबन्धन/प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से सरकारी उद्यमों के वरिष्ठ एवं मध्य स्तरीय कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके सरकारी उद्यमों को मानव संसाधन विकास सम्बन्धी उनके प्रयास में सहायता कर रहा है।

5.2.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यम मानव संसाधन विकास सम्बन्धी अपने कार्यक्रम तैयार करते हैं ताकि वे अपने मध्य एवं वरिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों को भारत में प्रशिक्षण देकर उनकी कुशलता एवं उनके ज्ञान में बढ़ोत्तरी कर सकें। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के इस प्रयास में सहायता देने के लिए कुछ प्रमुख प्रबन्धन/प्रशिक्षण संस्थान लोक उद्यम विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। कार्यपालक विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) की अवधि 2-5 दिनों की होती है। वर्ष 2007-08 के दौरान ऐसे 26 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और वर्ष 2008-09 के दौरान ऐसे 20 कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की योजना है। ये कार्यक्रम सीएमसी लि., जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर डवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेकेट्रीज, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्कस् एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया, हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माईक्रो एण्ड मीडियम इन्टरप्राईजेज हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मेनेजमेंट, फरीदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इण्डिया, इण्डियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डैवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया, इण्डियन सोसायटी ऑफ हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगलौर आदि के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

5.2.3 इन कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले विषयों में वित्तीय प्रबन्धन, नेतृत्व सम्बन्धी चुनौतियाँ, कारगर विपणन प्रबन्धन, सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-कॉमर्स, समझौता ज्ञापन के सिद्धांत एवं व्यवहार, परियोजना प्रबन्धन, पूँजी बाजार में सुधार तथा जोखिम प्रबन्धन, वार्ता सम्बन्धी रणनीतियां एवं कुशलता, स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबन्धन, औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम सम्बन्धी मुद्दे अन्तरराष्ट्रीय कराधान/ अन्तरराष्ट्रीय विपणन तथा मलिन बस्ती विकास से सम्बन्धित रेखांकन मानक शामिल है।

5.2.4 भारत इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईज (आईसीपीई), ल्यूबजाना, स्लोवेनिया, जो कि

अन्तरराष्ट्रीय संगठन है, का संस्थापक सदस्य है। भारत ने वर्ष 2007-08 से अपना वार्षिक अंशदान दोगुना कर दिया है। फिलहार, भारत का नामित सदस्य आईसीपीई का महानिदेशक है। आईसीपीई प्रतिवर्ष पूर्णकालिक एमबीए पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है। सचिव, लोक उद्यम विभाग आईआईएम, कोलकाता के बोर्ड गवर्नर्स तथा इन्स्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईजेज, हैदराबाद के सदस्य हैं। लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन के कार्यकारी बोर्ड का भी सदस्य है।

5.3 कार्मिक नीति

5.3.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्मिक नीति से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विभाग द्वारा विचार किया जाता है। विवेच्य वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल निम्नवत हैं:-

5.4 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के लिए निदेशक मण्डल स्तर पर नियुक्ति हेतु एसीसी का अनुमोदन अपेक्षित है उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया

5.4.1 सितम्बर, 2005 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी अनुसूचित उद्यमों में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था सौंपने से सम्बन्धित शक्तियाँ कतिपय शर्तों के अध्याधीन सम्बन्धित मंत्रालयों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

5.4.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों के मामले में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था की अवधि में वृद्धि के लिए नए सिरे से सतर्कता अनुमति प्राप्त करने के मुद्दे पर सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से विचार किया है और अक्टूबर, 2007 में निम्नलिखित अतिरिक्त मार्गनिर्दश जारी किए गए हैं:-

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों के अतिरिक्त प्रभार के लिए 3 महीनों तक की प्रारम्भिक अवधि के लिए सीवीओ से स्वीकृति पर्याप्त होगी:

(ख) 3 महीने के बाद अतिरिक्त प्रबन्ध प्रभार को जारी रखने के लिए सीवीसी की स्वीकृति अपेक्षित होगी:

(ग) यदि इस प्रबन्ध को एक वर्ष के बाद भी जारी रखना है तो नए सिरे से सीवीसी की स्वीकृति अपेक्षित होगी:

(घ) जिन मामलों में सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम के अधिकारी अथवा मंत्रालय के किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तो सीवीओ की स्वीकृति पर्याप्त नहीं होगी तथा सीवीसी की आवश्यक होगी।

5.4.3 इस मुद्दे पर सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से पुन: विचार किया था और यह निर्णय किया गया है कि अब के बाद ऐसे मामलों में सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के कार्मिकों के मामले में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था सौंपना के उद्देश्य से आयोग की अनुमति तब तक अपेक्षित नहीं होगी जब तक की सम्बन्धित विभाग के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं हो जिसके आधार पर यह विश्वास करने काा कारण हो कि पिछली बार उम्मीदवार को निदेशक मण्डल स्तर की नियुक्ति हेतु अनुमति दिए जाने के बाद से सतर्कता स्थिति परिवर्तित हो गयी है। उपर्युक्त पैराग्राफों में किए गए उल्लेख के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना रहेगा जिन मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यम के किसी कार्यकारी निदेशक अथवा मंत्रालय के किसी अधिकारी को किसी उद्यम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना प्रस्तावित हो उन मामलों में अक्टूबर, 2007 में जारी किए गए पूर्ववर्ती अनुदेश जारी रहेंगे।

5.4.4 एसीसी के निर्देशों के अनुसार सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित मार्गनिर्देशों से अनुपालनार्थ अवगत करा दिया गया:-

- इस विभाग के दिनांक 17.08.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 26(3)स्था./2004(एसीसी), के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में तीन महीने तक की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार का अनुमोदन करने की शक्ति प्रभारी मंत्री को प्रत्यायोजित कर दी गई है तथा अगले तीन महीनों के लिए यह अनुमोदन राज्य मंत्री (पीपी) द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति को सतर्कता अनुमति प्राप्त हो। छ: महीने के बाद अतिरिक्त प्रभार का अनुमोदन करने की शक्ति एसीसी में निहित है।
- एसीसी ने यह अनुमोदित कर दिया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की सहायक कम्पनियों के मामले में प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों का अतिरिक्त प्रभार सहायक कम्पनी के उस वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक को सौंपा जाना चाहिए जिसे सतर्कता अनुमति प्राप्त हो। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की सहायक कम्पनी में ऐसा कोई कार्यकारी निदेशक पदस्थापित नहीं हो तो प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष

एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों का अतिरिक्त प्रभार स्वत:धारक कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी निदेशक, जो सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में धारक कम्पनी का नामित निदेशक होता है, को सौंपा जा सकता है। बहरहाल, इसके परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 316 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

5.5 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के शीर्ष कार्यपालकों की सेवानिवृत्ति के बार निजी क्षेत्र के किसी वाणिज्यिक उपक्रम में पदभार ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध

5.5.1 इस विषय से सम्बन्धित सभी पूर्ववर्ती मार्गनिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए सरकारी उद्यमों की आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली/सेवा नियमावली में तथा साथ ही मुख्य कार्यपालकों सहित पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति की शर्तों एवं निबन्धन में निम्नलिखित परन्तुक को शामिल करने का निर्णय किया गया है।

''मुख्य कार्यपालक सहित कम्पनी का कोई कार्यकारी निदेशक, जो कम्पनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जिसनें त्यागपत्र दे दिया हो, ऐसी सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी ऐसी भारतीय अथवा विदेशी फर्म या कम्पनी में कोई पद अथवा नियुक्ति, चाहे परामर्शी हो या प्रशासनिक, स्वीकार नहीं करेगा जिसके साथ कम्पनी का व्यापारिक सम्बन्ध हो अथवा रहा हो। सेवानिवृत्ति शब्द में त्यागपत्र भी शामिल हैं परन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें सरकारी ने प्रमाणित कदाचार के अलावा किसी अन्य कारण से नियुक्ति का कार्यकाल नहीं बढ़ाया हो। 'व्यापारिक सम्बन्ध' शब्द में 'कार्यालयी सम्बन्ध' भी शामिल है।''

5.5.2 मुख्य कार्यपालक सहित ऐसे किसी कार्यकारी निदेशक को, जो अधिवर्षिता अथवा त्यागपत्र के बाद निजी क्षेत्र के किसी व्यापारिक फर्म में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्ति स्वीकार कर लेता है, अब के बाद से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पूर्णकालिक/अंशकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिबन्धों का अनुपालन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम, इन प्रतिबंधों के उल्लंघन की क्षतिपूर्ति के तौर पर, निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले/इस पद से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति से उपयुक्त राशि का एक बॉड भरवाएंगे।

5.5.3 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद मुख्य कार्यपालक सहित कार्यकारी निदेशकों से प्राप्त अनुरोधों पर उनकी गुणत्ता के आधार पर प्रत्येक मामले के अनुसार विचार करेंगे तथा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति प्राप्त करने की अनुमति देंगे।

5.5.4 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दे सकते हैं।

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सम्बन्धित अधिकारी का भावी नियोक्ता के साथ कोई कार्यालयी सम्बन्ध न रहा हो।

(ख) क्या पूर्व कार्यकारी निदेशक अथवा पूर्व मुख्य कार्यपालक अपनी सेवा के गत वर्षों के दौरान ऐसी संवेदनशील अथवा रणनीतिक सूचनाओं के संपर्क में रहा है जो प्रत्यक्ष तौर पर उस संगठन के हित क्षेत्र अथवा कार्य से जुड़ा हो जिसमें वह पदभार ग्रहण करना चाहता हो अथवा वह जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस करना या परामर्शी सेवाएं प्रदान करना चाहता हो।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान वह जिन कार्यालयों में पदस्थापित रहा है उसकी नीतियों तथा वह जिस संगठन में पदभार ग्रहण करना चाहता है उसके हितों अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में क्या कोई हित संघर्ष है। बहरहाल, हितों के ऐसे संघर्ष की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए और इसमें सरकार अथवा इसके उद्यमों से सामान्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) क्या पूर्व कार्यकारी निदेशक अथवा पूर्व कार्यपालक का रिकार्ड खासतौर पर सरकार एवं इसके उद्यमों/गैर सरकारी संगठनों के प्रति निष्ठा एवं व्यवहार के संदर्भ में स्वच्छ है।

(ङ) आवेदक की व्यापारिक ड्यूटी में सरकारी विभागों/सरकारी उद्यमों से सम्पर्क करना शामिल नहीं होगा।

(च) आवेदक की पूर्ववर्ती पदीय स्थिति/अनुभव/ज्ञान का अनुचित लाभ उसके नियोक्ता को नहीं मिलना चाहिए।

(छ) वर्तमान परिलब्धियाँ और अन्य मौद्रिक लाभ उद्योग-विशेष में प्रचालित सीमा से "बहुत अधिक" नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक शब्द की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए और इसमें उद्योग विशेष में अथवा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में आए उछाल के परिणाम स्वरूप लाभों में वृद्धि आदि को शामिल नहीं किया जाना याहिए।

5.5.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेवानिवृति के बाद कोई नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति देने से सम्बन्धित आवेदनों पर अन्तिम निर्णय करेगा और सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर कोई सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदक यह मानकर प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है कि उसे अनुमति दे दी गई है।

5.5.6 जिन मामलों में इस प्रकार के अनुरोधों पर इनकार किया जाना है उनमें आवेदक को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की सूचना लोक उद्यम विभाग के परामर्श से दी जाए।

5.6 सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का निर्धारण

5.6.1 सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण तथा पी ई एस बी द्वारा चयन में अधिक पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए मानदण्डों के निर्धारण के मुद्दे पर सरकार ने पुन: विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय पी ई एस बी के परामर्श से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के विभिन्न पदों के लिए पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों का अन्तिम रूप दे सकते हैं। नियुक्ति सम्बन्धी मानदण्डों का एक बार निर्धारण हो जाने के बाद उसे कम-से-कम पांच वर्ष तक विधिमान्य बनाए रखा जाना चाहिए। पात्रता सम्बन्धी अन्तिम मानदण्डों की जानकारी आम जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए।

5.6.2 यदि पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों के अन्तिमकरण के मामले में पी ई एस बी तथा प्रशासनिक मंत्रालय में कोई असहमति हो तो इस मामले को अन्तिम आदेश हेतु एसीसी को भेजा जाना चाहिए।

5.6.3 एसीसी के निदेशानुसार सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों से सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों से सम्बन्धित नियमावली की समीक्षा, अद्यतनीकरण/ अन्तिमकरण करने तथा इस बारे में स्थिति रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजने और इसकी एक प्रति लोक उद्यम विभाग तथा पी ई एस बी को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

5.7 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन रूग्ण उद्यमों के लिए सरकार ने पुनरूद्धार पैकेज का अनुमोदन कर दिया है उनके मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना

5.7.1 सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन करने तथा साथ ही केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार के वित्त पोषण के अर्थोपायों एवं उद्यमों के लिए सुदृढ़ एवं शीर्ष प्रबन्धकों की व्यवस्था करने के मुद्दे पर विचार किया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया गया था कि निदेशक मण्डल स्तर पर ऐसे कार्यपालकों को आकृष्ट किए जाने की जरूरत है जो रूग्ण उद्यमों का आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम हों और साथ ही उन कार्यपालकों के कार्यकाल की निरंतरता बनाई रखी जाए जिससे की पुनरूद्धार पैकेज सफल हो सके। इस सम्बन्ध में दिनांक 24 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(11)/2005-सामान्य प्रबन्ध-जी.एल-88 के जरिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम पुनरूद्धार योजनाओं में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहते हैं उनके मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों को उपयुक्त प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा।

5.7.2 सरकार ने उपर्युक्त मुद्दों पर विचार किया है तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण/घाटा उठाने वाले जिन उद्यमों के लिए पुनरूद्धार पैकेज का अनुमोदन किया जा चुका है उनके मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना की शुरूआत करने का निर्णय किया है। इस प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित ब्योरा निम्नलिखित है:

(i) यह योजना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण/घाटा उठाने वाले उन उद्यमों के पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालकों/

कार्यकारी निदेशकों के लिए है जिनके पुनरूद्धार पैकेज का अनुमोदन किया जा चुका है तथा जिन्होंने पुनरूद्धार योजना में निर्धारित लक्ष्य यथासमय प्राप्त कर लिया हो।

(ii) इस योजना में उल्लिखित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक/कार्यकारी निदेशक सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लाभ में संयुक्त रूप से भागीदारी प्राप्त करने के हकदार हैं।

(iii) पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों को इस योजना के अन्तर्गत देय कुल सामूहिक प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों को सामूहिक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय कुल राशि का वितरण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा।

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में अनुसूची 'क' एवं 'ख' के उद्यमों के मामले में प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कुल राशि का वितरण पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालकों तथा सभी पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशकों के बीच 4% (3 x कार्यकारी निदेशकों की संख्या) के अनुपात में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सीमा के अध्याधीन किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में अनुसूची 'ग' एवं 'घ' के उद्यमों के मामले में प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कुल राशि का वितरण पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालकों तथा सभी पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशकों के बीच 7% (5 x कार्यकारी निदेशकों की संख्या) के अनुपात में निर्धारित सीमा के अध्याधीन किया जाएगा।

क्र. सं.	सीपीएसई की अनुसूची	पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालकों को देय अधिकतम लाभ (रु. प्रतिवर्ष)	पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों को देय अधिकतम लाभ (रु. प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति)
1.	अनुसूची-क	2,40,000	1,80,000
2.	अनुसूची-ख	2,40,000	1,80,000
3.	अनुसूची-ग	2,10,000	1,50,000
4.	अनुसूची-ग एवं गैर वर्गीकृत	2,10,000	1,50,000

वित्तीय वर्ष में यदि कोई भी पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक / कार्यवाहक निदेशक कम्पनी का कर्मचारी रहा होगा तो उसे अनुमानित आधार पर लाभ देय होगा।

(v) इस योजना के उद्देश्य से 'लाभ' का अर्थ पूर्णकालिक समायोजनों तथा आसाधारण मदों यथा छूट/रियायत/आर्थिक सहायता/बट्टे खाते डालने/सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सहायता के पूर्व कर पूर्व लाभ से है। बहरहाल, यदि केन्द्रीय सरकारी उद्यम ने सरकार द्वारा नियंत्रित किसी योजना के एक भाग के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त की हो तो उसे लाभ की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा।

(vi) किसी वर्ष विशेष के लिए प्रोत्साहन राशि की गणना उस वर्ष के लेखा परीक्षित लेखे के आधार पर की जाएगी और कम्पनी द्वारा इसका एकमुश्त भुगतान अगले वर्ष में किया जाएगा। उदाहरण के लिए वर्ष 2007-08 के लिए प्रोत्साहित राशि की गणना वर्ष 2007-08 के लेखा परीक्षित लेखे के आधार पर की जाएगी तथा इसका भुगतान वर्ष 2008-09 के दौरान किया जाएगा।

(vii) यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान पारिश्रमिक समिति के साथ-साथ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

(viii) यह योजना पांच वर्ष तक मान्य रहेगी और तत्पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी।

5.7.3 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा इससे सम्बन्धित प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बाद सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से इस बारे में अन्तिम निर्णय कर सकते हैं।

5.7.3 अब सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों सहित अन्य कार्यपालकों के वेतन संशोधन के एक भाग के रूप में निष्पादन सम्बन्धी भुगतान (पीआरपी) के क्रियान्वयन का अनुमोदन कर दिया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण तथा घाटा उठाने के मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों को दोनों योजनाओं अर्थात सरकार द्वारा अनुमोदित पीआरपी अथवा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले उद्यमों के मामले में प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है।

5.8 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत रोजगार

5.8.1 आरक्षण नीति के सम्बन्ध में सरकारी उद्यम सामान्य तौर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हैं। लाक उद्यम विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समाविष्ट करते हुए राष्ट्रपति का निर्देश औपचारिक रूप से सरकारी उद्यमों को जारी करने हेतु, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को फरवरी, 1982 में जारी किया था। तब से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सरकार की आरक्षण नीति सम्बन्धी अनेक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने इन अनुदेशों का समेकन किया है और अप्रैल, 1991 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी करने के लिए एक संशोधित व्यापक निर्देश प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था। आरक्षण मामले पर बाद में जारी किए गए अनुदेश भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू किए गए थे।

5.8.2 अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती के मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ-साथ आरक्षण के हकदार अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का वर्तमान कोटा इस प्रकार है:-

समूह	समूह 'क' एवं 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
अनुसूचित जाति	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	3%	3%	3%
भूतपूर्व सैनिक एवं सैन्य कार्रवाई में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित	–	14.5%	24.5%

तथापि, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लोक उद्यम विभाग भी सरकारी उद्यमों से वार्षिक रिपोर्ट मंगाकर तथा इन रिपोर्टों की जांच करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करके सरकारी उद्यमों द्वारा भर्ती में आरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति की निगरानी करता है।

सरकारी उद्यमों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 01.01.2008 तक की स्थिति के अनुसार 206 सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:-

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित % जाति की संख्या		अनुसूचित % जनजाति की संख्या		अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या
दिनांक 01.01.2008 तक (206 उद्यमों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर)						
समूह 'क'	196116	27353	13.94	9435	4.81	15192
समूह 'ख'	218599	30597	13.99	12730	5.82	19369
समूह 'ग'	836590	164411	19.65	72219	8.63	128660
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	376445	57987	20.97	34409	12.44	50691
जोड़	1527750	280348	18.35	128793	8.43	213912
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	13012	9864	75.80	397	3.05	520
कुल योग	1540762	290212	18.83	129190	8.38	214432

समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों में आरक्षित पदों पर यथासमय भर्ती सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दें कि वे वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती तथा साथ ही पदोन्नति के मामले में रिक्त आरक्षित पदों तथा बकाया रिक्तियों पर भर्ती के लिए प्रभावी उपाय करें। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित यू पी ए सरकार का एक एजेन्डा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बकाया आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करना है। लोक उद्यम विभाग ने सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बकाया रिक्तियों पर भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ इन मुद्दों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की है।

5.9 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (ओबीसी)

5.9.1 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) की अनुशंसाओं के आधार पर तथा इन्दिरा साहनी मुकदमें में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए थे।

5.9.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में नीति प्रतिपादित करता है, अन्य पिछड़े वर्गों के

लिए आरक्षण से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 8.9.1993 से लागू किया गया था। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से इन अनुदेशों से सरकारी उद्यमों को अनुपालनार्थ अवगत कराता रहा है। लोक उद्यम विभाग ने राष्ट्रपति के निर्देशों का एक विस्तृत संकलन तैयार किया था, जिसमें सभी अनुदेशों का समावेश था और उस संकलन को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को जारी कर दिया गया, ताकि वे उसे संस्था अंतर्नियमों के सम्बन्धित अधिनियम की धारा के अन्तर्गत उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

5.10 विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

5.10.1.1 इस विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% (1 प्रतिशत नेत्रहीनों के लिए, 1 प्रतिशत गूंगों एवं बहरों के लिए तथा 1 प्रतिशत अस्थि विकलांगता वालों के लिए) आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भी अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में राष्ट्रपतिक निर्देश, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों का समावेश था, अप्रैल, 1991 में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था और उनसे इन निर्देशों को सरकारी उद्यमों को औपचारिक तौर पर जारी करने के लिए कहा था। विकलांगता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बाद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कुछ अभिज्ञात पदों के सम्बन्ध में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करें और एक समय-सीमा निर्धारित करें, जिसके अन्तर्गत बकाया रिक्तियों को भरा जा सके।

अध्याय 6

स्थायी मध्यस्थता तंत्र

6.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन किसी सरकारी उद्यम एवं केंद्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के बीच तथा सरकारी उद्यमों के पारस्परिक विवादों, कराधान संबंधी मामलों को छोड़कर, का समाधान करने के लिए किया गया है। वर्ष 1993-94 से पत्तन न्यासों के साथ उत्पन्न विवादों को भी स्थायी मध्यस्थता तंत्र के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.02.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रेल मंत्रालय को पीएमए के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया था।

6.2 पीएमए दिशा-निर्देशों को 22.01.04 को संशोधित किया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग को सौंपना अपेक्षित होता है ताकि उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को सौंपा जा सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए सौंप देते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम,1940 (अब 1996) लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।

6.3 मध्यस्थ सम्बद्ध पक्षकारों को मामलें के तथ्य और उनके दावे तथा प्रतिदावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करता है। वह पक्षकारों को अपने समक्ष दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। लिखित रिकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ एक अधिनिर्णय देता है। दोनों विवादग्रस्त पक्षकार माध्यस्थता की लागत को समान रूप से वहन करते हैं। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अधिनिर्णय संतुष्ट नहीं है तो मध्यस्थ के अधिनिर्णय के विरूद्ध सचिव, विधि मंत्रालय को अपील की जा सकती है। सचिव, विधि मंत्रालय का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी है। सचिव (विधि) के निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय/अधिकरण में अपील नहीं की जा सकती है।

6.4 पीएमए में एक मध्यस्थ नियुक्त है और वर्ष 1989 में पीएमए की स्थापना के बाद से लेकर सचिव (लोक उद्यम) ने पीएमए के मध्यस्थों को 228 मामले सौंपे हैं, जिनमें से 160 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं। पीएमए की स्थापना स्वसमर्थित आधार पर की गई है इसलिए पीएमए मध्यस्थता शुल्क वसूल करता है जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है।

अध्याय 7

मजूरी नीति और श्रम शक्ति यौक्तिकीकरण

7.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) अन्य बातों के साथ केंद्रीय सरकारी उद्यमों में संघबद्ध कर्मचारियों के मजूरी समझौते, निदेशक मण्डल स्तर के तथा साथ ही निदेशक मण्डल से नीचे के स्तर के पदों पर कार्यरत कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित नीति संबंधी मुद्दों के बारे में नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। यह विभाग कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन तथा मजूरी नीति से संबंधित मामलों में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को परामर्श प्रदान करता है। केंद्रीय सरकारी उद्यम अधिकाशत औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। कुछ मामलों में केंद्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों की प्रणाली का अनुसरण करते हैं।

7.2 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान

7.2.1 वेतनमानों तथा वेतन प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी कर्मचारी आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान के अंतर्गत होने चाहिए तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जुलाई, 1981 तथा जुलाई, 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि जब कभी भी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नए उद्यम का गठन अथवा उनकी स्थापना की जाए, उसमें प्रारंभ से ही आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों को अपनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 242 उद्यम (बैंकों, बीमा कंपनियों तथा नवगठित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को छोड़कर) हैं। उन्होंने लगभग 15.70 लाख कामगारों, लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है जिसमें से लगभग 3 लाख कार्यपालक और असंघबद्ध पर्यवेक्षक हैं। इनमें से लगभग 96% कामगार और कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों में है।

7.3 औद्योगिक मंहगाई भत्ता प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालकों/असंघबद्ध पर्यवेक्षकों का वेतन संशोधन

7.3.1 आईडीए कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों का पिछला वेतन संशोधन न्यायमूर्ति मोहन की सिफारिशों के आधार पर 01.01.1997 से 10 वर्षों के लिए किया गया था। वेतन संशोधन 01.01.1997 से 10 वर्षों के लिए किया गया था। वेतन संशोधन 01.01.1997 से 10 वर्षों के लिए किया गया था।

7.4 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के 01.01.2007 से वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन संशोधन समिति

7.4.1 भारत सरकार के दिनांक 30.11.2006 के संकल्प के माध्यम से औद्योगिक मंहगाई भत्ता अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों में दिनांक 01.01.2007 से संशोधन के लिए द्वितीय वेतन संशोधन समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृति न्यायाधीश, इस समिति के अध्यक्ष थे।

7.4.2 समिति ने दिनांक 30.05.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सरकार ने द्वितीय वेतन संशोधन समिति की अनुशंसाओं पर विचार किया था। केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में दिनांक 01.01.2007 से संशोधन संबंधी आदेश 26 नवंबर, 2008 को जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में अनुसूची 'क' के केंद्रीय

सरकारी उद्यमों के ई-0 ग्रेड में न्यूनतम स्तर पर कार्यपालकों के लिए 12600-32500 का वेतनमान जबकि अधिकतम स्तर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए 80,000-1,25,000 के वेतनमान का प्रावधान दिया गया है। मूल वेतन और दिनांक 01.01.2007 को देय मंहगाई भत्ता 68.8% की दर पर 30% की दर से एक समान फिटमेंट लाभ का प्रावधान दिया गया था।

7.4.3 कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों का वेतन संशोधन का क्रियान्वयन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की वहन क्षमता और इस शर्त पर निर्भर करता है कि कर पूर्व लाभ में 20% से ज्यादा की गिरावट न हो। केंद्रीय सरकारी उद्यम जो संशोधित वेतनमानों को अपनाने में सक्षम नहीं है वे अपनी वहन क्षमता के अनुसार 10% या 20% की फिटमेंट कर सकते हैं। वार्षिक वृद्वि मूल वेतन की 3% की दर से होगी। महंगाई भत्ते की संशोधित प्रणाली में 01.01.2007 से 100% महंगाई भत्ते को निष्प्रभावी कर दिया गया है। केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 30%, 20% और 10% की दर से होगा। अन्य भत्ते मूल वेतन के 50% तक की सीमा में होंगे। कुछ भत्तों को 50% की सीमा से बाहर रखा गया है।

7.4.4 ग्रेड परिवर्तनीय वेतन/कार्य निष्पादन संबंधी वेतन मुहैया कराया गया है जो मूल वेतन का 40% से 200% तक होगा। कार्य निष्पादन संबंधी वेतन का निर्धारण समझौता ज्ञापन दर, वैयक्तिक कार्य निष्पादन, कार्यपालक का ग्रेड, स्वतन्त्र निदेशक द्वारा गठित परिश्रमिक समिति जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। कार्य निष्पादन संबंधी वेतन का 60% कर पूर्व लाभ की 3% की सीमा सहित चालू वर्ष के लाभ से लिया जाएगा और कार्य निष्पादन संबंधी वेतन का 40% बढ़ते लाभ के 10% से लिया जाएगा। कुल कार्य निष्पादन संबंधी वेतन वर्ष के कर पूर्व लाभ के 10% से लिया जाएगा। कुल कार्य निष्पादन संबंधी वेतन वर्ष के कर पूर्व लाभ के 5% तक की सीमा तक होगा। कार्य निष्पादन संबंधी वेतन का 10% से 25% एम्पलाइज स्टाक आप्शन योजना के तहत किया जा सकता है। ग्रेच्युटी की सीमा 1-1-2007 से बढ़ाकर 10 लाख रु. तक कर दी गई है। केंन्द्रीय सरकारी उद्यमों को मूल वेतन का 30% अधिवर्षिता लाभ के रूप में दिया गया है।

7.4.5 दिनांक 01.01.2007 से किए गए वेतन संशोधन से संबंधी कुछ मामलों की जांच की गई और सरकार ने लोक उद्यम विभाग के दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन के तहत अपना निर्णय दे दिया है। सरकार ने यह भी पाया कि यदि कुछ टिप्पणियां है तो उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए सरकार के निर्णयों को एक पैकेज के रूप में लिया गया है। इस निर्णय के माध्यम से केंद्रीय सरकारी उद्यम के कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ होंगे:-

(i) दिनांक 01.01.2007 से मूल वेतन में 50% मंहगाई भत्ते के विलय का लाभ, फिटमेंट के प्रयोजन के लिए प्रभावकारी 78.2% (पहले 68.8% की तुलना में) की अनुमति

(ii) अधिवर्षिता लाभों में 30% की सीमा की अब मूल वेतन की बजाए मूल वेतन + महंगाई भत्ते पर गणना की जाएगी।

(iii) अनुलाभ और भत्तों की गणना के प्रयोजन हेतु सृजित की गई अवसंरचना को बदलने की लागत पर मुद्रीकरण के लिए लागत गिनने की बजाए केवल आवर्ती व्यय पर विचार किया जाएगा जो मूल वेतन के 10% तक भी सीमित रहेगा।

(iv) राष्ट्रपति निर्देश की तारीख से भत्ते मुहैया कराने की बजाए इन लाभों को 26.11.2008 से दिया गया है बशर्ते कि राष्ट्रपतिक निर्देशों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 02.04.2009 को जारी कार्यालय ज्ञापन से एक माह के भीतर जारी किया जाए।

7.5 औद्योगिक मंहगाई भत्ता प्रणाली के अंतर्गत कामगारों का वेतन संशोधन

7.5.1 औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली का अनुसरण करने वाले कामगारों के संबंध में केंद्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को अपने कामगारों के वेतन संशोधन के लिए कतिपय शर्तों के अंतर्गत वार्ता करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रबंधन और कामगारों के मध्य पिछली मजूरी वार्ता 01.01.1997 से 10 वर्षों के लिए थी। लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 09.11.2006 के का.ज्ञा. के माध्यम से केंद्रीय सरकारी उद्यमों के संघबद्ध कर्मचारियों के लिए मजूरी वार्ता के सातवें दौर (सामान्य आधार पर 01.01.2007 से प्रभावी) के लिए नीति से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देश मोटे तौर पर छठे दौर की मजूरी वार्ता के लिए पहले जारी किए गए दिशा-निर्देश के समान हैं। अन्य बातों के साथ-साथ दिशा-निर्देश यह दर्शाते हैं कि मजूरी समझौता 10 वर्षों के लिए महंगाई भत्ते के 100% निष्प्रभावीकरण सहित होगा। लोक उद्यम विभाग

ने दिनांक 01.05.2008 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने मंत्री के अनुमोदन से मजूरी समझौते की आवधिकता के संबंध में प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय करने की अनुमति प्रदान कर दी है, परंतु यह अवधि 10 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 5 वर्ष की होनी चाहिए।

7.6 वेतन संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

7.6.1 उच्चतम न्यायालय ने ए.के.बिन्दल व अन्य बनाम् केन्द्र सरकार की हस्तांतरण याचिका 2000 की संख्या 8 में बी आई एफ आर को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के वेतन संशोधन के मामले में 25.04.2003 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। ए.के. बिन्दल मामला फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के कर्मचारियों के दावे के लिए 1992 के औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान के संशोधन से संबंधित था। यह दोनों रुग्ण उद्यम बी आई एस आर को सौंपे गए थे। याचिका में उस शर्त को समाप्त करने की प्रार्थना की गई थी जो बीआईएफआर द्वारा तैयार किए जा रहे पुनरुद्धार पैकेज के आधार पर रुग्ण उद्यमों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन से संबंधित थी और यही आधार था कि इन दो कंपनियों के कर्मचारियों को 01.01.1992 से मजूरी संशोधन नहीं दिया गया।

7.6.2 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:-

(i) सरकारी कम्पनियों के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।

(ii) चूंकि सरकारी कम्पनियों के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं इसलिए उन्हें यह दावा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि सरकार उनके वेतन का भुगतान करे या यह कि उनके वेतन संशोधन का अतिरिक्त व्यय सरकार वहर करे।

(iii) कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के मामले में नियोक्ता कम्पनी की आर्थिक व्यावहार्यता अथवा वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(iv) बी आई एफ में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों की इस शर्त के निर्धारण में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 19.07.1995 के कार्यालय ज्ञापन में कोई वैधानिक अथवा असंवैधानिक विसंगति नहीं है कि वेतन संशोधन व अन्य लाभ प्रदान करने की अनुमति केवल तभी दी जाए यदि एकक के पुनरूद्धार करने का निर्णय लिया जाता है तथा पुनरुद्धार पैकेज में इसके कारणवश अधिक देयताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

7.7 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सीडीए प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों का वेतन संशोधन

7.7.1 उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.03.1986 के निर्देश के अनुपालन में सरकार ने उच्चाधिकार वेतन समिति की नियुक्ती की थी तथा इसने 24.11.1988 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन 69 उद्यमों जिनकी सूची उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की रिपोर्ट में थी, इसकी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं। सीडीए प्रणाली के वेतनमान केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों के कुछेक लिपिकीय कर्मचारियों, असंघबद्ध संवर्ग के कर्मचारियों तथा कार्यपालकों के मामले में लागू हैं जो 01.01.1986 को तथा 31.12.1988 तक उद्यमों की नामावली में शामिल थे और उस समय सीडीए प्रणाली के वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3.5.1990 के निदेशों के साथ पठित 28.08.1991 के अनुवर्ती निदेशों के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में 1.1.1989 से आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान प्रारंभ किए गए हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों (एचपीपीसी) में शामिल) में से 48 उद्यम ऐसे हैं जो आईडीए और सीडीए दोनों प्रकार के वेतनमान अपना रहे हैं। उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों तथा उन पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वेतनमान की सीडीए प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारी केवल तभी वेतन संशोधन प्राप्त करेंगे जब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे परिवर्तन लागू किए जाएंगे। तदनुसार, सीडीए प्रणाली अपनाने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को भी 1.1.1996 से हुए 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्राप्त किया गया है। इसके अलावा सीडीए प्रणाली अपनाने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को भी 1.4.2004 से मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते का विलय करने का लाभ की अनुमति दी गई है। इस लाभ की अनुमति घाटा न उठाने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रदान की गई है, जो सरकार से किसी बजटगत सहायता के बिना अपने संसाधनों में से मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलय कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की स्थिति में है।

7.7.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीडीए प्रणाली का अनुसरण करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से संशोधन कर दिया है। वेतन संशोधन का लाभ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के लिए है जो घाटे में नहीं है और जो वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सरकार से बिना किसी बजटीय सहायता के कर सकते हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि निदेशक मण्डल अपने उद्यम की वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करेंगे और अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करेंगे, जो अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा। भारतीय खाद्य निगम के मामले में व्यय विभाग की सहमति भी अपेक्षित होगी। संशोधित भत्तों पर भी दिशा-निर्देश लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत जारी कर दिए गए हैं।

अध्याय 8

सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण

8.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है, यथा सामान्यतया, 'क', 'ख', 'ग', एवं 'घ'। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निम्नतर अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी-कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रुग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलेगी।

8.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्यम में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। गत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर्मचारियों की संख्या जैसे मात्रात्मक मानदण्डों तथा राष्ट्रीय महत्व, समस्या की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, क्रियाकलापों के विस्तार एवं विविधीकरण की संभावना तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसे मात्रात्मक मानदण्डों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में अनुसूची संबंधी प्रस्ताव पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान अनुसूची 'क' में 58, अनुसूची 'ख' में 71, अनुसूची 'ग' में 47 तथा अनुसूची 'घ' में 6 उद्यम तथा सरकारी क्षेत्र के 60 उद्यम अवर्गीकृत हैं। वर्ष के दौरान केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के तीन उद्यमों को अनुसूची 'ख' से उन्नयन करके अनुसूची 'क' में लाया गया है तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 01 उद्यम को अनुसूची 'ख' में तथा 01 को अनुसूची 'ग' में वर्गीकृत किया गया है। सरकारी उद्यमों की अनुसूचीवार सूची अनुबंध-II में दी गई है। इसके अलावा 12 कार्यकारी निदेशक के पद सृजित किए गए हैं।

अध्याय 9

सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

9.1 अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने दिसंबर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया था, जिसमें एक राज्य मंत्री स्तर का एक अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल, अध्यक्ष, स्कोप और अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव उनके मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यम से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। बीआरपीएसई में भारत सरकार के सचिव पद का एक अलग से पूर्णकालिक सचिव भी है।

9.2 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की पहली बैठक 16.12.2004 को आयोजित की गई थी। जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 तक 14 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और बोर्ड ने (विगत वर्ष के दौरान सौंपे गए 3 मामलों सहित) सरकारी क्षेत्र के 12 उद्यमों के प्रस्तावों पर विचार किया है और सरकारी क्षेत्र के 08 उद्यमों के संबंध में सिफारिशें की हैं और शेष 04 मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापिस भेजा गया है।

9.3 सरकारी क्षेत्र के 8 उद्यमों के संबंध में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की सं.
1	पुनरुद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार	6
2	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण/ सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम/ विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	2
	कुल	**8**

9.4 बीआरपीएसई की स्थापना से मार्च, 2009 तक 68 बैठकें हुई हैं तथा सरकारी क्षेत्र के 63 उद्यमों के प्रस्ताव पर विचार किया है। मार्च, 2009 तक बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 56 उद्यमों के मामले में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं इसके अलावा बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि वह फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपोरेशन लि. की यूनिटों बन्द करने के अपने पहले निर्णय को वापस लेने के लिए सैदांतिक अनुमोदन प्रदान करे ताकि उनके पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके।

9.5 सरकारी क्षेत्र के 56 उद्यमों (अनुबंध-III) के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें निम्नलिखित प्रमुख वर्गों के अंतर्गत आती हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	सरकारी उद्यमों की सं.
1	पुनरुद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार	41
2	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण/सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम/ विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	9
3	अन्य केंद्रीय सरकारी उद्यम से विलय /अधिग्रहण द्वारा पुनरुद्धार	4
4	बन्द करना	2
	कुल	**56**

9.6 अनुशंसित 56 मामलों में से सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 37 उद्यमों के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं। इसके अलावा, सरकार ने एफ सी आई एल तथा एच एफ सी एल के पुनरुद्धार की संभावना की सैदांतिक रूप से जांच करने कर निर्णय भी लिया है, बशर्ते कि गैस की उपलब्धता की पुष्टि हो। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी अनुमोदित किया है कि (i) विशेष प्रयोजन के माध्यम से एच एफ सी एल की बरौनी इकाई का पुनरुद्धार (ii) सचिवों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन जिसका कार्य सभी बंद इकाईयों के पुनरुद्धार के विकल्पों का चयन करना और सरकार के समक्ष विचार करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना होगा (iii) बन्द इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए सरकारी ऋणों और ब्याज दायित्वों को समाप्त करना बशर्ते कि एक संयुक्त सम्पूर्ण निवेश प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाए।

9.7 बीआरपीएसई की अन्य मुख्य सिफारिशें

9.7.1 सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों पर अपनी सिफारिशें देने के साथ-साथ बीआरपीएसई ने बैठक में घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के लिए शीर्ष प्रबंधकीय प्रतिभा आकर्षित करने की योजना की सिफारिश की है, सरकार ने इस सिफारिश पर पहले ही विचार किया है तथा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अध्याय 10

परामर्श, पुर्नप्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना

10.1 विशेषकर उदारवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, उद्यमों का पुननिर्माण वैश्विक घटना है। केंद्रीय सरकारी उद्यमों दोनों वृहद्ध अथवा सूक्ष्मस्तर, के पुनर्गठन पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में श्रमशाक्ति का यौक्तिकीकरण भी एक आवश्कता बन गई है। लेकिन कुछ मामलों में इससे कामगारों का हित प्रभावित हुआ है। सरकार की नीति मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारों को क्रियान्वित करने की तथा प्रभावित कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था कर रही है।

10.2 सुरक्षा तंत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्थूल तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को पूरा करने के लिए तथा संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को पुनप्रशिक्षण देने के लिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की थी। केंद्रीय उद्यमों में चल रहे पुनर्गठन प्रयासों के मद्देनजर केंद्रीय सरकारी उद्यमों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन आर एफ) को समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च, 2001 तक पुनर्प्रशिक्षण के कार्यकलाप, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा चलाए जाते थे। वर्ष 2001-02 से लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) की योजना लागू की गई थी।

10.3 अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- अल्पावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से पृथक हुए कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनकों नये काम-धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार में लगाना।
- उत्पादनकारी प्रक्रिया अपनाने में उनकी सहायता करना।

10.4 सी आर आर कार्यक्रम के परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन मुख्य घटक हैं। इसके अलावा सी आर आर कार्यक्रम में सुग्राहीकरण का नया कारक भी जोड़ा गया है।

10.5 परामर्श से पृथक हुए कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबंध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 20/30/40 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाहा, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याख्यान के अतिरिक्त सम्बद्ध क्षेत्र को अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से पुनर्नियोजन करना है। वर्तमान योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अत: नोडल अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

10.6 सी आर आर कार्यक्रम का परिवीक्षण करने के लिए आंतरिक संरचना में लोक उद्यम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे तथा निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियां भी गठित की गई हैं। योजना में संबंधित सरकारी विभागों/ अभिकरणों/ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के चयनित सदस्यों सहित सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा समिति का भी प्रावधान है।

10.7 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, पुनराकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम/सामग्री का विकास करने,व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात् अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करने, ऋण संस्थानों के साथ अंत:संबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने तथा समन्वयकारी समिति की बैठक बुलाने में दायित्वों का निष्पादन होता है।

10.8 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुन: प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

10.9 वर्ष 2001.02 के दौरान प्रारंभिक रूप से 8 करोड़ रुपये की योजना राशि आबंटित की गई थी जिसे वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान बढ़कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान योजना राशि को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया था तथा इसके बाद वर्ष 2006-07 के दौरान इस राशि को बढ़ाकर 31.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रत्येक वर्ष सी आर आर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 8.70 करोड़ रुपये की योजना निधि आबंटित की गई। वर्ष 2008-09 में 58 कर्मचारी सहायता केंद्रों सहित 19 नोडल अभिकरण प्रचालनरत थे। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है।

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
2007-08	9728
2008-09	9265
कुल	**145816**

प्रचालनरत नोडल अभिकरणों की सूची अनुबंध-IV पर दी गई है।

10.10 शून्य आधारित बजट प्रयास के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी आर आर योजना संशोधित की गई है। स्कीम नवंबर, 2007 में सभी प्रचालनरत नोडल अभिकरणों, केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और नोडल मंत्रालयों/विभागों को जारी दिशानिर्देशों के साथ चलती रही।

10.11 इस योजना की व्याप्ति में सुधार करने के लिए तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए इस योजना में निम्नलिखित संशोधन शामिल किए गए है:-

- यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाला व्यक्ति इच्छुक नहीं है तो उसके एक आश्रित पर विचार किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण की अवधि को 20/30/40 दिनों से बढ़ाकर 30/40/50 दिन कर दिया गया है तथा व्यय प्रतिमानों को 5300 रुपये, 6600 रुपये तथा 7900 रुपये से संशोधित करके क्रमश: 7000 रुपये, 9000 रुपये तथा 11000 रुपये कर दिया गया है।
- अधिक पुनर्नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए व्यय प्रतिमानों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अलग से राशि निर्धारित की गई है।
- प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारण, मॉनिटरिंग तथा पुनर्नियोजन।

अध्याय 11

राजभाषा नीति

11.1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यत: राजभाषा अधिनियम तथा उसके विविध अन्तर्गत उल्लिखित उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

11.2 वर्ष 2008-09 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा-पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में काम करती है।

11.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 15 सितम्बर, 2008 से 26 सिंतबर, 2008 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचायिों के लिए 03 विविध प्रतियोगिताओं, यथा-हिन्दी वाद-विवाद, हिन्दी निबन्ध लेखन तथा हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

11.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्धन में''लोक उद्यम सर्वेक्षण'' नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है, जिसे इस विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है।

अध्याय 12

महिलाओं का कल्याण

12.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लिंग की समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति में हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उन्नयन है।

12.2 विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन भी किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

12.3 लोक उद्यम विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 130 है, जिनमें से 6 महिला कर्मचारियों सहित 84 अधिकारी/कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

लोक उद्यम विभाग का संगठन - चित्र

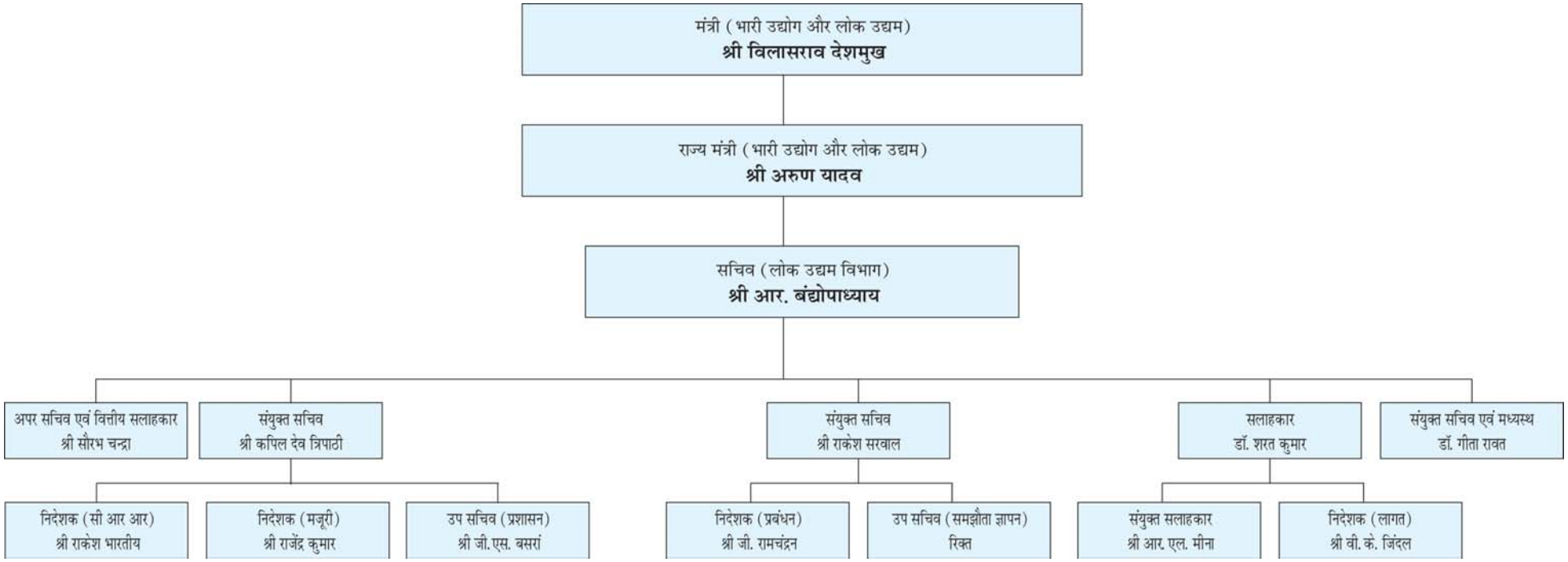

अनुबंध - II

केंद्रीय सरकारी उद्यमों की अनुसूची वार सूची

31 मार्च, 2009 के अनुसार

अनुसूची - क

1. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
2. भारत भारी उद्योग निगम लि.
3. बीईएमएल लि.
4. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.
5. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
7. भारत संचार निगम लि.
8. कोल इंडिया लि.
9. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
10. डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
11. इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
12. इंजीनियर्स इंडिया लि.
13. फटिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
14. भारतीय खाद्य निगम
15. गेल (इंडिया) लि.
16. हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.
17. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
18 हिंदुस्तान कॉपर लि.
19. हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि.
20. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
21. एचएमटी लि.
22. आवास एवं शहरी विकास निगम
23. आईटीआई लि.
24. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
25. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
26. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.
27. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.
28. एमएमटीसी लि.
29. महानगर टेलिफोन निगम लि.
30 मझगांव डॉक लि.
31. मेकॉन लि.
32. मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.
33. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.
34. नेशनल एवीएशन कंपनी आफ इंडिया लि.
35. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
36. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
37. एनएचपीसी लि.
38. नेशनल मिनरल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
39. नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लि.
40. एनटीपीसी लि.
41. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.
42. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लि.
43. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.
44. ऑयल इंडिया लि.
45. पॉवर फाईनेंस कॉर्पोरेशन
46. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
47. राइट्स लि.
48. रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
49. रेल विकास निगम लि.
50. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फटिलाइजर्स लि.
51. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
52. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लि.
53. सतलुज जल विद्युत निगम लि.
54. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
55. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
56. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
57. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
58. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि.

अनुसूची - ख

1. एन्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.
2. बामर लॉरी एण्ड कंपनी लि.
3. भारत कोकिंग कोल लि.
4. भारत डायनामिक्स लि.
5. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लि.
6. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि.
7. बोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
8. ब्रहापुत्र क्रेकर्स एण्ड पॉलिमर्स लि.
9. ब्रहापुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.
10. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
11. बीबीजे कन्स्ट्रक्शन लि.
12. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
13. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.
14. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.

15. सीमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
16. सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि.
17. सेण्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
18. सेण्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.
19. सेण्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन
20. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
21. कोचीन शिपयार्ड लि.
22. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
23. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
24. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
25. इंजीनियरिंग प्रोजक्ट्स (इंडिया) लि.
26. एन्नौर पोर्ट लि.
27. फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
28. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
29. गोवा शिपयार्ड लि.
30. हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लि.
31. हिंदुस्तान केबल्स लि.
32. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.
33. हिंदुस्तान लेटेक्स लि.
34. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट्स लि.
35. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.
36. हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.
37. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.
38. हिंदुस्तान वेजिटेबिल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लि.
39. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि. एचएमटी
40. एचएमटी मशीन टूल्स लि.
41. एचएमटी वाचेज लि.
42. इंडिया टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
43. इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन
44. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
45. इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि.
46. इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि.
47. इंडियन रेयर अर्थ लि.
48. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.
49. एमएसटीसी लि.
50. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
51. महानदी कोलफील्ड्स लि.
52. मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
53. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.
54. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.
55. मिश्र धातु निगम लि.
56. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लि.
57. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
58. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.
59. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
60. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
61. ओएनजीसी विदेश लि.
62. पी ई सी लि.
63. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि.
64. प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लि.
65. स्कूटर्स इंडिया लि.
66. साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
67. टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
68. टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
69. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
70. वापकोस लि.
71. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अनुसूची - ग

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध रोपण विकास निगम लि.
2. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
3. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
4. भारत पेट्रो रिसार्सिस लि.
5. भारत रिफ्रेक्टोरीज लि.
6. भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.
7. बीको लॉरी एण्ड कंपनी लि.
8. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेण्ट इंडिया लि.
9. सेण्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
10. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
11. सेण्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लि.
12. एजुकेशनल कन्सलटेण्ट (इंडिया) लि.
13. एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स (इंडिया) लि.
14. फेरो स्क्रेप निगम लि.
15. हिंदुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.
16. हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.
17. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि.
18. हिंदुस्तान साल्ट्स लि.
19. एचएमटी बियरिंग्स लि.
20. एचएमटी चिनार वाचेज लि.
21. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
22. एचएससीसी (इंडिया) लि.
23. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
24. इंडियन रिन्युएबिल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लि.
25. जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
26. नगालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.
27. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
28. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

29. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
30. नेशनल हैण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
31. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
32. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
33. नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
34. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
35. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
36. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
37. राष्ट्रीय बीज निगम
38. नेपा लि.
39. नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
40. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लि.
41. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
42. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.
43. एसटीसीएल लि.
44. स्पंज आयरन इंडिया लि.
45. स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
46. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि.
47. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.

अनुसूची-घ

1. हिंदुस्तान फ्लोराकार्बन्स लिमिटेड
2. हिंदुस्तान प्रीफेब लि.
3. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लि.
4. कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि.
6. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

अन्य - अवर्गीकृत

1. अकलतारा पॉवर लि.
2. एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.
3. एयर इंडिया चार्टर्से लि.
4. एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.
5. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लि.
6. असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.
7. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसिज लि.
8. बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लि.
9. भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलॉजीकल्स कॉर्पोरेशन लि.
10. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
11. बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स लि
12. बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.
13. ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पोलेमर लि.
14. ब्रुशवेयर लि.
15. बर्नहाट ट्रांसमिशन कम्पनी लि.
16. सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इण्टरनेशनल लि.
17. कोस्टल रेलसाइड वेयरहाऊस कम्पनी लि.
18. कोस्टल कर्नाटक पॉवर लि.
19. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लि.
20. कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लि.
21. दोनई पोलो अशोक होटल लि.
22. ईस्ट-नार्थ इंटरकनेक्शन ऑफ इण्डिया लि.
23. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
24. फ्रेश-हल्दी इंटरप्राइजिज लि.
25. हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि.
26. आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.
27. आईएल पॉवर इलैक्ट्रोनिक्स लि.
28. इण्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी लि.
29. इण्डियन ऑयल टेक्नोलॉजिज लि.
30. इण्डियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लि.
31. इन्स्ट्रूमेंटेशन कन्ट्रोल वाल्वड लि.
32. इन्स्ट्रूमेंटेशन डिजिटल कण्ट्रोल लि.
33. झारखण्ड इंटीग्रेटिड पॉवर लि.
34. जे एण्ड के मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.
35. कान्ती बिजली उत्पादन निगम लि.
36. कनार्टक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन लि.
37. कुमाराकुप्पा फर्टियर होटल्स लि.
38. मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
39. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोसमेल्ट लि.
40. मिलेनियम टेलिकोम लि.
41. नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
42. नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्क्रार्पोरटिड
43. नार्थ करर्णपुरा ट्रांसमिशन कम्पनी लि.
44. एनटीपीसीएल इलेक्ट्रिक सप्लाई लि.
45. एनटीपीसी हाइड्रो लि.
46. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
47. न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
48. उड़ीसा इंटीग्रेटिड पॉवर लि.
49. पीएफसी कंसल्टिंग लि.
50. पॉडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
51. पंजाब अशोक होटल कम्पनी लि.
52. रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.
53. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि.
54. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लि.
55. सांभर साल्ट्स लि.
56. सेतुसमुंद्रम कॉरपोरेशन लि.
57. तालचर-II ट्रांसमिशन कम्पनी लि.
58. तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन
59. उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
60. विगनयन इन्डस्ट्रीज लि.

उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके प्रस्तावों को बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है

क्र. सं.	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	बीआरपीएसई की सिफारिशों का स्थूल सारांश
भारी उद्योग विभाग		
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर, राजस्थान	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि. कोलकाता	केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
3.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. कोलकाता	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
4.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. कोलकाता	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि. हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
6.	प्रागा टूल्स लि. सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
7.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि. कोलकाता	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
8.	नेपा लि. नेपा नगर, मध्य प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
9.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि. मुम्बई	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि. बेल्लारी, कर्नाटक	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
11.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि. पटना, बिहार	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
12.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि. इलाहाबाद, यूपी	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
13.	सीमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. दिल्ली	बंद पड़ी यूनिटों को बंद किया जाए। अन्य प्रचालनरत यूनिटों को केंद्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार किया जाएगा।
14.	एचएमटी मशीन टूल्स लि. बैंगलोर, कर्नाटक	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
15.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि. रांची, झारखण्ड	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
16.	एन्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि. कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
17.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा, राजस्थान	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
18.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. इलाहाबाद, उ.प्र.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
19.	एचएमटी लि. बैंगलोर	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
20.	एचएमटी वाचेज लि. बैंगलोर	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार-बंगलौर यूनिट को बंद करना तथा रानी बाग यूनिट को बंद करने से पहले राज्य सरकार को स्थानांतरित करना।
21.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि. दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	बंद
22.	भारत यंत्र निगम लि.	बंद
23.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लि. विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	वित्तीय पुनर्संरचना के द्वारा पुनरूद्धार और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण
24.	हिंदुस्तान केबल्स लि. कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार

25.	एचएमटी चिनार वाचेज लि. जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जे एंड के राज्य सरकार को स्थानांतरित करके या किसी अन्य राज्य/केंद्रीय सरकारी उपक्रम/निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम के द्वारा पुनरूद्धार

वस्त्र मंत्रालय

26.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि. कानपुर, यूपी	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार
27.	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लि. तथा इसकी दिल्ली एवं अन्य राज्यों में सहायक कंपनियां	15 मिलों का सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार तथा 19 मिलों का संयुक्त उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
28.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
29.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

उर्वरक मंत्रालय

30.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. मनाली, तमिलनाडु	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
31.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि., कोच्ची, केरल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
32.	ब्रहापुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि., नामरूप असम	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

पोत परिवहन विभाग

33.	सेण्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
34.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
35.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

36.	हिंदुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि. पुणे, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
37.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. मुम्बई	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
38.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
39.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
40.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., गुड़गांव, हरियाणा	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
41.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि. चेन्नई	आईडीपीएल के साथ विलय
42.	बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर, बिहार	आईडीपीएल के साथ विलय
43.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

कोयला मंत्रालय

44.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
45.	भारत कुकिंग कोल लि. धनबाद, झारखण्ड खान मंत्रालय	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
46.	खनिज उत्खनन निगम लि. नागपुर, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
47.	हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

48.	सेण्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

जल संसाधन मंत्रालय

49.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

इस्पात मंत्रालय

50.	मेकॉन लि., रांची, झारखंड	केंन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
51.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि. बोकारो, झारखंड	वित्तीय पुनः संरचना के द्वारा पुनरूद्धार तथा सेल के साथ विलय
52.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

कृषि और सहकारिता विभाग

53.	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

54.	बीको लॉरी लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

रेल मंत्रालय

55.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

56.	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार

प्रचालनात्मक नोडल अभिकरणों की सूची

क्र. सं.	अभिकरण का नाम
1.	अकादमी सबर्बिया, कोलकाता
2.	एसोसिएटिड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचम), दिल्ली
3.	एसोसिएशन ऑफ लेडी एण्टरप्रेन्योर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
4.	सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी (सिपेट), चेन्नई
5.	सिपेट, भुवनेश्वर
6.	सिपेट, अमृतसर
7.	सिपेट, गुवाहाटी
8.	इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, रामनगर
9.	इंडियन काउसिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोलकाता
10.	इंस्टिट्यूट ऑफ एण्टरप्रेन्योरशिप डवलपमेंट, पटना
11.	इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर डवलपमेंट, जयपुर
12.	कलिंगा स्कूल ऑफ सोशल डवलपमेंट, भुवनरेश्वर
13.	मध्य प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाईजेशन, भोपाल
14.	मेटकॉन, पुणे
15.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजिज, हैदराबाद
16.	नेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशनल, कोलकाता
17.	नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसलटेंसी आर्गेनाईजेश, चंडीगढ़
18.	उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कन्सलटेण्ट्स लि. कानपुर

वार्षिक रिपोर्ट
2008-09

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

Contents

डीएचआई के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार